दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10	दिल्ली विधान सभा के दसवें सत्र का सातवाँ दिन	अंक-79

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविन्दर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री धर्मदेव सोलंकी
13. श्री हरिशंकर गुप्ता
14. डॉ. हर्ष वर्धन
15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
16. श्री हसन अहमद
17. प्रो. जगदीश मुखी
18. श्री जयभगवान अग्रवाल
19. श्री जय किशन
20. श्री जसवंत सिंह राणा
21. श्री करण सिंह तंवर
22. श्री कुलवंत राणा
23. श्री मालाराम गंगवाल
24. श्री मंगत राम

25. श्री मनोज कुमार
26. चौ. मतीन अहमद
27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
28. श्री मुकेश शर्मा
29. श्री नंद किशोर
30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
31. श्री नरेश गौड़
32. श्री नसीब सिंह
33. श्री नीरज बैसोया
34. श्री ओ.पी. बब्बर
35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. चौ. प्रेम सिंह
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राजेश लिलोठिया
40. श्री राम सिंह नेताजी
41. श्री रमेश बिधूड़ी
42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
44. श्री साहब सिंह चौहान
45. श्री सतप्रकाश राणा
46. श्री शोएब इकबाल
47. श्री श्रीकृष्णा
48. श्री श्याम लाल गर्ग
49. श्री सुभाष चौपड़ा
50. श्री सुभाष सचदेवा
51. श्री सुमेश
52. श्री सुनील कुमार
53. श्री सुरेन्द्र कुमार
54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
57. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10 दिल्ली विधान सभा के दसवें सत्र का सातवाँ दिन अंक-79

सदन अपराह्न 2.04 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, मुझे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री करण सिंह तंवर, श्री सुनील कुमार वैद्य एवं श्री प्रद्युम्न राजपूत को दिल्ली विधान सभा परिसर में धरना-प्रदर्शन करते हुए दिनांक 04.06.2012 को अपराह्न 2.30 बजे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन अपराह्न 3.02 बजे रिहा कर दिया गया।

श्री धर्मदेव सोलंकी जी।

श्री रमेश बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है विधायक को गोली मारी थी नजफगढ़ में, सेंसेटिव मामला है, विधायक को गोली मारी चार दिन पहले, पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करके.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसा है बिधूड़ी जी, सुनिये, आज 4.00 बजे इस पर डिस्कशन है। आप लोगों ने दिया है, इधर से भी आया है और सी.पी. भी होंगे तो उनके सामने आप बोले तो ज़्यादा अच्छा है, प्लीज।

श्री रमेश बिधूड़ीः लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक निवेदन था कि इसमें सदन की तरफ से उसकी कोई जाँच या तो सीबीआई से कराने की हो, उसमें कहीं न कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। पहले दिन आठ लोग दिखाये गये थे मारने वाले, अगले दिन चार लोगा गिरफ्तार करके और उनको ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ऐसी पुलिस की क्या मजबूरी थी उनको ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया.......(व्यवधान)......

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः ये आप उसी समय कहियेगा। श्री धर्मदेव सोलंकी जी।

श्री धर्मदेव सोलंकीः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 121 प्रस्तुत है-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका में 750 बिस्तरों के अस्पताल का शिलान्याल चार वर्ष पहले किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल का अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होते के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा एंव कब तक समाप्त होगा?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 121 का उत्तर प्रस्तुत है-

(क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्डिंग प्लान 05.1.2012 को रिलीज हुए हैं।

(ग) लोक निर्माण विभाग के अनुसार इस अस्पताल का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरम्भ तथा 2015-16 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार यह हॉस्पिटल की जमीन 1996 में दिल्ली सरकार को डीडीए के द्वारा मिली थी और इसके जो प्लानिंग में नक्शें वगैरह भी सारे पास हो गये थे। आज 1996 से लेकर के अभी अध्यक्ष जी, 2012 और जैसा मंत्री जी बता रहे हैं 2015-16 तक यह पूरा हो, तो यह 22 साल इस हॉस्पिटल को, प्लानिंग से पाह हो गया था इसका पजेशन भी दिल्ली सरकार के पास था तो यह बीच में इतने वर्षो का गैप रहा, मेरे क्षेत्र के लोगों को जो ये सुविधाएँ स्वास्थ्य संबंधी मिलतीं एक तो वे उससे वंचित रहे, उसमें मुझे पूछना है माननीय मंत्री जी से इसका क्या कारण है और दूसरा उस समय इसका 1998 में जब आप आए तब से लेकर अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है और यह क्यों शुरु नहीं हो पाया। जब प्लानिंग में यह पास हो गया था, 1993 से 1998 तक पजेशन भी ले ली, प्लानिंग में पास हो गया था तो इसके क्या कारण हैं और उस समय इसका अनुमानित खर्चा क्या था और आज टोटल क्या है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, the establishment of five hundred bedded hospital at Dwarka is an approved plan scheme of 1994-95. Delhi Government decided to establish a five hundred bedded hospital for which 14.83 acres of land was acquired in 1997 by DHS at a cost of 3.9 crores. Some year, land was handed over to PWD for construction They appointed M/s Jasbir Sawhney

Associates as architects & constructers to the project. Medical function programme for this hospital was prepared by the cell for five hundred beds and provided to the constultants in 1998. Building plans were prepared and submitted to DDA in 2001 that were finally approved by DDA.

अध्यक्ष महोदयः डॉ. साहब, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लम्बा जवाब है। आप इसको टेबल कर दीजिए जिससे और लोग भी सवाल पूछ सकें।

स्वास्थ्य मंत्रीः जी सर।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुभाष सचदेवा जी।

श्री धर्मदेव सोलंकीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और विशेषकर सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बीच में जो इतना गैप रहा, क्या कारण रहे और खर्चा भी 10 गुना, 20 गुना सरकार का बढ़ेगा और हमारे लोगों को जो इसका लाभ नहीं मिला, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हैं? इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, शॉर्ट में बताइये।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, पहले इसकी स्कीम जो है, 157 करोड़ की पास हुई थी 16.12.2004 को, उसके बाद जो है 2005 में इसका एफएआर बढ़ गया 100 से इसका एफएआर 200 कर दिया गया तो यह प्लान किया गया कि इसका 500 की जगह 750 बेंडेड हॉस्पिटल बनाया जाये। जब यह 750 बेड का इस हॉस्पिटल का प्रपोजल आया तब इसकी कॉस्ट थी 350 करोड़ रुपये। फिर यह डिसिजन हुआ कि इसके अंदर मेडिकल

कॉलेज भी बनाया जाये लिहाजा जो है इसके अंदर अब 1 लाख 40 हजार 330 स्क्वेयर मीटर एरिया है और 607 करोड़ रुपये का हमारे पास ऐस्टीमेट आ गया है जिसको कि हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा है फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल होने के साथ ही इसके टेंडर कॉल कर लिए जाएँगे और हमारा प्रयास है कि इस साल के अंदर इस काम की हम शुरुआत कर दें।

अध्यक्ष महोदयः सुभाष सचदेवा जी।

अध्यक्ष महोदयः माननीय अध्यक्ष जी, 3-4 दिन पहले भी यह बात माननीय वालिया जी ने कहीं कि इतने वर्ष हो गये, कभी डीडीए कभी नक्शा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बिना अवार्ड हुए इसका शिलान्यास क्यों किया गया और क्या मजबूरी थी। क्या यह लोगों को धोखा देना नहीं है। एक तरफ तो हमारे पास उसका नक्शा भी पास नहीं क्लीयरेंस भी नहीं और अवार्ड भी नहीं। हम क्यों उसका शिलान्यास कर देते हैं और इतने वर्ष के बाद उस पर कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या मंत्री महोदया या सरकार यह एश्योर करेगी कि आइन्दा से ऐसे चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही से निकाले गए। शिलान्यास नहीं किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूँगा कि कॉस्ट जो बढ़ी है जब ये 16.12.2004 को अपरुव हुआ था तो 157 करोड़ थी, उस समय कवर्ड एरिया था 54148 स्कवेयर मीटर।

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि बिना अवार्ड की शिलान्यास क्यों किया गया और जनता को धोखा क्यों दिया गया। मान लो कोई दिक्कत

आ जाती और या स्कीम धरी की धरी रह जाती तो जो क्षेत्रीय विधायक हो या एकपी हों जिन्होंने यह किया था तो वो जनता को क्या मुँह दिखाते। सरकार यह एश्योर करे कि ऐसे आइनदा* शिलान्यास न किये जायें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरुर कहना चाहूँगा कि ऐसे कितने ही शिलान्यास 1998 में भी हुए थे और 2008 में भी हुए थे।

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, हर काम को 1998 से ले जाते हैं। सर यह क्या बात हुई।

........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। श्री नसीब सिंह जी। सचदेवा साहब, बैठिये। नसीब जी, आप बोलिए। नसीब जी, आप बैठिये, मुख्य मंत्री जी बोलना चाहती हैं।

मुख्य मंत्रीः सर, May I say something? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहनी हूँ कि यह प्रोजेक्ट give up नहीं किया गया है। जैसे डाक्टर वालिया ने बड़े विस्तार से बताया है इसमें कुछ चेंजिज आये हैं, कुछ डिलेज हुए हैं जो यह कह देना कि आपने जनता को वहाँ धोखा दिया, मैं आप से इस बात से सहमत नही हूँ। वो होगा, जरुर बनेगा, आज नहीं बनेगा तो दो साल बाद बनेगा।

........अंतरबाधाएँ.........

---

* चिन्हत अंश अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। देखिये, बिधूडी जी, थोड़ा सा संयत भाषा का प्रयोग करिये, प्लीज, आप गुस्से में, मैं गलत नहीं कर रहा। आप बैठ जाईये, ऐसे मत बोलिए। मैं ख्ड़ा हूँ आप बैठ जाइये।

श्री रमेश बिधूड़ीः ****

अध्यक्ष महोदयः सुनिये, जो मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, आपने जो कहा, ठीक है। पर मुख्य मंत्री जी को बीच में खड़े हो कर यह कहना कि हाँ कभी बनेगा, कभी क्या 100 साल में बनेगा। 4 साल पहले अगर उसका शिलान्यास किया तो उसके बाद कार्य आरम्भ नहीं हुआ, यह पूछा जा रहा है। 4 साल पहले किसी से भी शिलान्यास करा दें और अभी तक उसका नक्शा पास भी नहीं हुआ, आर्टिटेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। It is a cheating of the people, यह धोखा देने की बात है।

अध्यक्ष महोदयः श्री नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है 1947 से ले कर 1998 तक दिल्ली में ....व्यवधान

........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, सोलंकी जी, ऊल-जलूल बातें मैं नहीं करा रहा हूँ। ये सब खुद ही कर रहे हैं। नसीब जी, आप बोलिए। आप एक लाईन का सवाल पूछ लीजिए।

**** चिन्हत अंश अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, एक लाईन का ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है 1998 तक दिल्ली में कितनी डिस्पेंसरियाँ थी और 1998 के बाद 2012 तक कितनी डिस्पेंसरियाँ और हॉस्पीटल बनाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह सवाह इससे संबंद्ध नहीं है, इसलिए मंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे। श्री बलराम तंवर जी। केवल द्वारका के हॉस्पीटल के बारे में पूछा गया है। जो सदस्य उसी के बारे में पूछेंगे, उसी के जवाब आयेंगे। तंवर साहब।

श्री बलराम तंवर: अध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि छतरपुर में भी 200 बिस्तरों का एक हॉस्पीटल बनना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: तंवर साहब, आपको द्वारका के बारे में सवाल पूछना हो तो पूछिये।

श्री बलराम तंवर: अध्यक्ष जी, द्वारका और छत्तरपुर एक ही है, एक ही लाईन है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सतप्रकाश राणा जी।

श्री सतप्रकाश राणा: अध्यक्ष जी, अभी विषय आया कि स्कीम अधूरी थी तो उद्घाटन क्यों किया गया। और अगर स्कीम कैंसिल हो जाये तो फिर क्षेत्रीय विधायक की क्या स्थिति होगी। अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ ऐसा हो गया। बामनोली में 2008 में शिलान्यास किया गया। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का विषय है।

........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, आप बार-बार मुख्य मंत्री को बीच में क्यों ला रहे हैं।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है।

अध्यक्ष महोदयः आप द्वारका वाला पूछ रहे हैं ना।

श्री सतप्रकाश राणाः जी, अध्यक्ष जी। द्वारका में जो हॉस्पीटल बनने वाला है ये मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनने वाला है, उसी समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक दूसरा हॉस्पीटल बामनोली में बनने वाला था, जिसका शिलान्यास किया गया और अब वो स्कीम यह कह करके कैंसिल कर दी गई है कि अब वो स्कीम ग्रीन बेल्ट में आ गई है। अध्यक्ष जी, यह किसी भी क्षेत्रीय एमएलए के लिए बहुत ही गलत चीज है और इसको क्षेत्र के लोग बहुत गलत रुपय में लेते हैं। इसलिए उद्घाटन करते हुए सोचना चाहिए और ऐसा शिलान्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा प्रश्न है कि मैंने पिछले साल प्रश्न लगाया था तब भी मुझे कहा गया था कि इस साल 2011 में हॉस्पीटल का निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा। मैं आज उस का उत्तर ले करके नहीं आया, मैं उसका जवाब मंत्री जी को दिखा दूंगा। बार-बार डेट बढ़ाने का यह क्या लक्ष्य रखा गया है। हम इस साल शुरु कर देंगे, हम उस साल शुरु कर देंगे। यह अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः सतप्रकाश जी, जब उद्घाटन हुआ तो सोलंकी जी मंच पर थे, आप नहीं थे। आपने बाद में वो ले लिया है। डॉ. हर्षवर्धन जी।

डॉ. हर्षवर्धन : सर, इस प्रश्न के संदर्भ में मैं आपकी थोड़ा सा स्पेसिफिक पर्सनल अटेंशन और डारेक्शन चाहता हूँ। सर, द्वारका एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है और हमारी जब 1993 में सरकार बनी थी, उसके बाद जो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया था वो 5 अस्पतालों को प्लानिंग कमीशन से अपरुव कराके लाये थे और उसमें एक यह द्वारका का हॉस्पीटल था जिसको स्वयं मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि 94-95 के अंदर

प्लानिंग कमीशन से अपरुव हुआ। बाई 1997 इसके जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसिज को डीडिए ने लैंड इत्यादि सारी दे दी थी। जिस समय हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय आलरेडी इसके जो ओवर ऑल प्रोजेक्ट के एस्टीमेट इत्यादि डिपार्टमेंट में बन चुके थे। इसके नक्शे बनाने के लिए सारे आदेश दे दिये गये थे और उसी स्टेज में यह हॉस्पीटल था। सर, यह एक ऐसा केस है जिसके एक बहुत इम्पोरटेंट एरिया में जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और जहाँ दूर-दूर तक कोई हेली सर्विस नहीं है वहाँ अनयूजवल और एक्सट्रा आर्डनरी डिले का मामला 13-14 साल का है। उसके लिए सरकार ने स्पष्टीकरण दिये हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि इसके अंदर आप, यह एक बहुत बडत्र क्रिमनल नेगलीजेंस का मामला है। इसमें जो भी कोई सरकार के अंदर अधिकारी हो या कोई भी हो जिसके लेवल पर यह डिले हुआ है, जिस स्तर पर भी ये चीजें हुई हैं उसके लिए रिसपोंसिब्लीटी फिक्स होनी चाहिए। इतने दिनों तक ......व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। मंत्री जी, कुछ बतायेंगे। आप बैठिए, आपकी बात आ गई है। मंत्री जी।

स्वास्थ मंत्री : अध्यक्ष जी, द्वारका अस्पताल में जैसे मैंने पहले बताया कि 500 बैंड का प्रोग्राम था, जब इसका नक्शा पास हुआ तो उसी समय एफएआर इनक्रीज हो गया 100 से 200 हो गया, तो लिहाजा यह प्रोग्राम बनाया गया कि इसको 750 बैडिड किया जाये, फिर यह प्रोग्राम बनाया कि इसके साथ में मेडिकल कालेज बनाया जाये। फिर इसको 750 बैडिड प्लस वहाँ पर मेडिकल कालेज की फैसिलिटीज इस अस्पताल में प्लान की गई। इसका एरिया निरंतर बढ़ता गया उसके अन्दर थोड़ी बहुत लागत भी बढ़ी। अब हमारी यह प्लान है कि इसके साथ में मेडिकल कॉलेज भी बनाएँ। मैं समझता हूँ कि सोलंकी साहब को खुश होना चाहिए कि अस्पताल के साथ-साथ आपको एक मेडिकल कॉलेज और मिलेगा और हमारी यह कोशिश है जैसा मैंने कहा, जहाँ तक शिलान्यास की बात आती है

दखिए, जब इस मेडिकल कॉलेज की तात आई तो हमने द्वारका के अन्दर एडीशनल लैण्ड भी ली है 9.3 एकड़ और एक्स्ट्र ली है जिसके अन्दर होस्टल आदि बनाए जा सकें। अब हमारा अस्पताल बनाने का साश प्रोग्राम तैयार है और जैसे ही फाइनेंश डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो जाती हैं हम टेण्डर कॉल करेंगे उसके बाद इसका कार्य शुरु हो जाएगा।

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, क्या कालोनियाँ पास हो गई, क्या किसानों को मुआवजा मिल गया है क्या लोगों का बिजली पानी का काम हो गया है, ऐसे ही वायदे किए जाते रहे हैं........व्यवधान

अध्यक्ष महोदय: सोलंकी जी, आप बैठिए। अगला प्रश्न श्री जयभगवान अग्रवाल।

श्री जयभगवान अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 123 प्रस्तुत है-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि-

(क) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा दिनांक 11.10.2011 से 01.05.2012 तक कितनी प्रापर्टी आबंटन के बाद (लीज होल्ड) जीपीए एवं एग्रीमेंट टू सेल पर बेची गई,

(ख) क्या यह सत्य है कि उन एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड कराते समय यूनिट एरिया के हिसाब से 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली गई, और

(ग) दिनांक 11.10.2011 से पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को मान्यता देने एवं इसके बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को मान्यता न देने के क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 123 का उत्तर इस प्रकार है-

(क) दिनांक 11.10.2011 से 01.05.2012 तक सभी 13 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में कुल 16247 जीपीए एवं एग्रीमेंट टू सेल पर बेची गई दिल्ली विकास प्राधिकरण के संदर्भ में रजिस्टर्ड हुई ऐसी प्रापर्टियों का विवरण एकत्र किया जा रहा है।

(ख) जी हाँ, विभाग के आदेश संख्या F- (7)/Regn./DC/2001/372 दिनाँक 22.10.2001 के अनुसार एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर कराते समय संपत्ति (प्रापर्टी) की कुल राशि के 90 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी जमा करानी होती है। महिलाओं के केस में स्टाम्प ड्यूटी 4 प्रतिशत है और पुरुष के संदर्भ में यह 6 प्रतिशत हैं।

(ग) माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा राज्य एवं सूरज लैम्प केस में दिनाँक 11. 10.2011 के फैसले के अनुसार एग्रीमेंट टू सेल के द्वारा किसी संपत्ति का टाइटल हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश में कहा गया है। इस आदेश की तिथि से पहले अर्थात 11.10.2011 से पहले रजिस्टर्ड कागजातों के कार्यान्वयन पर इस आदेश का असर नहीं होगा (अतः 11.10.2011 से पहले रजिस्टर हुए एग्रीमेंट टू सेल को इस्तेमाल करके आगे सेल-डीड रजिस्टर कराई जा सकती है, यदि उस पर कोई अन्य रोक न लगी हो)।

अध्यक्ष महोदय: श्री जयभगवान अग्रवाल।

श्री जयभगवान अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय का फैसला कब हुआ था और वह लागू कब हुआ और डिले हुआ तो डिले होने के क्या कारण रहे हैं और जिन लोगों ने इस फैसले के बाद अपनी प्रापर्टी रजिस्टर्ड कराई है आज वे सब रजिस्ट्रार के आफिस में जमा है वे उन व्यक्तियों को मिल नहीं रही है और अगर मिल भी जाएगी तो उसके आधार पर न फ्री होल्ड होगा और न

रजिस्ट्री होगी। अब यह सारा जो दण्ड है केवल उसी परचेजर पर क्यों पड़ा है जिसके कारण डिले हुआ है इसकी एकाउंटेबिलिटी फिक्स उसके साथ क्यों नहीं की जाती?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूँगा कि 11.10.2011 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था और डिसीजन बड़ा क्लीयर है कि जो पावर आफ अटार्नी है और एग्रीमेंट टू सेल है वह टाइटल नहीं देती है। पहले लोग पावर आफ अटार्नी और एग्रीमेंट टू सेल से सेल पर सेल करते रहते थे और जो लास्ट सेलर था बायर था वह अपने नाम पर जाकर मोटेशन करा लेता था या डीडीए के अन्दर प्रापर्टी ट्रांसफर कर लेता था। परन्तु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अलाउड नहीं है। उसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेल डीड होनी चाहिए और सेल डीड ऐसा डाक्यूमेंट है जिसके अन्दर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आती हैं और जो आपसी झगड़े होते हैं वे भी नहीं होते हैं। तो हमने भी इसको इसी तरीके से इम्पलीमेंट किया है।

श्री जयभगवान अग्रवालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानकारी चाही है कि किस तारीख ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और वह फैसला कितने दिन के बाद लागू हुआ, डिले होने का क्या कारण रहा है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, 10.11.2011 को फैसला हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थीं वे इम्पलीमेंट भी की गई हैं। यह है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है या पावर आफ अटार्नी है वह किसी तरीके से बंद नहीं की गई है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह किसी को पावर आफ अटार्नी देना चाहता है तो वह दे सकता है। आज

की डेट में भी दे सकता है। परन्तु ऑनरेबल कोर्ट का यह कहना है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उससे वह एमसीडी के अन्दर मूटेशन नहीं करा सकता है। डीडीए के अन्दर अपने नाम से प्लाट ट्रांसफर नहीं करा सकता, उसमें ये डायरेक्शंस हैं।

श्री जयभगवान अग्रवालः माननीय अध्यक्ष जी, आप यह बताइए कि मैंने दो बार प्रश्न कर लिया और मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं उसे घुमा रहे हैं। मैंने एक ही मोटी बात कहीं हैं कि किस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और वह कितने दिन के बाद इम्पलीमेंट हुआ है और लेट होने के क्या कारण हैं? मेरा केवल यही स्पैसिफिक प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैंने भी बड़ा स्पैसिफिक जवाब दिया है कि 11.10.2011 को आनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। उसके अन्दर यह नहीं है कि पावर आफ अटार्नी कम्पलीटली बैन की गई हो और एग्रीमेंट कम्पलीटली बैन की गई हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पैरा 19 है अगर आप उसको पेढ़ेंगे तो वह बड़ा क्लीयरली कहता है कि अगर कोई बिल्डर उसको बिल्ड करना चाहता है तो वह पावर आफ अटार्नी पर बुक कर सकता है।

श्री जयभगवान अग्रवालः माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है .....व्यवधान........

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अग्रवाल जी नहीं, इतनी नहीं, 3-4 सप्लीमेंटरी आपकी हो चुकी हैं अब और नहीं अगर आपका उत्तर नहीं आया है तो आपको लिखित में दे देंगे। श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा है कि पावर आफ अटार्नी को और एग्रीमेंट टू सेल को मान्यता नही देंगे। दिल्ली में बहुत सारी प्रापर्टीज ऐसी हैं जहाँ पर रजिस्ट्री होती ही नहीं और लोग किसी तरह से पावर आफ अटार्नी पर या कच्चे पक्के पेपर करके उनसे काम चलाते हैं। जिसके कारण आए दिन झगड़े भी होते हैं। दिल्ली में प्लाटों के ऊपर कब्जे करने का और इस तरह के झगड़ों का बहाव इससे बढ़ा है। क्यों नहीं दिल्ली में सारी प्रापर्टीज की सेल डीड के आर्डर कर दिए जाते जिससे ये सारे झंझट खत्म हो जाएँ और लोग आराम से जो भी प्लाट खरीदना चाहें सेल डीड पर वह प्लाट ले लें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी यही डायरेक्शन है कि आदमी को अपनी सेल डीड एक्जीक्यूट करानी चाहिए क्योंकि वह लीगल प्रफ होता है। अभी तक यह चलता आया है कि सेल एग्रीमेंट कर ली और साथ में पावर आफ अटार्नी कर ली उस पर सेल चलती रही थी और कारपोरेशन बाद में उसकी मोटेशन कर देती थी या डीडीए उनके नाम प्लाट ट्रांसफर कर देता था। परन्तु अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया है जो आप कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुभाष सचदेवा।

श्री सुभाष सचदेवाः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्डर किया है सेल डीड है या सेल एग्रीमेंट है अब लोग उसको एक्जीक्यूट कराएंगे रजिस्ट्री के रुप में, कराना ही पड़ेगा, किसी ने पाँच साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल पुरानी एग्रीमेंट टू सेल या अटार्नी कराई हैं। वह रजिस्ट्रेशन फीस

सरकार किस हिसाब से चार्ज करेगी, क्योंकि यह भी डिसप्यूट, आप कहेंगे आज की डेट में रजिस्ट्री करा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस आज की दो। लेकिन सेल डीड उसके आज से 5-10 साल पहले कराई है तो वह जो डिफरेंस है, सरकार यह भी एक डायरेक्शन दें, क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है कि रजिस्ट्रेशन फीस उससे किस हिसाब से चार्ज की जाए?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो भी प्रापर्टीज 11.10.2011 से पहले जिससे पावर आफ अटार्नी या सेल एग्रीमेंट पर कागजात किए गए हैं वे मान्य होंगे वे अपनी सेल डीड एक्जीक्यूट करा सकते हैं। उसके अन्दर रेट जैस महिलाओं के लिए 4 परसेंट है ....व्यवधान......

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि मानो पहले 5 परसेंट थी आज 7 परसेंट है, पीछे 3 परसेंट भी थी तो आप कौन सा रेट चार्ज करेंगे उस डेट पर जिस पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था या परेजेंट?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो आज की prevailing date हैं वह चार्ज किया जायेगा।

श्री सुभाष सचदेवाः सर, एग्रीमेंट टू सेल तो उस 20 साल पुराना है या 10 साल पुराना है।

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा जी, आप पहले सुन लीजिए।

स्वास्थय मंत्री: अध्यक्ष जी, जो स्टैम्प ड्यूटी है वह आज की prevailing date पर होगी और जो लैण्ड प्राइस है जिस समय उसके एग्रीमेंट की थी नार्मली उसको सब-रजिस्ट्रार accept करते हैं।

श्री सुभाष सचदेवा: लैण्ड प्राइज आप पुरानी का लेंगे, स्टॉम्प ड्यूटर प्रजैन्ट में लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: कुलवन्त राणा जी।

श्री कुलवन्त राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में सेलडीड पर प्रतिबंध है, और वहाँ जो भी प्रॉपर्टी का लेन-देन होता है, वह पॉवर ऑफ एटार्नी पर होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सेल डीड करवाओ। तो क्या सरकार अनधिकृत कालोनियों में सेल डीड करने का कोई प्रावधान करेगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अनधिकृत कालोनियों में हमेशा आज तक जितनी भी सेलडीड हुई है, वह पॉवर ऑफ एटार्नी या एग्रीमैन्ट पर हुई है इसीलिए इसमें बहुत डिस्प्यूट रहते हैं। अब जैसे ही कालोनीज रेगुलराइज हो जायेंगी। हम लोगों ने हरेक कालोनी का खसरा नं. नोट किया हुआ है, और डीडीए से उसे डिनोटिफाई भी करवायेंगे। और उसके बाद इमीजेटली सेल खोल दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न श्री राम सिंह नेताजी।

श्री राम सिंह नेताजी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 124 प्रस्तुत है:

क्या विकास मंत्री सह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक ने पिछले वर्ष इस क्षेत्र के लोगो के घरों के ऊपर से ओवर हैड फीडर्स को स्थानान्तरित करने के लिए विधायक कोष से फंड दिया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त फण्ड अब तक ऊर्जा विभाग को जारी नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की 1639 अनधिकृत कालोनियों के संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक ओवर हैड फीडर्स को हटाने की पॉलिसी तैयार नहीं की गई है; और

(घ) यदि हाँ तो उक्त पॉलिसी कब तक तैयार हो जाएगी?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 124 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी हाँ

(ख) जी नहीं, ऊर्जा विभाग द्वारा पहले माननीय विधायक द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है तथा पूरे खर्चे की 50 प्रतिशन धनराशि जारी की जाती है। तदुपरान्त ही विधायक निधि से 50 प्रतिशत धनराशि शहरी विकास विभाग द्वारा जारी की जाती है।

(ग) एवं (घ) अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के उपरांत ही इस विषय पर विचार किया जा सकता है।

श्री राम सिंह नेता जी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने तय किया कि जो ओवर फीडर हैं, जो एक गाँव से दूसरे गाँव को जा रहे हैं, उनको हटाने के लिए आपने एक पॉलिसी बनाई कि उसका जो एस्टिमेट है, 40-50 लाख रु. हैं, वो एस्टिमेट बनवा लीजिए और आधे पैसे यूडी विभाग देगा और आधे एमएलए अपने फण्ड से देगा जो हमें चिटिठयाँ सरकार की तरफ से आयीं। उसी ग्राउण्ड पर..माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, हमने कई मीटिंग की, उनका बाकायदा सर्वे करवाया। पटवारी से उसकी रिपोर्ट मंगवाई गई और अमने उसका पैसा दे दिया। आये दिन दुर्घटना हो रही हैं, रोज कोई न कोई आदमी, अभी 4 दिन पहले अखबारों में आया, मीठेपुर में एक औरत और एक आदमी की उसमें डेथ हो गयी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार इस पर कोई फैसला करे ये ओवर फीडर जो हैं इनकी पॉलिसी तय हो। अगर एमएलए ने पैसा देना है तो एमएलए दे और अगर सरकार देना चाहती है तो सरकार दे परन्तु ऊपर से मौत का डर/भय नजर आ रहा है, जो लोगों की आये दिन मौत हो रही है तो उसका कोई ऐसा उपाय हो, जिससे कि वो ओवर हेड फीडर अण्डर ग्राउण्ड चले जायें। जिससे कि दुर्घटनाएँ कम हो जायें। तो मेरी प्रार्थना है कि कोई न कोई इसमें ऐसा सुझाव रखें जिससे पूरी दिल्ली का मामला है, केवल बदरपुर विधान सभा का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं, उनको हम डेफिनेटली पॉवर डिपार्टमैन्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री मनोज शौकीन जी।

.......व्यवधान........

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साबह आप जो बोल रहे हैं, यह कार्यवाही में नहीं आयेगा। मैंने एलाउ नहीं हकया है आपको। मनोज शौकीन जी।

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष महोदय, लगभग इसी तरह का प्रश्न मैंने भी लगाया है और उसका जो जवाब आया है, उस जवाब में कहा गया है कि नियम 1956 के अंतर्गत जो केन्द्रीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा जो नियम बनाया गया, उसके तहत हम इन लाइनों को हटा नहीं सकते हैं। मेरा कहना है कि गाँव के अंदर जब लाल डोरा बढ़ता है तो उससे पहले एचटी लाइनें हमारी डली होती हैं। लाल डोरा बढ़ता है तो वहाँ पर सड़कें भी छोड़ते हैं, रास्ते छोड़ते हैं। लगभग 1950....

अध्यक्ष महोदयः मनोज जी, सवाल पूछिए लम्बा मत कीजिए।

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो लाल डोरे के अंदर आज से 20-20, 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं हाई टेंशन की, उनके लिए भी मैं पिछले तीन साल से पत्र लिख रखा हूँ। वो ऊर्जा विभाग से होकर वापस आ जाता है। जो विधायक फंड है और जो प्राइवेट कम्पनी का है, वो कब तक हट जायेगीं ऐसे मेरे गाँव हैं:, निलोठी, निजाम पुर, टीकरी और एक ट्रान्सफर्मर जो रोहतक रोड के ऊपर है, जो बीचों बीच आता है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। वो पीडब्ल्यूडी के रोड के ऊपर है न वह हटाया गया है। अनेकों दुर्घटनाएँ हुई हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत गंभीर विषय है और अनेकों गाँवों के अंदर इस तरह की लाइनें हैं, जो मैंने माँग था कि कितनी दुर्घटनाएँ हुई हैं, उसकी भी जानकारी दी है, अनेकों लोग मरे हैं इसमें। अनेकों दुर्घटनाएँ हुई हैं। सरकार इतनी गंभीर नजर नहीं आती।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी। कौन जवाब देंगे? ऊर्जा आप देख रहे हैं या हारुन जी देख रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रीः हारुन जी के पास।

अध्यक्ष महोदयः अच्छा चलिए आप दे दीजिए। ये विधायक फण्ड का है इसलिए आप दे रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें बेसिकली......

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष महोदय, ये जो दिक्कत आती है, ऊर्जा विभाग से आती है। अधिकतर दिक्कतें, एमएलए एलएडी की हमने चिट्ठी लिखी। आपके यहाँ से होकर चली गयी और ऊर्जा विभाग में महिनों पड़ी रहती हैं। वहाँ से जवाब नहीं आता।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जे मनोज जी ने जो बात कहीं है उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। अनाथराइज्ड रेगुलराइज्ड जो कालानीज हैं। उसमें हम लोग 66 केवी तक उसको 50 परसैंट फण्ड पॉवर डिपार्टमैन्ट देता है। 50 परसैंट एमएलए देता है। परन्तु कई लाइनें जो आजकल हमारे पास रिक्वेस्टर आ रही है, वह 220 केवी की आ रही है। और 220 केवी को शिफ्ट करने में प्राब्लम भी बहुत हैं और बहुत एक्सपेन्सिव है। तो हुआ यह है कि 220 केवी की लाइनें बहुत साल पहले बिछाई गयी थी। परन्तु उसके नीचे आबादी आ गयी और वो आबादी भी एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल बढ़ गयी। जिसके कारण ये दिक्कतें सब सामने आ रही हैं। तो जहाँ तक 66 केवी का सवाल है। जो जो डिसीजन हुए हैं आपके इम्पलीमैन्ट करुँगा। जिससे कि मेरे ख्याल से वह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और पूछनी है क्योंकि बहुत गंमीर इश्यू है। जैसे रोहतक रोड हो गया और जो लाल डोरा हमने बढ़ा दिया। उसके अंदर हाई टेंशन लाइनें टेंशन लाइनें बिछी रहें, वो तो सरकार को स्वयं ही हटानी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि उस पर जल्दी कार्रवाई की जाये।

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साहब।

श्री नरेश गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि और दिल्ली में ऐसे कितने विधायक हैं जिन्होंने अनेक बार अपना फंड, यूडी डिपार्टमैन्ट को चिट्ठी लिखि थी कि मैं अपना फंड देता हूँ मेरी विधान सभा में भी हाई टेंशन की दिक्कत है, दिल्ली में और ऐसे कितने विधायक हैं। पिछले 14 साल में किसी एक भी विधान सभा क्षेत्र में आपने कोई हाई टेंशन वायर हटाई है? ये दो मेरे प्रश्न हैं।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि और तो किसी का कह नहीं सकता परन्तु आप जरुर एक विधायक हैं, जिन्होंने यह बात कही थी, मैंने आपको यह भी कहा था कि सत्र खत्म होने के बाद हम लोग बैठेंगे और सभी ऑफीसर्स को कॉल करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने मुझे धन्यवाद भी किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी बात पहले ही तय हो गयी है तो दो तीन बातें हम लोगा इसे बैठकर डिस्कस कर लेंगे, सॉर्ट आउटर कर लेंगे....

श्री नरेश गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैंने चिटिठयाँ लिखी है 6, 6 बार जवाब आये हैं। तीन साल से चिट्ठी लिखी हैं पैसा देने के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी कह रहे हैं कि आपने धन्यवाद भी कर दिया है।

श्री नरेश गौड़: अध्यक्ष महोदय, ये कल की बात है, तीन साल से कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदयः श्री कुलवन्त राणा जी।

श्री कुलवन्त राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ क्या यह सत्य है कि जैसे 220 केवी, 66 केवी की लाइनें हटाने के लिए आधा विधायक फंड और आधा यूडी डिपार्टमैन्ट तय करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह फंड हमें डेवलपमैन्ट के लिए मिला है। हमें वह पैसा अपनी डेवलपमैन्ट के लिए खर्च करना है, तो पैसा शॉर्ट होता है हमारे पास और लाइन का एस्टिमेट 2-2 करोड़ का। तो अध्यक्ष महोदय, उनको पैसा दिलायें लाइन डालने के लिए...डेवलपमैन्ट का काम करायें? तो मैं ये चाहूँगा कि पूरा फंड यूडी डिपार्टमैन्ट इसमें दे और विधायक को इसमें प्लीज सम्मिलित न करें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव हमारे माननीय राणा जी ने दिया है, हम इसको पॉवर डिपार्टमैन्ट से डिस्कस करेंगे और प्लानिंग में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नीति काफी पुरानी बनाई गयी थी कि 50 परसैंट पॉवर डिपार्टमैन्ट देगा और 50 परसैंट एमएलए हेड से जायेगा। परन्तु इसमें तब्दीली करने से पहल हमें आपस में बातचीत करके फैसला करना होगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अनविकृत.......अनाथराइज्ड रेगुलराइज्ड कालोनीज में जिस प्रकार कि सरकार ने 50-50 पैसा देने का जो प्रावधान रखा है, क्या यह सत्य है कि अनाथ्राइज्ड

रेगुलराइज्ड कालोनीज के अंदर आज भी करावल नगर विधान सभा की डी ब्लॉक, खजूरी की फाइल बहुत दिनों से लम्बित पड़ी है। यदि हाँ तो कब तक इस काम को पूरा कर दिया जायेगा। यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो भी इन्होंने बात कहीं है, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन से विीाग में लंबित हैं, क्या यह पावर में लंबित है, अरबन में है तो उसकी जानकारी लेकर के जो भी उचित कार्यवाही होगी वो हम करेंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी, जो यह फाइल है और उसके बाद भी उस पर इसलिए आब्जेक्शन लगाया जाता है कि यह अनधिकृत कालोनी है। अनधिकृत रेग्यूलाइज है, आपने कहा है एक मनोज जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है 27.11.2009 को एक दिल्ली सरकार ने एक नीनि तय की है कि 50-50 प्रतिशत हम देंगे तो 50 प्रतिशत अपने विधायक निधि से दे देंगे लेकिन सदि अनधिकृत रेंग्यूलाइज कालोनी है खजूरी डी ब्लॉक जिसके हमने सारे पेपर जमा कर दिये गये हैं, उसको कर दिया जायेगा या नहीं कर दिया जायेगा, यह बता दीजिए।

स्वास्थय मंत्रीः अध्यक्ष जी, हम जरुर एक्जामिन करेंगे क्योंकि बिष्ट साहब जो भी बात कहते हैं वो बड़ा ही सोच समझ कर कहते हैं, मेहनत से काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री रामसिंह नेता जी।

श्री रामसिंह नेताजीः अध्यक्ष जी, एक जानकारी चाहूँगा.......अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः सुन लीजिए जो प्रश्नकर्ता होता है..........अंतरबाधा।

श्री रामसिंह नेता जीः अध्यक्ष जी, मैं बैठ रहा हूँ। मंत्री जी जो कि मेरी बात को समझ नहीं पास, मैंने 66 केवी ग्रेड के लिए पैसे दिये है और एक साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, जब पॉलिसी बन गयी है कि 50 यूडी देगा और 50 वो देंगे तो पैसे दें और काम करें।

अध्यक्ष महोदयः डॉ. गुप्ता।

डॉ. एस.सी.एल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अरबन मिनिस्टर और पॉवर मिनिस्टर दानों से पूछना चाहूँगा कि संगम विहार विधान सभा क्षेत्र में केवल 60 फुट ऊँचाई पर हाईटेंशन तार जा रही है। पिछले तीन वर्षो में दस चिट्ठियाँ मैं लिख चुका हूँ। जहाँ कि विकास की परिभाषा है, लाइन हटाना या हाइटेंशन हटा कर के तार डालना यह कोई विकास अनअथोराइज्ड कालोनी में नहीं होता ये तो सिर्फ सुरक्षा के हिसाब से कि वहाँ पर जो जनता रहती है उसको कम से कम आगे मरने से बचाया जा सके, इसके लिए होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जल्दी हो सके, यह हाईटेंशन तार हटा कर के जितना जल्दी हो सके, हटा दें। रोज खंबे लगते हैं, रोज लाइने खींचनी हैं, रोज नये कनैक्शन मिलते हैं, अगर रोज नये खंबं लग सकते हैं, नई लाइने खींचनी हैं, तो लाइनें हटाने में क्या दिक्कत है, मुझे यह समझ में नहीं आता है। इसको अरजेंटली देखा जाये।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो डॉक्टर साहब ने बात कहीं है, उसको हम एक्जामिन करेंगे विभाग को कहेंगे कि 60 फुट पर जो लाइन डाली गयी है, उसको जरुर इरेज करें।

डॉ. एस.सी.एल गुप्ताः जी मैंने विजिट कराई थी बीएसईएस के बाइस प्रेजीडेंट से

तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रीड कैमरा का फ्लैज भी लगाते हैं तो करंट से लोग मर जाएगें हमने वहाँ पर एक बैरियर भी लगा दिया है कि थ्रीव्हीलर अगर जाता है तो उसमें भी टच हो सकता है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा भी होगा कि दो बच्चे जल गये और उनको सफदरजंग हास्पीटल में भेजा गया। इसको गंभीरता से देखा जाये।

अध्यक्ष महोदयः श्री मनोज शौकीन अगला सवाल।

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष जी नम्बर 126 प्रस्तुत है,

क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि रिहायशी क्षेत्र से गुजरने वाली हाईटेंशन तारों के कारण बहुत दुर्घटनाएँ हो रही हैं,

(ख) यदि हाँ तो क्या इन्हें स्थानातंरित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 126 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी नहीं। हालांकि वर्तमान में कुछ दुर्घटनाओं की जानकारी दिल्ली पुलिस से प्राप्त हुई है, जो अनुलग्नक क में संलग्न है। जहाँ कहीं भी भारतीय विद्युत नियम 1956 तथा केंद्रीय उर्जा प्राधिकरण द्वारा जारी एचटी/एलटी लाइनों से उचित दूरी के नियमों का उल्लंधन करने हुए आवासीन कालोनी बना ली गयी है, वहाँ दुर्घटना की संभावना है,

(ख) एवं (ग) दिल्ली सरकार की दिनाँक 27.11.2009 को जारी एचटी/एलटीस लाइनों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति के अनुसार नियमित हो चुकी अनधिकृत कालोनियों में ही लाइन स्थानांतरण का प्रावधान है, ऊर्जा विभाग तथा विधायक निधि से निर्धारित राशि का 50-50 प्रतिशत राशि जारी की जाती है। प्रावधिक अनधिकृत कालोनियों में भी इस तरह स्थानांतरण करने के लिए ऊर्जा विभाग ने रिकमंड किया है।

अध्यक्ष महोदयः मनोज जी।

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मानीय मंत्री जी से जानना चाहुँगा कि मैंने तीन जगहों के लिए पत्र लिखें, टीकरी, निजामपुर, निलोठी और चौथा, एक रोहतक रोड़ मुंडका, उनकी क्या स्थिति है और जो मैंने पत्र लिखें हैं और जो पिछले तीन साल से जो मैं। चाहता हूँ कि वो एससी लाइन हैं और वो ट्रांसफर वहाँ से हटाये जाएँ, क्या विभाग इनको हटाने के लिए कोई कदम उठा रहा है और कब तक यह हटा लिये जाएँगे।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा नियमानुसार उनको हटाया जा सकता है कि अनधिकृत नियमित कालोनी और शहरीकृत गाँवों के अंदर यह पॉलिसी हमने की है कि 50 प्रतिशत एमएलए देता है और 50 प्रतिशत ऊर्जा विकास देता है। अगर वो इसके अंतर्गत आता है तो उसकी कार्यवाही मैं जल्दी कराऊँगा। मैं सदस्य से निवेदन करुँगा कि वो जिन जगहों का जिक्र कर रहे हैं, वो लिख कर के मुझे दे दें।

डॉ. एस.सी.एल गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं हाऊस में बोल रहा हूँ, इसके बाद भी लिख कर के देने की जरुरत है। मैं आपको तीन साल से पत्र लिख रहा हूँ और खासतौर से जो गाँव हैं, आज से बीस तीस साल पहले से जो लाल डोरा बढ़ा, वो न तो आपकी इस

स्कीम में आएँगे न कहीं और आएँगे। टीकरी गाँव में 150 मकानों के ऊपर से एचटी वायर जा रही है और मकान नीचे पड़ गये हैं गलियाय ऊँची हो गयी हैं, वो अपने छत के ऊपर मकान नहीं बना सकते। यह कितना पुराना गाँव है और लाल डोरा आज से लगभग तीस चालीस साल पहले बना था। उसके डेढ़ सौ मकानों के ऊपर से लाइन जा रही है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी जैसा मैंने कहा कि अगर नियमों के अनुसार उसको हटाया जा सकता है तो बिल्कुल हटाया जायेगा, और दूसरी बात आपने जो तीन जगहों की बात कही है कि वहाँ लाल डोरा बढ़ा है तो वहाँ आबादी बाद में ही आई होगी जब हाईटेंशन वायर वहाँ पहले से होगी, उसको राइट ऑफ प्ले देख कर के कि कितना फासला तारों में है और कितना घरों में है, वह नियम तय है और अगर वो इनके अंतर्गत आते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही जल्दी करुँगा, आप मेरे साथ एक मीटिंग कर लीजिए।

डॉ. एस.सी.एल गुप्ताः मंत्री जी आप ग्रीमीण विकास मंत्री हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साहब।

श्री नरेश गौड़ः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में 70 विधान सभाओं में से किसी एक विधान सभा में पिछले 12-13 सालों में उर्जा मंत्रालय ने हाईटेंश्न वायर को हटाने के लिए एक भी पैसा दिया है, कितने विधायकों ने आपको पत्र लिखे हैं कि मेरी विधान सभा से हाईटेंशन वायर हटा दो और कितनी हटी हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पूरे आँकड़ें तो मेरे पास नहीं है, परंतु पूरी जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री नरेश गौड़ः मेरी विधान सभा की आपको जानकारी है, मैंने छह पत्र आपको लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदयः गौड़ जी, उन्होंने कह दिया है कि मैं जानकारी ले कर के दे दूंगा, आप गुस्से में मत आइये।

श्री नरेश गौड़ः अध्यक्ष जी, मैंने छह पत्र लिखे हैं और इन्होंने जवाब दिये हैं पिछली बार, स्कीम बता दी।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। श्री तरविंदर सिंह मारवाह।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कहूँगा क्योंकि जगह जगह हाईटेंशन की तारों से वारदातें हो रही हैं। यूडी मिनिस्टर साहब को कहें कि इसके लिए अलग से बजट दे दें ताकि इनकी जानों को खतरा न हो न। कई जगह घरों के ऊपर से जा रही है, मेरे इलाके में भी हादसा हुआ। अभी कल मैंने मैंडम को भी लिख कर के दिया। इसके लिए कुछ न कुछ डिसाइड किया जाये।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 27.11.2009 को यह नीति इसलिए बनाई गयी थी कि बहुत सारे माननीय विधायकों की यह चिंता थी कि बहुत सारे घर हाइटेंशन वायर के पास

आ गये अभी हमारे माननीय सदस्य गुप्ता जी संगम विहार की बात कर रहे थे। जो जानकारी दिल्ली ट्रांस्को, बीएसईएस के द्वारा दी गयी। जिस घर में बच्चे को चोट लगी है वहाँ हाइ टेंशन वायर से वो छत मात्र डेढ़ सौ फीट ऊपर थी और नीचे सारे टीन के डिब्बे पड़े हुए थे। तो सवाल इस बात का है कि ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी कि हाईटेंशन के तारों के खतरे के बावजूद उनको उस ऊँचाईयों तक ले जाते हैं। लेकिन यह पालिसी इसलिए बनाई गयी थी कि जहाँ कहीं भी हम हाईटेंशन वायर को शिफ्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर सरकार भी 50 परसेंट लेगी और एमएलए भी 50 परसेंट लेगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुरेंद्र कुमार।

श्री सुरेंन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, वैसे यह बड़ा ही गंभीर मामला है एक बार हमने भी, मंत्री जी ने आदेश किये थे कि ग्रामीण विकास बोर्ड ने हमने स्कीम बनाकर के दी थी कि गाँवों से हाईटेंशन तार हटा दी जाये। हमने इसकी स्कीम बना कर के दी। तार हटाना तो दूर की बात है। पिछले सत्र में मैंने यह बात उठायी थी, एसडीएम साहब से यहाँ से जो लालडोरे के ऊपर से तार जा रही है, उनको नोटिस दे दिये गये कि तार नहीं हटेंगे तुम्हें अपने मकान हटाने पड़ेगें कि क्या यह सत्य है और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि किस-किस लाल डोरे के गाँव में मकान तोड़े गये हैं, मेरे यहाँ भी तोड़े गये हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह नीति बनने से पहले यह बात सही है कि बहुत बारी विभाग को जब इस तरह की सूचनाएँ मिली तो कुछ जगहों पर उन्होंने नोटिस जारी किये थे लेकिन यह नीति आने के बाद जब यह निर्णय हो गया कि हाइटेंशन वायर को शिफ्ट कर सकते हैं तो हम उनको शिफ्ट करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सुरेंद्र कुमारः अध्यक्ष जी, एक मिनट। मैं कुछ और नहीं पूछ रहा मैं केवल यह पूछ रहा हूँ कि मेरे हरेवाली गाँव में जो कि हजारों साल पहले बसा है, उसके ऊपर से तार गया है, वहाँ लालडोरे में मकान तोंड़ दिये गये। मैंने एसडीएम साहब को यह कहा कि अनधिकृत कालोनी तो बाद में बसी है मगर गाँव तो बहुत पहले बसे हैं।

श्री सुरेंद्र कुमार जारी.......

उन लोगों को नोटिस दे दिये, वो कोर्ट में गये हैं कि इसमें हमारा कसूर क्या है।

अध्यक्ष महोदयः श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भरथल में मैंने दो महिने पहले 15 लाख रुपये आवंटन करने का पत्र लिखा था लेकिन अभी तक कोई जानकारी मुझे उसके बारे में नहीं मिली। कोई उसके बारे में विषय नहीं आया और यह भी नहीं पता चल पाया कि कहाँ, कैसे किसको अप्रोच करें कि यह हो पाये। तो कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाये और जानकारी मिल जाये कि कितने दिनों के अंदर में यह काम हो जायेगा। दूसरा कोई पॉलिसी सरकार इसके ऊपर बना दे और एक साथ सारे काम दिल्ली के काम हट जाएँ, तो बहुत अच्छा हो क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में यह बहुत ही बढ़ी परेशानी है, सभी विधायक इससे परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि उन्होंने जो एमएलए फंड से 15 लाख रुपये की राशि दी है, वो क्या यूडी विभाग में पैंडिंग है या हमारे में है।

अध्यक्ष महोदय: राणा जी।

श्री सतप्रकाश राणा: सर, यूडी में।

ऊर्जा मंत्री: वो मैं जानकारी लेकर के आपको दे दूँगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री अनिल चौधरी।

श्री अनिल चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो अरबन डवलपमेंट हैं, आपने अनधिकृत कालोनियों में बहुत भारी बजट रखा है, आपने अनधिकृत कालोनियों में बहुत भारी बजट रखा है और अनधिकृत कालोनियों के ऊपर से हाइटेंशन तार जाती हैं, अभी मंत्री जी ने आदेश दिया है कि उनमें तमाम सीवर, बिजली पानी की व्यवस्था की जाये। बजट में से अगर हम इस हाईटेंशन वायर को शिफट करा पाये, जो बजट अनधिकृत कालोनियों में विकास के लिए दिया गया है क्या यह विकास का हिस्सा नहीं है। मेरी यह विनती है कि इसमें मंत्री जी बयान दें और दूसरा एलबीएस हास्पीटल के एस्सटेंशन को लेकर एक हाई टेंशन हटाई जानी थी, क्या उसका आदेश जारी हुआ है, कृपया बताएँ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोविज़नली अनधिकृत कालोनीज़ के लिए हमने इसको रिकमंड किया है कि वहाँ भी इस तरह प्रावधान होना चाहिए। जल्दी उसके ऊपर निर्णय ले लिया जायेगा और आपको सूचित कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमेश शौकीन।

श्री सोमेश शौकीनः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 50 प्रतिशत की स्कीम है, जो एमएलए हैड से देना है, 50 परसेंट पावर मिनिस्टरी ने देना है तो क्या यह 50 परसेंट 1639 कालोनियों पर भी लागू होता है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 1639 प्रोविजनली रेग्यूलाइज कालोनियाँ हैं उनके लिए ऑलरेडी ऊर्जा विभाग ने रिकमंड किया है कि वहाँ भी इस तरह के प्रावधान को अलॉऊ किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, श्री दयानंद चंदेला जी।

श्री दयानंद चंदेलाः आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले दिल्ली में पंजाब इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड की लाइनें थीं जो हरियाणा बनने के बाद हरियाणा इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कहलाया। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ किसान बड़े ही दरियादिल रहते हैं जब उनके खेतों में यह लाइनें डाली गयीं तो उस समय किसानों ने थोड़ा सा तो एतराज किया लेकिन उन्हें बता दिया गया कि उसका मुआवजा दे दिया जायेगा। वो लाइनें आज तक है मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करुँगा कि इसके बारे में बताएँ कि वो कैसे हटेंगी और उनको क्या होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। कल सेशन खत्म हो रहा है और आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बता दूँगा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। प्रोफेसर मुखी साहब।

प्रोफेसर जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत मजबूरी में खड़ा होना पड़ा है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ने कहा। परंतु प्रश्न का जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा है। आपने यह तो एडवाइज कर दिया संगम विहार में बच्चे को चोट लगती है, मकान उनके ऊपर आ गये। किंतु आपने इसका जवाब नहीं दिया गया कि टीकरी और हैरेवली गाँव के ऊपर से जा रही है, आपको हटाना चाहिए, आप गाँव के ऊपर से निकले हैं, गाँव बाद में नही बसा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के अंदर इच्छाशक्ति की कमी नजर आ रही है। पॉलिसी बनाये तीन-चार साल हो गये हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने छह चिट्ठियाँ लिखी है, इन चार सालों में किसी का जबाव दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। नहीं दे पाये हैं। किंतु मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, यह मैंने अपने समय में पॉलिसी बनाई थी, लागू की थी और हटवा कर दिया, आपको कालोनी के नाम दे देता हूँ। इंदिरा कालोनी और जीवन पार्क में हाईटेंशन वायर थी, हमने यही पॉलिसी बनाई थी, उस सयय दिल्ली जल बोर्ड ने आधा पैसा वहन किया था, और आधा पैसा एमएलए फंड में से दिया था और हमने हटा कर के दिखाई थी। आज चार साल से पॉलिसी बनी हुई है, क्यौ इंपलीमेंट नहीं हो रहा है, जब एमएलए पत्र लिख कर दे रहे हैं, इस बात का जवाब चाहिए, घुमाकर के बात की जा रही है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी जवाब दें।

ऊर्जा महोदयः अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुखी जी आज तक यादों में जी रहे हैं कि कब पॉलिसी बनी थी कब क्या हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि हमको यूडी से फैसीलिटी मिल गयी है वहाँ सरकार ने 50 प्रतिशत फंड जारी करने के आदेश ऊर्जा विभाग को दे रहे हैं।

प्रोफेसर जगदीश मुखीः जो आपने कहा है कितनी कालोनी के अंदर कहाँ पर हाईटैंशन तार हटाने पर कामयाब हुए हैं हम।

ऊर्जा मंत्रीः जो बा अभी मुखी जी कह रहे थे, संगम विहार के बारे में, सच्चाई तो यह है कि जब वो कालोनियाँ बसी और जिस तरह से वो कालोनी वालों ने नाजायज तरीके से बिल्डिंगे वहाँ तक ले गये और आज जो ....अंतरबाधा।

प्रोफेसर जगदीश मुखीः गाँव टीकरी कलां के लिए। बाकी गाँव के लिए क्या किया आपने। आपने जो गुमराह करने के लिए किया वो काफी है क्या? जिम्मेदारी क्यों नहीं ऑन करते। हाईटैंशन वायर गाँव के ऊपर से आप लेकर के गये हो, आप आदमी नहीं गया थ जी। मैं यह सीधा सीधा जानना चाह रहा हूँ कि इस चार साल के अंदर कितनी कालोनियों में हाईटेंशन वायर हटवाने का काम किया, जरा बता दें। अगर नहीं हुए हैं तो they are lacking some will power.

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कई सदस्य माँग रहे हैं, मैं इसको विभाग से लेकर के दे दूंगा। और सिर्फ एक ही आग्रह, मुखी जी हमारे बड़े सीनियर विधायक भी हैं और नेता भी हैं तो मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि माझी में जीना छोड़ दें, जो वर्तमान में हैं उसमें जिये।

अध्यक्ष महोदयः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हाईटेंशन तारों का पैसा जो विधायक फंड से लिया जा रहा है, वो न लेकर के यूडी विभाग तमाम पैसा दे दे ताकि काम आसानी से हो सके।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, नीति जब बनाई गयी थी तमाम सदस्यों की भावना थी कि किसी भी तरीके से ....अंतरबाधा।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, यह तो ....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये, मंत्री जी बोलिए।

ऊर्जा मंत्रीः अरे कुलवंत जी, सुन लीजिए। तमाम विधायकों से चर्चा करने के बाद यह नीति बनाई गयी थी और अगर इसमें कुछ बदलाव हो सकता है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यूडी पैसा दे दे। इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदयः विजेंद्र सिंह जी।

डॉ. विजेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों ने इस पर चिंता जताई है, एक भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ यह परेशानी न हो और डॉ. वालिया जी ने कहा कि 66 केवी का प्रोविजन है। और 220 वाली नहीं आती। मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को यह कहना चाहूँगा कि जितनी पावर लाइन बढ़ी है, उससे उतनी ही कैजुएल्टी या डैथ होने के चांसेस ज़्यादा है, एक हल्की लाइन आपके प्रोविजन में है, इसमें irrespective of kilowatt सभी को कवर करना चाहिए और मैं आपके माध्यम से यह भी कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इसमें initiative लें सबसे बड़ा मुद्दा विकास की बात रही है, विकास हो न हो लेकिन लोगों की जान सुरक्षित रहे, यह मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

122. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) सरकार ने पिछले 15 वर्षो के दौरान कुल कितने पर्यटन केन्द्रों को कहाँ-कहाँ

विकसित किया है,

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कुछ पर्यटन केन्द्रों पर कुछ सुधार कार्य भी कराए है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे पर्यटन केन्द्रों की संख्या, स्थान एवं खर्च की गई धनराशि का विवरण क्या है?

मुख्य मंत्री जीः

(क) दिल्ली पर्यटन एवं परविहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा पिछले 15 वर्षो में निम्नलिखित केन्द्रों का निर्माण किया गया है-

1 आजाद हिन्द ग्राम - टिकरी बार्डर

2 दिल्ली हाट - पीतल पुरा

3 पंचेन्द्रिय उद्यान - सैयद -उल-अजैब

4 गुरु तेग बहादुर मेमोरियल - जी.टी. रोड

5 नौकायान - स्वर्ण जयंती पार्क, रोहणी

6 नौकायान - संजय झील - पटपड़गंज

(ख) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली हाट, पीतल पुरा में वर्ष 2009-10 में और दिल्ली हॉट, आईएनए 2011-12 में अतिरिक्त सुधार कार्य किये गये हैं।

(ग) उपर्युक्त 'ख' में दिए गए पर्यटन स्थलों पर किये गये सुधार कार्यो का खर्च निम्नलिखित है:-

1. दिल्ली हाट - पीतम पुरा: 90 लाख रुपये।

2. दिल्ली हाट - आई. एन. ए. : 249.05 लाख रुपये।

125. श्री साहब सिंह चौहन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तर पूर्वी जिला में ताहिरपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, तो इस अस्पताल के निर्माण का उद्देश्य क्या रहा है,

(ख) इसके भवन निर्माण व अन्य कार्यो पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है,

(ग) इस अस्पताल का निर्माण कब प्रारंभ हुआ व कब पूरा होना था, क्या यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है,

(घ) इस अस्पताल में किन-किन रोगो/ विभागों की सुपर स्पेशलाइजेशन है, और

(ड.) क्या यह भी सत्य है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी दिल्ली सरकार इस अस्पताल को स्वयं संचालित न कर केंद्र सरकार को सौंपने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वस्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ, जन-साधारण को और बेहतर चिकित्या सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक अस्पताल का निर्माण किया गया है।

(ख) लगभग 88.63 करोड़ रुपये भवन निर्माण तथा 6.01 करोड़ भूमि की कीमत पर खर्च हुआ है।

(ग) इस अस्पताल का निर्माण कार्य जनवरी 2002 को शुरु हुआ, जिसे 2004 को पूरा होना था। अस्पताल भवन का निर्माण कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

(घ) इस अस्पताल में निम्नलिखित सुपर स्पेशलाइजेशन विभाग प्रस्तावित हैं:-

1. कार्डियोलॉजी
2. कार्डिक सर्जरी
3. नेफ्रोलॉजी
4. यूरो सर्जरी
5. गैस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी
6. गैस्ट्रिक सर्जरी
7. न्यूरी सर्जरी
8. ट्रांसप्लांट सर्जरी उपरोक्त विभाग के अलावा सभी संबंधित सेवाएँ जैसे:- एनेस्थेसीया, रेडियोलॉजी, संपूर्ण लैब इंवेस्टिगेशन सेवाएँ, ब्लड बैंक इत्यादि। वर्तमान में इस अस्पताल में बाहय रोगी विभाग के अंतर्गत कार्डियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी की सेवाएँ उपलब्ध करवायी जा रही है।

(ड.) जी नहीं, उक्त अस्पताल को AIIMS, NIMHANS और JIPMER की तर्ज पर चलाने के लिए एक सोसायटी के गठन का विचार है। इसमें भारत सरकार, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य के रुप में विचाराधीन है।

127. चौ. मतीन अहमदः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के कुछ इलाकों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से इलाके है; और

(ग) इनको कब तक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्री जीः

(क) 22 क्षेत्रों के पूर्नविकास हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। पुर्नविकास हेतु डी.डी.ए. ने 1 मई 2012 को गाइडलाईस की अधिसूचना जारी की है। इस गाइडलाईस के तहत पुर्नविकास होने के पश्चात संबंधित विभाग प्रक्रिया पूरी कर इन औद्योगिक समूह वाले क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिसूचित करेगा।

(ख) जैसा उपरोक्त कहा है (पुर्नविकास वाले क्षेत्रों की सूची संलग्न है)

(ग) प्लान स्वीकृति की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्लान के स्वीकृत होने के बाद पुर्नविकास के लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

औद्योगिक समूह वाले अधिसूचित क्षेत्रों की सूचीः

1. समय पुर बादली
2. शाहदरा
3. आनन्द पर्वत
4. जवाहर नगर

5. सुल्तानपुर माजरा

6. हस्तसाल पाकेट-ए

7. नरेश पार्क विस्तार

8. लिबासपुर

9. पीरागढ़ी गाँव

10. ख्याला

11. हस्तसाल पाकेट-डी

12. शालीमार गाँव

13. न्यु मडौली

14. न्वादा

15. रिठाला

16. स्वर्ण पार्क मुंडका

17. हैदरपुर

18. करावल नगर

19. डाबरी

20. बसई दारापुर

21. प्रहलादपुर बांगर

22. मुण्डका दक्षिण एवं मुण्डका फिरनी

128. श्री जसवंत राणाः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि ग्रामीण विकास बोर्ड की दिनाँक 20.02.2011 को आयोजित बैठक में पास हुए विकास कार्यो से संबंधित मामले वित्त विभाग में अब तक लंबित पड़े हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं की धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी ?

मुख्य मंत्री जीः

(क) ग्रीमीण विकास बोर्ड की दिनाँक 20.02.2011 को कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। ग्रामीण विकास बोर्ड की दिनाँक 02.02.2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव इस समय वित्त विभाग में लम्बित नहीं है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

129. श्री सुनील वैद्य : क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कि त्रिलोकपूरी विधानसभी क्षेत्र में मयूर विहार थाने के सामने डी.एस.आई.आई.डी.सी. के कमर्शियल कॉम्प्लैक्स की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण किया जाना था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त निर्माण अक्टूबर, 2010 में होना निश्चित किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इसमें देरी के क्या कारण है तथा इसका निर्माण कब शुरु होगा; और

(घ) उक्त विधान सभा क्षेत्र के तहत सभी डी.एस.आई.आई.डी.सी. केन्द्रों की सूची क्या है तथा इसके पुनर्निर्माण की क्या योजना है?

उद्योग मंत्री जी:

(क) यह सत्य है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मयूर विहार थाने के सामने डी. एस.आई.आई.डी.सी. के वर्क सेन्टर को तोड कर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण किया जाना है;

(ख) उपरोक्त पुनर्निमाण कार्य की कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी थी;

(ग) इस बिल्डिंग के पुनर्निर्माण के बिल्डिंग प्लान 24.1.2011 को MCD में स्वीकृति के लिए जमा कराये गये थे, जोकि अभी पास नहीं हुए है। बिल्डिंग प्लान पास होने के बाद इस कार्य के टैन्डर कर दिये जायेगें।

(घ) (क) उक्त विधानसभा क्षेत्र के तहत निम्न सामुदायिक कार्य केन्द्र आते है।

1. हिम्मतपुरी-134
2. हिम्मतपुरी-48
3. त्रिलोकपुरी-15

(ख) त्रिलोकपुरी सामुदायि कार्य केन्द्र के अलावा उपरोक्त किसी और केन्द्र के पुर्ननिर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

130. श्री कुलवन्त राणा: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कई कालोनियों के मकानों के उपर से गुजरने वाली हाइटेंशन लाइनों की वजह से दुर्घटनाएँ घटती रहती है,

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की कौन-कौन सी कालोनियों को सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है, उनका विवरण क्या है,

(ग) क्या सरकार की हाईटेंशन तारों के नीचे बने हुए मकानों निवासियों को किसी अन्य स्थान पर बसाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है, और

(घ) क्या यह सत्य है कि चिन्हित की गई कालोनियों में अब भी हाईटेंशन लाइनों के नीचे मकानों का निर्माण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उन मकान मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी?

उद्योग मंत्री जी:

(क) जी नहीं। हालांकि वर्तमान में कुछ दुर्घटनाओं की जानकारी दिल्ली पुलिस से प्राप्त हुई है, जो पुस्तकालय में उपलब्ध है। जहाँ कहीं भी भारतीय विद्युत नियम 1956 तथा केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा जारी एचटी/एलटी लाइनों से उचित दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए आवासीय कालोनी बना ली गई हैं, वहाँ दुर्घटना की संभावना है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता। हालांकि एचटी/एलटी लाईनें बिछाने से पहले उपयुक्त राईट ऑफ वे पदान किया गया था एवं अन्य सम्बन्धित

स्थानीय निकायों द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन समय के साथ दिल्ली की आबादी बढ़ती गयी एवं लोगों ने इन लाइनों के नीचे एवं आसपास में केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा एचटी/एलटी लाइनों से अचित दूरी के नियमों का उल्लंधन करते हुए आवासीन कालोनी का निर्माण कर लिया। इस संबंध में समय समय पर विभिन्ना समाचार पत्रों द्वारा आम नता को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार के सभी निर्माण जोकि नियमानुसार न्यूनतम दूरी के अनुरुप नहीं हैं, सुरक्षित नहीं है।

131. श्री डॉ हर्षवर्धनः-

(क) कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों को अब तक अस्थायी नियमन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है;

(ख) जिन कॉलोनियों का अस्थायी नियमन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, क्या वहाँ पर ज़मीन या मकान की खरीद-फरोख्त के लिए पावर अटार्नी, एग्रीमेन्ट टू सेल या अन्य किसी प्रकार के लिखित आदेश सरकार ने जारी कर रखे है;

(ग) दिल्ली में और खास कर यमुना पर की कुछ कॉलोनियों में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए है, जहाँ पॉवर आफ अटार्नी या रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार द्वारा की गई है; और

(घ) इनमें दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

राजस्व विभाग मंत्री जीः

(क) 1218 अनाधिकृत कॉलोनियों को प्रोविज़न रेगुलराईजेशन सर्टिफिकेट दिये गये थे, जिसमें से 40 पी.आर.सी. को रद्द किया जा चुका है।

(ख) जी नहीं, अस्थाई नियमन प्रकार पत्र कॉलोनियों के बारे में कोई विशेष आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये है। अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो अभी रेगुलराइज़्ड नहीं हुई है, उनमें होने वाली खरीद-फरोख्त पावर आफ अटार्नी, एग्रीमेंट टू सेल तथा अन्य संबंधित कागजातों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है।

(ग) अभी तक 154 मामले प्रकारश में आए है।

(घ) मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से 3 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है और पुलिस में इसकी प्राथमिकी प्रतिवेदन (FIR) करा दी गई है।

132. श्री सतप्रकाश राणाः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) दिल्ली में नया वोट बनाने के क्या नियम हैं, इसमें राजनीतिक पार्टियों के बी.एल.ए-1 व बी.एल.ए.-2 की क्या भूमिका होती है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वन विभाग की भूमि पर बसी झुग्गियों में नये वोट बनाने पर वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के रंगपुरी व महिपालपुर में नये वोट बनाने पर कोई रोक लगाई गई है, यदि हाँ, तो ये रोक कब से लागू है;

(घ) उक्त विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के दौरान बूथ अनुसार कुल कितने नये वोट बनाये गये हैं तथा रंगपुरी व महिपालपुर के झुग्गी-बस्तियों के कुल कितने नये वोट बनाये गये;

(ड.) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में बांग्ला देशी होने की जानकारी विभाग को है, यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाई कर रही है?

उद्योग मंत्री जी:

(क) मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विभिन्न प्रावधानों तथा चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये निम्न योग्यतायें अनिवार्य हैं:-

1. भारत का नागरिक हो।

2. अर्हता तिथि को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो।

3. उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी हो।

4. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न घोषित किया गया हो।

5. निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित नहीं किया गया हो। बी.एल.ए.-1 चुनाव आयोग का एक फार्म का प्रारुप है जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने अध्यक्ष या सचिव या किसी पदाधिकारी के माध्यम से अपने दल का जिला प्रतिनिधि अधिकृत करते हैं। यह अधिकृत जिला प्रतिनिधि चुनाव आयोग के अन्य फार्म बी.एल.ए-2 के द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथों के लिये बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करता है। जिला प्रतिनिधि की नये वोट बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। बी.एल.ए.-2 फार्म द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट अपने पोलिंग बूथ क्षेत्र के योग्य नागरिकों को मतदाता बनने में मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ-साथ

यदि कोई मतदाता सूची से अपना नाम कटवाना, जुड़वाना या ठीक करवाना चाहते हैं। इसके साथ घर-घर जाकर उन मतदाताओं का जिनका निधन हो गया हो या वो कहीं और जाकर बस गये हैं, तो उनकी पहचान करके तथा उनकी सूची बनाकर नियुक्त अधिकारी/बूथ लेवल आफिसर को आगे की कार्यवाही के लिये सौंपने का कार्य भी करते हैं।

(ख) जी हाँ। 5.10.2011, वन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (दक्षिण-पश्चिम) को भेजा गया था जिसमें यह बताया गया था कि रंगपुरी, रजोकरी एवं घिटोरिनी क्षेत्रों में स्थित वन विभाग की भूमि पर कोई भी नया वोट बनाने से पहले उनके विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाये जिससे कि उनकी भूमि पर अनधिकृत कब्जों को हटाया जा सके। इस पत्र की एक प्रतिलिपि मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली को भी भेजी गई थी।

(ग) जी नहीं। बिजवासन विधासभा क्षेत्र के रंगपुरी व महिपालपुर में नये वोट बनाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

(घ) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष (1जून 2011 से 31 मई 2012 तक) में कुल 5875 नये वोट बनाये गये हैं। बूथ अनुसार विवरण संलग्न है। रंगापुरी व महिपालपुर झुग्गी बस्तियों में कुल 15 नये वोट बनाये गये हैं।

(ड.) उपलब्ध/प्राप्त सूचनाओं में इस क्षेत्र में बंगलादेशी होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

Total Electros Addition in AC-36 (Bilwasan) from 01-June-2011 to 31-May-2012

AC_No	*PART NO*	*Total*
36	1	21
36	2	31
36	3	29
36	4	106
36	5	75
36	6	165
36	7	46
36	8	66
36	9	43
36	10	74
36	11	46
36	12	39
36	13	48
36	14	42
36	15	19
36	16	50
AC_No	*PART NO*	*Total*
36	17	37
36	18	47
36	19	75
36	20	32
36	21	78
36	22	38
36	23	57
36	24	63
36	25	41

36	26	12
36	27	229
36	28	30
36	29	18
36	30	116
36	31	56
36	32	33
36	33	57
36	34	69
36	35	62
36	36	54
36	37	46
36	38	121
36	39	30
36	40	61
36	41	38
36	42	79
36	43	41
36	44	32

AC_No	*PART NO*	*Total*
36	45	19
36	46	26
36	47	17
36	48	19
36	49	31
36	50	22
36	51	8
36	52	14
36	53	12
36	54	23
36	55	35
36	56	13
36	57	49
36	58	61
36	59	34
36	60	19
36	61	46
36	62	32
36	63	38
36	64	21
36	65	40
36	66	54
36	67	53
36	68	63
36	69	45
36	70	82
36	71	57
36	72	70

AC_No	*PART NO*	*Total*
36	73	102
36	74	43
36	75	22
36	76	103
36	77	70
36	78	46
36	79	31
36	80	64
36	81	24
36	82	22
36	83	82
36	84	55
36	85	23
36	86	32
36	87	18
36	88	52
36	89	93
36	90	79
36	91	43
36	92	27
36	93	59
36	94	26
36	95	44
36	96	14
36	97	7
36	98	27
36	99	2
36	100	6

AC_No	PART NO	Total
36	101	18
36	102	46
36	103	14
36	104	29
36	105	40
36	106	114
36	107	32
36	108	42
36	109	5
36	110	1
36	111	115
36	112	25
36	113	22
36	114	28
36	115	48
36	116	37
36	117	5
36	118	0
36	119	1
36	120	3
36	121	0
36	122	75
36	123	31
36	124	74
36	125	28
36	126	23
36	127	36
36	128	28

AC_No	PART NO	Total
36	129	25
36	130	10
36	131	18
36	132	34
36	133	19
36	134	78
Total:		**5875**

महिपाल पुर : पोलिग बथ-109 नए वोट = 05

महिपालपुर : पोलिग बूथ-110 नए वोट = 01

रंगपुरी : पोलिग बूथ - 120, 119 एवं 117 कुल नए वोट = 09

रगंपुरी व महिपालपुर झग्गी बस्ती = कुल नए वोट = 15 (विवरणीकानुसार)

133. श्री श्रीकृष्ण त्यागी: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि पर पर्यटन स्थल एव लघु व्यापार केन्द्र बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या हैं?

मुख्य मंत्री जी :

(क)व(ख) जी नहीं, पर्टयन विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है।

134. श्री रमेश बिधूड़ी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र भाग-1 व 2 में मात्र 55 कम्पनियों द्वारा ही कनवर्जन शुल्क जमा कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कनवर्जन शुल्क जमा न करने के कारण क्या शेष कम्पनियों के विरुद्व सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या करण है?

मुख्य मंत्री जी:

(क) दक्षिण दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 56 औद्योगिक इकाईयों से कनवर्जन शुल्क प्राप्त किया गया है।

(ख) डी.एम.सी. एक्ट के तहत कनवर्जन शुल्क जमा न करने वाली इकाईयों के विरुद्व कार्यवाही शुरु की जा चुकी है।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार धारा 345-ए के तहत 69 औद्योगिक इकाईयों जिनको कनवर्जन कनवर्जन शुल्क जमा कराना है के खिलाफ अब तक सील करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जिन औद्योगिक इकाईयों ने 2011-12 का कनवर्जन शुल्क 30.6.2012 तक पालिसी के तहत जमा नहीं कराया है ऐसी इकाईयों के विरुद्व कार्यवाही होना तय है।

135. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि एन.डी.पी.एल. में कार्यरत तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दी जाती है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि एन.डी.पी.एल. द्वारा नियुक्त की गई महिला कर्मियों को उपरोक्त सुविधा नहीं दी जाती, और

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं तथा एन.डी.पी.एल. द्वारा नियुक्त महिला कर्मियों को कब तक यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी?

उद्योग मंत्री जी:

एनडीपीएल (अब टीपीडीडीएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार :-

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। एनडीपीएल द्वारा निजीकरण के पश्चात् अनुबन्ध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जाती है।

(ग) चाईल्ड केयर लीव के नियमानुसार केवल दिल्ली विद्युत बोर्ड से हस्तान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं तथा एनडीपीएल द्वारा जुलाई 2002 के बाद अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इन अधिकारियों/कर्मचारियों पर FR/SR लागू नहीं होते हैं।

136. श्री एस.सी.एल. गुप्ता: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि संगम विहार के निकट देवली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को 200 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 10 बीधा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस भूमि की कुल धन राशि स्वास्थ्य विभाग ने राजस्व विभाग या डी.डी.ए. को जमा कर दी है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) क्या उक्त अस्पताल के निर्माण हेतु बजट प्रावधान कर दिया गया है, यदि हाँ, तो उसकी कुल धनराशि कितनी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) धन राशि जमा न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित है:-

* आवंटन पत्र में प्लॉट का माप 10 बीघा 18 बिस्वा दर्शाया गया है, जबकि पैमाइश के दौरान केवल 4 बीघा पाया गया है, जिस कारण यहाँ 200 बेड वाला अस्पताल बनाया ही नहीं जा सकता हैं।

* उक्त भूमि पर मास्टर प्लान 2021 के अनुसार यहाँ अस्पताल बना सकने के लिए भूमि के उपयोग के स्पष्टीकरण हेतु डी.डी.ए. को दिनाँक 28.02.2012 को एक पत्र लिखा गया है, जिसकी पुष्टि/स्वीकृति डी.डी.ए. से वांछित है।

* इस प्लाट का पहुँच मार्ग केवल 5.5 मीटर है, जबकि बिल्डिंग प्लान की अग्निशमन विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर सकने के मापदंड से कम है।

* इस प्लॉट के आगे के हिस्से के उपर से बिजली की हाईटेंशन लाईन जा रही है, जिसकी वजह से मौजूदा प्लॉट की उपयोगिता और कम हो जाती है।

* यह भूमि बहुत ही खराब हैं, जिसमें विभिन्न हिस्सों में स्तर का अंतर 18 से 20 फुट तक है।

* यहाँ पानी की उपलब्धता की उचित व्यवस्था नहीं है। उपर कथिल मुख्य समस्याओं के निदान व डी.डी.ए. से भूमि की उपयोगिता की स्वीकृति मिलने पर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

(घ) जी नहीं। उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

137. श्री मालाराम गंगवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि रोड नं. 33 पंजाबी बाग से विशाल एंक्लेव, नजफगढ नाले पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव था,

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रस्ताव को टेक्नीकल कमेटी ने पास कर दिया है, और

(घ) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब होगा तथा कब तक पूरा होगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) इस पुल के निर्माण के लिए नींव की मिट्‌टी की जाँच करवा ली गई है तथा सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा डिजाइन एवं ड्राइंग बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी हाँ। इस प्रस्ताव को तकनीकी सलाहकार समिति की 29 वीं बैठक में स्वीकृत किया गया ।

(घ) इस पुल के निर्माण कार्य के लिए जुलाई, 2012 के अन्त तक निविदाएँ आमंत्रित कर अगस्त 2012 में अवार्ड करने का लक्षय है। यदि नालें में पानी का बहाव बरसात के कारण नहीं बढता तो सितंबर माह में कार्य आरभं करने का लक्ष्य है अन्यथा मानसून के बाद 15 अक्टूबर से कार्य शुरु होने की संभावना है तथा उसके बाद यह कार्य 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है।

138. श्री ओ.पी. बब्बरः क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) दिल्ली में कितनी वस्तुएँ मूल्य संवद्धित कर (वैट) के अंतर्गत आती है;

(ख) क्या यह सत्य है कि मूल्य संबद्धित कर (वैट) की दरें कम होने से दिल्ली के राजस्व में वृद्धि हो सकती है;

(ग) क्या पैट्रोलियम, इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं दवाइयों पर वैट घटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) मुद्रास्फीति को देखते हुए क्या वैट के लिए समन्वित योजना में बदलाव कर 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं?

मुख्य मंत्री जीः

(क) मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली प्रवृष्टियाँ, जिनकी संख्या 79 है, को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएँ मूल्य संवद्धित कर (वैट) के अंतर्गत आती है। 'सूची परिशिष्ट 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनांस मिनिस्टर्स ने काफी विचार-विमर्श के पश्चात् सर्व-सम्मति से विभिन्न वस्तुओं की अलग-अलग सूची तैयार की है

जिससे सभी राज्यों में विभिन्न वस्तुओं की कर की दरें समान रहें। राज्यों को इन सूचियों में वस्तुओं की दरों को घटाने की छूट बहुत कम है क्योंकि दर घटाने से पड़ोसी राज्यों के व्यापार पर विरीत असर पडता है।(एम्पावर्ड कमेटी वस्तुओं की सूची परिशिष्ट 'ख' पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।) प्रथम दृष्टि में दरें कम करने पर राजस्व में भी कमी आयेगी।

(ग) दिनाँक 24.5.2012 से पैट्रोल के मूल्यों में 6 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ी हुई कीमत पर लगने वाले अतिरिक्त वैट की राशि 1 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर बनती है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट प्रस्तावों में इस अतिरिक्त वैट का भार ग्राहकों पर नहीं डालने का प्रस्ताव विधान सभा के पटल पर रखा है। अन्य किसी पैट्रोलियम उत्पाद, इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं दवाइयों पर वैट घटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी नहीं। वर्तमान में लागू विभिन्न समन्वित योजनाओं का सारांश परिशिष्ट 'ग' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

139. **श्री मोहन सिंह बिष्ट:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि अनधिकृत बस्तियों में विद्युतीकरण करने से पहले क्षेत्र के लोगों को ट्रांसफार्मर के लिए प्लाट देना अनिवार्य होता था,

(ख) यदि हाँ, तो क्या करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कालोनी वासियों ने इस उद्देश्य से दिल्ली विद्युत बोर्ड को अपने प्लाट दिये थे तथा क्षेत्रफल के अनुसार इनकी रजिस्ट्र की थी,

(ग) यदि हाँ, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन कॉलोनी के लोगों ने प्लाट दिये हैं, और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त भूमि को भू-माफिया के लोग कब्जा कर बेचना चाहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री जी:

बीएसईएस यमुना पावर लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार :-

(क) जी हाँ।

(ख)एवं(ग) 11 के.वी. के सब-स्टेशन स्थापित करने हेतु, 18 प्लाट आर.डब्ल्यू.ए. के माध्यम से दिल्ली विद्युत बोर्ड को हस्तान्तरित किए गए थे लेकिन दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा इन प्लाटों की कोई रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी। इन प्लाटों की सूची अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

(घ) जी नहीं। प्रश्न संख्या - 139 का अनुलग्नक

LIST OF 11KV ESS AT KARAWAL NAGAR

S.No	*Location of Scheme/Project*	*Area (in Sqm)*
1	Nehru Vihar, Karawal Nagar	74.35
2	11 kv s/stn. Shakti Vihar, Karawal Nagar.	74.35
3	Surya Vihar, Sadatpur (East) Karawal Nagar	66.91
4	Near Public School, Shanti Nagar, plot no. 1C, Karawal Nagar.	139.4
5	8/16 B Block, Sadatpur Extn. Karawal Nagar.	54.56
6	Near Masjid Badu Nagar. Karawal Nagar. Extn. no. 1	55.76
7	Near Masjid Badu Nagar. Karawal Nagar. Extn. no. 2	55.76
8	E & F block Paschim Karawal Nagar.	66.91
9	C & D block Paschim Karawal Nagar.	64.12

10	E-Block Khajuri Cly, Karawal Nagar.	50.75
11	Gali No. 11 Bhagirathi Vihar, Karawal Nagar.	64.12
12	Gali No. 12 Bhagirathi Vihar, Karawal Nagar.	64.12
13	Behind Maternity Hospital C Block, Aman Vihar Karawal Nagar.	81.55
14	Goli No. 8] Shakti Vihar Karawal Nagar.	74.35
15	Shahid Bhagat Singh Cly. West Karawal Nagar ESS No.1	55.76
16	Shahid Bhagat Singh Cly. West Karawal Nagar ESS No. 2	55.76
17	Shahid Bhagat Singh Cly. West Karawal Nagar ESS No. 3	61.34
18	Gobind vihar (plot no. 250) Karawal Nagar (court case pending)	80.92

140. श्री श्याम लाल गर्गः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की सरकारी वेबसाइट के अनुसार प्रगति अपार्टमेंट, पाकेट 3 एवं पाकेट 1 पश्चिमपुरी को विधानसभा क्षेत्र संख्या 15 के अंतर्गत आता है,

(ख) यदि हाँ तो किस आधार पर प्रगति अपार्टमेंट तथा पाकेट 3 को विधानसभा क्षेत्र संख्या 26 के अंतर्गत माना जा रहा है और

(ग) यह विसंगति कब तक दूर कर दी जायेगी?

उद्योग मंत्री जीः

(क) दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी वैबसाइट पर नगर निगम के वार्डो के परिसीमन का ब्यौरा उपलब्ध है न कि विधानसभा क्षेत्रों का। जिला चुनाव अधिकारी (उत्तर एवं पश्यिम) दिल्ली जिला से प्राप्त सूचना के अनुसारः-

1 पाकेट-1 पश्चिम पुरी क्षेत्र ही 15-शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में आता है। 2 परन्तु पाकेट-3 पश्चिमपुरी एवं प्रगति अपार्टमैंट पश्चिमपुरी, 26-मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली की वैबसाईट में भी ऐसा ही दर्शाया गया है।

(ख) दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों एवं लोंकसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण भारत परिसीमन आयोग के आदेश सं. 30 दिनाँक 20.09.2006 के आधार पर किया गया है।

(घ) यह मामला परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

468. **श्री कुलवन्त राणाः** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वंय संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने खाद्य अपमिश्रण विधेयक का प्रारुप बना लिया है,यदि हाँ, तो सरकार कौन से सत्र में पेश करेगी, और इस विधेयक का प्रारुप क्या है, सम्पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में दूध निर्मित पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मसाले, शीतल पेय में भारी मिलावट की जाती है, तथा फल एवं सब्जियों में खतरनाक रंगों का उपयोग किया जाता है:

(घ) दिल्ली सरकार के अपमिश्रण विभाग ने वर्ष 2008 से 2012 तक कितने व्यक्तियों के यहाँ छापे मारे, कितनों के सैम्पल लिये गये, इसमें से कितने दोषी पाये गये उनकी सूची नाम, पते व फर्म के नाम क्या हैं, कितनों के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करवाई गई और कितनों को कोर्ट द्वारा सजा दी गई, पूर्ण ब्यौरा दिया जाये?

(ड.) क्या यह भी सत्य है कि विधान सभा में इस विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा कई बार संकल्प लाया जा चुका है, और माननीय खाद्य अपमिश्रण पर सख्त कानून लाने का आश्वासन दिया जा चुका है,

(च) क्या दिल्ली सरकार के पास एक ही लैब है, जिसमें संशाधनों व स्टाफ की कमी है इसके अलावा और भी लैब खोलने की तथा और कर्मचारियों की नियुक्ति की कोई योजना है, और

(छ.) यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण दिया जाये, और यदि नहीं तो इसके क्या करण हैं, पूर्ण विवरण किया जाये?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त उत्तर के कारण लागू नहीं है।

(ग) जी नहीं। जाँच के लिये उठाये गये कुछ खाद्य पदार्थो के नमूनों मेंही मिलावट पाई गई।

(घ) दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2008 से 2012 तक 13779 सैंम्पल लिये गये इनमें से 769 मामलों में कानून का उल्लंघन पाया गया जिसका पूर्ण

ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है तथा इस अवधि में 311 मामलों में कार्ट द्वारा सजा हुई। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/ नियमों व खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम/ नियमों/ रेगुलेशन्स के अन्तर्गत दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का प्रावधान नहीं है।

(ड.) इस विभाग में इस संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(च)व(छ.) जी हाँ। दिल्ली सरकार के पास एक ही लैंब है जिसमें केवल स्टाफ की कमी है। नई लैब खोलने की अभी कोई योजना नहीं है, कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के बाद रिक्त पदों को भरा जायेगा। जिसके लिये आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।

469. श्री कुलवन्त राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी सै.-4 विस्तार में औषधालय एवं सै. 23 में अस्पताल के लिए भूमि आरक्षित की हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकारण से प्राप्त करने लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई पत्राचार किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस भूमि को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा, पूर्ण विवरण क्या हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) रोहिणी सै.-4 विस्तार में औषधालय एवं सै. 23 में अस्पताल के लिए भूमि आरक्षित करने की कोई लिखित सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त नहीं

हुई है। परन्तु हाल ही में एक विभागीय मीटिंग के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने रोहिणी सै-4 विस्तार में औषद्यालय हेतु 1000 वर्ग मी. के एक प्लॉट को डी.डी.ए. एल.ए.पी. में चिन्हित होने की मौखिक सूचना दी है।

(ख) मौखिक सूचना के आधार पर रोहिणी सै. विस्तार में चिन्हित प्लॉट का निरीक्षण कर लिया गया है एवं उक्त प्लॉट के आबंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्तानुसार वर्तमान स्थिति मे समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

470. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सत्य है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने के लिये सरकार निरन्तर कोई कार्यक्रम चला रही है?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षो में मिलावट रोकने के क्या-क्या प्रयास किये गये है?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में मिलावट करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ प्रशासनिक व कानूनी कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली में पिछले दो वर्षो के दौरान कुल कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है, व जिला वाईज विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा गत दो वर्षो में विभिन्न खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने हेतु नियमित रुप से उनके निर्माताओं, वितरकों एंव विक्रेताओं से दिल्ली क्षेत्र के सभी 27 उपमंडलों से जाँच हेतु खाद्य नमूने उठाये गये। त्यौहरों पर एंव मौसम की माँग अनुसार समय-समय पर विभिन्न खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम के लिये विशेष अभियान भी चलाये गये।

(ग) दिल्ली में मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/ नियमों व खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम/नियमों/रेगुलेशन्स के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गई।

(घ) दिल्ली में पिछले दो वर्षो के दौरान कल 319 मामलों में लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमे दायर किये गये, जिसका जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है:- नई दिल्ली-13, नार्थ वेस्ट-36, वैस्ट-32 साउथ वैस्ट-30, ईस्ट-42, सैन्ट्र-39, साउथ-45, नार्थ-47, नार्थ ईस्ट-35

471. श्री साहब सिंह चौहान: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) पिछले पाँच वर्षों में मार्च, 2012 तक प्रत्येक वर्ष के अनुसार किन-किन एजेंसीज/ संस्थान/प्रतिष्ठान/दुकानों में मिलावट के नमूने उठाये गये हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त नमूनों में मिलावट पाये जाने पर किस-किस को क्या सजा दी गई है:

(ग) अपमिश्रण के नमूने उठाने कि लिये कौन सक्षम अधिकारी हैं तथा कौन से अन्य सहायक अधिकारी अपेक्षित होते हैं:

(घ) अपमिश्रण नमूने उठाने की प्रक्रिया क्या है, और

(ड.) घोण्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं के किन-किन वस्तुओं के किन-किन प्रतिष्ठानों से कब-कब नमूने उठाये गये हैं और इन पर क्या कार्रवाई हुई है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) पिछले पाँच वर्षो में मार्च 2012 तक विभाग द्वारा उठाये गये मिलावटी नमूनों को विस्तृत ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्त अवधि में अदालत द्वारा 311 मामलों में 3 महीने से 3 वर्ष 6 महीने तक कारावास व जुर्माने की सजा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई।

(ग) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम/नियमों/रेगुलेशन्स के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने उठाने के लिए सक्षम अधिकारी है तथा उसके साथ क्षेत्रीय सहायक भी होता है।

(घ) खाद्य नमूनें खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम/नियमों/रेगुलेशन्स के अन्तर्गत दर्शाती गई प्रक्रिया के अनुसार उठाये जाते हैं।

(ड.) घोण्डा विधान सभा क्षेत्र से उठाये गये नमूनों का ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों एवं खाद्य सुरक्षा व मानक

अधिनियम/ नियमों/रेगुलेशन्स के उल्लंघन के मामलों में विभागीय छानबीन के पश्चात, दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में मुकदमें दर्ज किये जाते हैं।

472. श्री श्रीकृष्णः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल में सन 2010 से विकलांगता प्रमाण पत्र देना बन्द कर गया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसको कब तक दोबारा शुरु किया जायेगा; और

(ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार की नियमित डिस्पैन्सरी खोलने की क्या योजना है और एक विधान सभा क्षेत्र में कितनी डिस्पेन्सरियाँ खोली जा सकती हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क)एवं(ख) जी हाँ। उत्तर पश्चित जिले में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निम्न चार अस्पताल प्राधिकृत हैं:-

1. डॉ. बाबा सहिब अंबेडकर अस्पताल रोहिणी
2. भगवान महावीर अस्पताल, पीतमपुरा
3. महर्षि वाल्मीकी अस्पताल पूठ खूर्द, बवाना
4. संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी

(ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के गाँव भूखमेलपुर में एक औषधालय खोलने की योजना है। जनसंख्या आधार पर औषधालय खोले जाते है:-

50,000 - शहरी क्षेत्र

50,000 - ग्रामीण क्षेत्र

473. श्री देवेन्द्र कुमारः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) बादली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बादलों में कितने प्रसूति गृह/जच्चा बच्चा केन्द्र हैं;

(ख) यदि नहीं है तो इसका क्या कारण है; और

(ग) कितनी आबादी में एक प्रसूति गृह/जच्चा बच्चा केन्द्र खोला जाता है और इनमें महिलाओं के लिए क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) प्रसूति गृह/जच्च केन्द्र दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचनानुसार बादली विधान सभा क्षेत्र में एक जच्च बच्च केंद्र है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) प्रसूति गृह 2 लाख की आबादी पर खौला जाता है व जच्चा बच्चा केंद्र 50 हजार से 1 लाख की आबादी पर खोला जाता है। निम्न सुविधाए उपलब्ध करवाई जाती है:-

1. गर्भवती की जाँच व टीकाकरण।

2. परिवार नियोजन स्थाई व अस्थाई।

3. सुरक्षित गर्भपात।

4. RTI + STI आदि की सुविधाएँ।

5. सुरक्षित प्रसूति।

474. श्री अनिल कुमारः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) पटपड़गंज विधान सभा क्षेत्र-57 में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के विस्तार की योजना किस चरण में है; तथा इस योजना को कब तक शुरु किया जायेगा; योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाये;

(ख) क्या यह सत्य है कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 12 बिस्तरों वाला गहन नवजात शिशु चिकित्सा कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ग) यदि हाँ, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा व इसकी कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या यह सत्य है कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों के लिये सी.टी. स्कैन व ईको (हृदय) जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं; और

(ड) इसके लिये क्या उचित कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) इस अस्पताल के विस्तार के लिए 7703 वर्ग मीटर जमीन डी.डी.ए. द्वारा आवंटित की गई है। इस जमीन के ऊपर से 220 के.बी. क्षमता वाली ट्रांसमीशन

लाइन गुजर रही है। इस लाइन को हटाने के मामले में विभिन्न विभागों जैसे यू. पी.टी.सी.एल., डी.टी.आर.सी. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर कई मीटिंग/निरीक्षण कार्य किए जा चुके हैं। परंतु सही विकल्प के लिए अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। इस विषय में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार के आदेशानुसार उपरोक्त विभागों द्वारा दिनाँक 02.05.2012 को निरीक्षण किया गया। यद्यपि लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अस्पताल के विस्तार के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है ताकि कार्य अतिशीघ्र किया जा सके।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह निर्माण कार्य 8-8 माह में पूरा होने की उम्मीद है। इसकी कुल लागत रुपये 34,46,300 है।

(घ) एवं (घ) जी हां। उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए सरकार सतत प्रयास करती रहती है।

475. श्री सुनील वैद्यः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों आदि में रोगियों के कल्याण के लिए रोगी कल्याण समितियों के गठन का प्रावधान है,

(ख) यदि हाँ, तो त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों में गठित समितियों का विवरण क्या है,

(ग) क्या क्षेत्रीय विधायक इन समितियों का गठन कर सकता है, और

(घ) यदि हाँ, तो गठन का क्या तरीका है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क)एव(ख) जी हाँ। फिलहाल रोगी कल्याण समितियों का गठन अस्पतालों तक सीमित है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार।

476. श्री सुनील वैद्यः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में 100 बैड का अस्पताल का निर्माण, ब्लॉक-23 में डिस्पेंसरी, मयूर विहार थाने के साथ खाली पड़ी जमीन पर जच्चा-बच्चा केंद्र (Mather and Child Care Centre under SCP) चिल्ला गाँव में डिस्पेंसरी, न्यू अशोक नगर में डिस्पेंसरी आदि का निर्माण विचाराधीन है।

(ख) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों व क्षेत्रीय विधायक के साथ कई बाद बैठक हो चुकी है,

(ग) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक शुरु हो जाएँगें, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) अभी तक उक्त स्थानों पर भूमि का आबंटन नहीं हुआ है। इस कारण वर्तमान में समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

477. श्री मनोज कुमारः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में कितने मोबाइल डिस्पेंसरियाँ चलाई जा रही हैं विधान सभा क्षेत्रानुसार इसका विवरण क्या हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा के अधिकारी क्षेत्रीय विधायकों से संपर्क नहीं रखते हैं, जिसके कारण इनका क्षेत्र में समुचित उपयोग नहीं हो पाता; और

(ग) क्या सरकार इस संदर्भ में क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी करेगी?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में 90 मोबाइल डिस्पेंसरियाँ चलाई जा रही हैं। विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। (पुस्तकालय में उपलब्ध हैं)

(ख)व(ग) जी नहीं। यह डिस्पेंसरियाँ अधिकारियों व क्षेत्रीय विधायकों के आपसी तालमेल, सलाह से चलाई जाती हैं।

478. श्री कुलवन्त राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अस्पताल सै. 6 रोहिणी दिल्ली को वर्ष 2010-11 में मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसको मेडिकल कॉलेज बनाने की सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं या अभी कुछ शेष है;

(ग) क्या इसके नए भवन निर्माण कि लिए अस्पताल परिसर में पर्याप्त स्थान है, यदि नहीं, तो दिल्ली सरकार इस कभी को पूरा करने के लिए क्या योजना बना रही है, पूर्ण विवरण क्या है, और

(घ) यदि हाँ, तो इसके भवन निर्माण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और कब तक अस्तित्व में आ जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) कसलटेंट नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

(ग) जी हाँ।

(घ) निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति होने के बाद 30 माह में।

479. श्री ओ.पी.बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के मध्य में स्थित दीन दयाल अस्पताल, हरि नगर में लोगों की भारी संस्था में भींड़ हों रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बाहर के गरीब मरीजों को दी जाने वाली दवाईयों की उपरोक्त अस्पताल में कमी है;

(ग) इस अस्पताल में सफाई व वाता वरण सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) एक ही बिस्तर पर 2 से 3 मरीजों को एक साथ रखने से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) अस्पताल में गरीब मरीजों की दवाई/आर्थिक लाभ एवं अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था के लिए क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये प्राईवेट एजेंसी (कांट्रेक्ट आधार पर) और सरकारी सफाई कर्मचारियों दोनों के द्वारा देखभाल की जाती है। इस समय 185 सफाई कर्मचारी के साथ 06 सुपरवाइजर व लगभग 90 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा सफाई के लिए मशीनीकृत सेवा भी उपलब्ध है जो बी. एम.डब्ल्यू. से पथ निर्देशों के अनुसार सफाई कार्य करते हैं, जिसका नियंत्रण एवं देखरेख सेनेटरी इन्सपेक्टर करता है। एरिया के अनुसार सम्बंधित कार्यक्षेत्र के हिसाब से चार डॉक्टरों के अधीन निरीक्षण समितियाँ अंकित की गई हैं, जो समय-समय पर सफाई सम्बंधित देखरेख करती है और अपनी रिपोर्ट व सुझाव

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। पर्यावरण सुधार एवं सौन्दर्य करण के देखरेख के लिये एक अलग से समिति गठित की गई है।

(घ)एवं(ड.) दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में वर्तमान में 640 बैड अतरंग विभाग सेवा में उपलब्ध है। सुविधाओं के बिस्तार के कार्य निरंतर होते रहते है।

480. श्री वीरसिंह धिंगानः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कान्ट्रक्ट बेसिस पर पैरा-मेडिकल कर्मचारी काम कर रहे हैं?

(ख) यदि हाँ, तो इन अस्पतालों में किस-किस श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी कितने समय से काम कर रहे हैं?

(ग) क्या यह भी सत्य है सरकार ने कान्ट्रेक्ट बेसिस के कुछ कर्मचारियों को नियमित भी किया है?

(घ) यदि हाँ, तो किस-किस श्रेणी के कुछ कितने कर्मचारियों को नियमित भी किया है,

(ड.) क्या यह भी सत्य है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में कान्ट्रेक्ट बेसिस में कार्य कर रहे पैरा-मेडिकल कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है?

(च) यदि हाँ, तो कितने पैरा-मेडिकल व अन्य कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा?

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हाँ।

(ख) परिशिष्ट ''अ'' पुस्तकालय में उपलब्ध है तथा ये सभी कर्मचारी वर्ष 2000 से 2012 के बीच में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

(ग)एवं(घ) स्वास्थ्य विभाग ने सन् 2008 में दिल्ली सरकार के 5 अस्पतालों में कार्य कर रहे 153 ग्रुप डी कर्मचारियों को नियमित किया था। ये कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों जो कि दैनिक भोगी, अस्थाई कर्मचारी/अनुबंधित कर्मचारी की श्रेणी के थे। स्वास्थ्य विभाग ने संध लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्तता मूल्यांकन के बाद की गयी सिफारिश उपयुक्तता मूल्यांकन के बाद की गयी सिफारिश तथा विभागीय आदेश संख्या एफ. 70/49/2006/स्वा.एवंप. क. वि.4/पार्ट फाईल/ 2670-2700 दिनाँक 15.05.2012 पर 522 अनुबंध पर कार्य कर रहे विभिन्न चिकित्सकों को डी.एच.एस. के संबंधित सब-कैडर्स में इनिशियल कांस्टिटयूशन के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ड.) जी नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(छ) अभी ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

481. श्री मालाराम गंगवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या मादीपुर कॉलोनी में 200 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार ने अस्पताल का नक्शा तैयार कर लिया है;

(ग) अस्पताल की खुदाई का कार्य कब तक शुरु कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने अस्पताल की भूमि संबंधी विवाद सुलझा लिया है; और

(ड.) प्रशासन खाली पड़ी जमीन को भी कब तक अपने कब्जे में ले लेगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सभी विभागों से क्लीयरेंस मिलने के पश्चात्।

(घ) इस भूमि से सम्बंधी कोई भी विवाद नहीं है।

(ड.) अस्पताल बनाने हेतु आबंटित जमीन का कब्जा लिया जा चुका है।

482. श्री मालाराम गंगवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार की मादीपुर कॉलोनी डी-ब्लाक में स्थित डिस्पेंसरी को तोड़कर बहुमंजिला डिस्पेंसरी बनाने की योजना थी,

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) डिस्पेंसरी के नव-निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) डिसपेंसरी का कार्य कब तक शुरु कर दिया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख)(ग)एंव(घ) लोक निर्माण विभाग से औषद्यालय भवन की वस्तुस्थिति जानने के लिए भवन का सर्वे कराया गया था। इसके अतिरिक्त इस भवन का संयुक्त निरीक्षण दिनाँक 02.06.2011 को डी.एच.एस. डी.यू.एस.आई.बी. एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह निर्धारित किया गया कि मादीपुर डिस्पेंसरी के निकट ही एक 200 बिस्तरों के अस्पताल की योजना हैं, अत: उक्त डिस्पेंसरी को बहुमंजिला बनाने की आवश्यकता नहीं है अपितु खाली स्थान में कुछ कमरों का निर्माण किया जा सकता है।

483. श्री साहब सिंह चौहान: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में प्राईवेट वार्डो की व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) वहाँ पर इलाज कराने के नियम व खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ अस्पतालों में अति विशिष्ट व विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों के इलाज के लिए कुछ व्यवस्थाऐं की गई है;

(ड.) यदि हाँ, तो किन-किन अस्पतालों में किस प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है व ये सुविधाएँ किस आधार पर दी जाती है;

(च) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में किन-किन विभागों में कितने-कितने वेन्टीलेटर्स उपलब्ध है;

(छ) क्या कि रोगियों की बढ़ती संख्या व क्रिटिकल रोगों को दृष्टि में रखत हुए क्या ये उपलब्ध वेंटिलेट्र्स पर्याप्त है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार अपेक्षित वेंटिलेट्र्स सहित अन्य संबंधित सुविधाएँ कब तक उपलब्ध करा देगी?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख)(ग)(घ)(ड.)व(च) विवरण परिशिष्ट 'अ' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(छ)व(ज) रोगियों की बढ़ती हुई संख्या जिसमें दिल्ली तथा अन्य बाहरी राज्यों के भी रोगी होते हैं, के कारणवश वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का दबाव अक्सर रहता है, परन्तु सरकार का सतत् प्रयास रहता है कि वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाऐं समुचित मात्रा में उपलब्ध हों।

484. श्री साहब सिंह चौहान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कुल कितने और कहां-कहां एवं कौन-कौन से सुपर स्पैशियलिटी हॉस्पिटल है;

(ख) इन अस्पतालों में कौन-कौन से रोगों के इलाज का सुपर स्पैशियलाइजेशन है?

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार कुछ सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में सौपने जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो वो कौन-कौन से अस्पताल है और निजीकरण के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री :

(क) सरकारी सुपर स्पेशयलिटी अस्पतालों की सूची 'अ' एवं निजी सुपर स्पेशयलिटी अस्पतालों की सूची 'ब' पर संलग्न है।

(ख) सूची अनुसार।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तनुसार लागू नहीं होता।

485. श्री अनिल कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बी.एस.ई.एस द्वारा बिजली का बिल यूनिट दर प्राणी के तहत बनाया जाता है, यदि हाँ, तो यह प्रणाली किस प्रकार से है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बिजली की यूनिट दी प्रणाली कॉलोनियों, पुर्नवास कॉलोनियों, झुग्गियों इत्यादि के लिए अलग-अलग है, यदि हाँ, तो अलग-अलग कॉलोनियों की प्रति यूनिट दर का ब्यौरा दिया जाता है,

(ग) यदि हाँ, जो दिल्ली सरकार को कई बार लिखे जाने के बावजूद हाई-टेंशन लाइनों को क्यों नहीं हटाया गया है,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि यमुना पार दिल्ली में किसी भी प्रकार की हाईमास्ट लाइनों का रख-रखाव बी.एस.ई.एस के अधीन है?

ऊर्जा मंत्रीः वितरण से प्राप्त सूचना के अनुसारः

(क) एवं (ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार सभी आवासीय इकाइयों जो विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आती है जैसे पुनर्वास कॉलोनियों, अनधिकृत कॉलोनी और सामान्य कॉलोनी में एक समान घरेलू दर से बिल भेजे जाते हैं।

(ग) दिल्ली सरकार की दिनॉक 27.11.2009 को जारी एचटी/एलटी लाइनों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति के अनुसार नियमित हो चुकी अनधिकृत कॉलोनियों में ही लाइन स्थानान्तरण का प्रावधान है। प्रावधिक अधिकृत (Provisionally authorized) कॉलोनियों में भी इस तरह स्थानान्तरण करने के लिए ऊर्जा विभाग ने रिक्मेंड किया है।

(घ) बी.एस.ई.एस यमुना पावर लि. द्वारा दिल्ली नगर निगम की सड़कों उपर 95, लोक निर्माण विभाग की 177 तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग की 06 हाईमास्ट लाइटों का रखरखाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी हाईमास्ट लाइटों का रखरखाव संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

486 श्री मनोज कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्तमान में कुल कितनी बिजली उपलब्ध है तथा उसके स्त्रोत कौन-कौन से हैं,

(ख) विभिन्न स्त्रोंतो से कितनी बिजली उपलब्ध होती है उसका विवरण क्या है,

(ग) दिल्ली में बिजली की कुल कितनी खपत है तथा न्यूनतम व अधिकतम कितनी बिजली की आवश्यकता होती है, और

(घ) उपलब्धता से अधिक मांग होने पर बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है,

ऊर्जा मंत्री :

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार :

(क) (ख) एंव (ग) वर्तमान उपलब्धता लगभग 5200 मेगावाट है जबकि वर्तमान मांग लगभग 5100 मेगावाट है। गर्मियों में बिजली की मांग इससे अधिक होने की उम्मीद है जिसकं लिए पर्याप्त व्यवस्था की है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं	*स्त्रोत का नाम*	*उपलब्धता मेगावाट में*
1. दिल्ली में उत्पादन		
(क)	राजघाट पावर हाउस	100
(ख)	गैस टरवाइन	220
(ग)	प्रगति पावर	300
(घ)	बदरपुर थर्मल पावर	600
(ड़)	रिठाला	30
(च)	बवाना सीसीजीटी	320
	दिल्ली में कुल उपलब्धता	**1570**
2. केंद्रिय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों की उपलब्धता		3000
3. डीवीसी से उपलब्धता		400
4 .अन्य स्त्रोतों से खरीद		600
5. कुल उपलब्धता (1) + (2)+ (3)		**5570**
6. विद्युत मांग		**5500**
7. अधिशेष		**70**

(घ) बिजली की निर्बाध आपूर्ति दके लिए दिनांक 01.04.2007 से बिजली खरीदने की जिम्मेदारी वितरण कम्पनियों की है। तथापि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नई परियोजनाएं तथा वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत खरीद करार विस्तृत प्रबंध किए गए हैं।

487. श्री राम सिंह नेताजी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव मोलडबन्द की ग्राम सभा की जमीन खसरा नं. 860ए 861/1 पर 66 के.वी.ए बिजली ग्रिड बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस संदर्भ में क्षेत्रीय विधायक ने कई बैठकें मानीय ऊर्जा मंत्री व ऊर्जा विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ कर चुका हूँ और

(ग) इस ग्रिड का कार्य कब आरंभ हो जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार:

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) 66/11 के.वी ग्रिड सब-स्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता तथा दिल्ली विद्युत वितनयामक आयोग के अनुमोदन के बाद सब-स्टेशन का कार्य आरंभ किया जाएगा।

488. श्री ओ.पी.बब्बर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बिजली की कटौती होने के कारण तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली चोरी संभावित क्षेत्र बन गया है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में नियमित रुप से बिजली की कटौती होती है,

(ग) यदि हाँ, तो संबंधित कर्मचारियों की जानकारी में लाने के बावजूद आज भी लगातार बिजली कटौती हो रही है, और

(घ) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र को बिजली काटौती से मुक्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग)एवं (घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

489. श्री एस.सी.एल. गुप्ता : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रिहाइशी इलाकों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन जो जनता के लिए मौत का सबब बनी हुई हैं उसको हटाना जरुरी है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि संगम विहार विधान सभा के वार्ड संख्या 188 में हाई-टेंशन लाइन मात्र 6 फीट की ऊँचाई पर है और वो लोगों के घरों के अन्दर से जा रही हैं,

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली सरकार को कई बार लिखे जाने के बावजूद हाई-टेंशन लाइनों को क्यों नहीं हटाया गया है,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कई बार लिखने के बावजूद कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जाँच रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है, और

(ड.) क्या यह सत्य है कि संगम विहार में कनैक्शन उपलब्ध कराने के लिये नये ट्रांसफार्मर लगाये जा सकते हैं?

ऊर्जा मंत्री जी: बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार :-

(क)एवं(ख) एवटी/एलटी लाईनें बिछाने से पहले उपयुक्त राईट ऑफ वे पदान किया गया था एवं अन्य सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन समय के साथ दिल्ली की आबादी बढ़ती गयी एवं लोगों ने इन लाइनों के नीचे एवं आसपास में नियमों के विरुद्ध निर्माण कर लिए। इस संबंध में समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आम जनता को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार के सभी निर्माण जोकि नियमानुसार न्यूनतम दूरी के अनुरुप नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं।

(ख)एवं(ग) दिल्ली सरकार की दिनाँक 27.11.2009 को जारी एचटी/एलटी लाइनों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति के अनुसार नियमित हो चुकी अनधिकृत कालोनियों में ही लाइन स्थानान्तरण का प्रावधान है। प्रावधिक अधिकृत (Provisionally authorized) कालोनियों में भी इस तरह स्थानान्तरण करने के लिए ऊर्जा विभाग ने रिक्मेंड किया है।

(ड.) जी हाँ।

490. श्री माला राम गंगवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब से दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण किया गया है बिजली कम्पनियों को तब से अब तक (2012 अप्रैल) कितना लाभ व हानि हुई है,

(ख) क्या है कि कुछ समय से बिजली कम्पनी लगातार घाटा दिखा रही हैं,

(ग) वर्तमान में बिजली चोरी लगभग समाप्त है, बिजली कम्पनियों को प्रति यूनिट अच्छे रेट मिल रहे हें, फिर भी घाटे का क्या कारण है, और

(घ) सरकार बार-बार बिजली की दरें क्यों बढ़ा रही हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग तथा वितरण कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार:

(क)एवं(ख) वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक का तीनों विवरण कम्पनियों का लेखापरिक्षित लाभ-हानि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

बही लाभ /(हानि)कर उपरान्त एवं रोकड़ लाभ/हानि करोड़ रुपये में

	बीआरपीएन		*बीवाईपीएल*		*एनडीपीएल*	
	बही लाभ/हानि	*रोकड़ लाभ/हानि*	*बही लाभ/हानि*	*रोकड़ लाभ/हानि*	*बही लाभ/हानि*	*रोकड़ लाभ/हानि*
2002-03*	(56.95)		(100.95)		22.21	
2003-04	(31.81)		(55.29)		29.29	
2004-05	60.44		6.52		56.76	
2005-06	89.38		46.36		112.52	
2006-07	26.92		48.03		185.79	
2007-08	(449.34)		(55.00)		281.58	

2008-09	(108.45)		57.62		171.47	
2009-10	186.61	(641.19)	76.85	(185.7)	350.73	(341.95)
2010-11	388.07	(1703.41)	155.11	(1169.75)	258.18	(898.25)

* केवल 01.07.2002 से 31.03.2003 तक

नियामक संपत्ति, जोकि भविष्य के टेरिफ के तहत वसूली जानी है, इसके मद्देनजर वितरण कम्पनियों को 2009-10 और 2010-11 में रोकड़ नुकसान हुआ है। वर्ष 2011-12 के आंकड़ों का वितरण कम्पनियों द्वारा संकलन किया जा रहा है।

(ग)एवं(घ) वितरण कम्पनियों के निजीकरण से पूर्व ए.टी. एण्ड सी. का घाटा 50 प्रतिशत से अधिक था जोकि अब लगभग 20 प्रतिशत से नीचे आ चुका है। इस घाटे के लिए प्रति वर्ष दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा बिजली दरों का निर्धारण वितरण कम्ननियों द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका तथा टू-अप याचिका ARR Petitions and true-up Petitions) में प्रस्तुत आंकड़ों के आंकलन के अनूसार किया जाता है। प्रति वर्ष बिजली खरीद मूल्य में लगातार तथा अत्यधिक वृद्धि के चलते, ए. टी. एण्ड सी घाटे में कमी से हुए लाभ के बावजूद, आयोग को दरों में वृद्धि करनी पड़ी।

491. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के विद्युत विभाग के अन्तर्गत आने वाले ट्रांस्को द्वारा अनोथेराईज कालोनी के ऊपर गुजरने वाले हाईटेंशन की तारों को बदलने की विभाग द्वारा कोई योजना है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली श्री राम कालोनी के ऊपर से 11000 के.वी. की लाइन गुजर रही है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों के अन्दर 11000 के.वी. की लाईन टूटने से भयंकर घटना हुई थी,

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि घटना के बाद भी मकान बनाये गये हैं, और

(ड.) यदि हाँ, तो इनको कब तक हटा दिया जायेगा बताने की कृपा करें?

ऊर्जा मंत्री जी: दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

(क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के ट्रांसमिशन नेटवर्क में 11000 के.वी. की कोई लाइन नहीं है।

(ग)(घ)एवं(ड़) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

492. श्री सतप्रकाश राणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य हे कि दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव व इनकी मरम्मत का कार्य बीएसईएस करती है या इस कार्य के लिए सरकार धनराशि आबंटन करती है,

(ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में बीएसईएस के पास कुल कितनी स्ट्रीट लाईटें हैं,

(ग) क्या यह सत्य है कि स्ट्रीट लाईटें खराब हो जाती हैं तो विभाग इनको बदलने का कार्य करता है,

(घ) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष में कितनी स्ट्रीट लाईटें बदली गई या नई लगाई गई,

(ङ.) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में जहाँ पर स्ट्रीट लाईट नहीं है बीएसईएस वहाँ आवश्यकतानुसार नई स्ट्रीट लाईट भी लगाा रही है, और

(च) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष में उक्त क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर कितनी स्ट्रीट लाईट लगाई गई?

ऊर्जा मंत्री जी:

लोक निर्माण विभाग तथा बीएसईएस राजधानी पावर कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

(क) दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव बीएसईएस के अलावा अन्य एजेंसियाँ भी करती हैं। इसके लिए संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा धनराशि/मरम्मत शुल्क वितरण कम्पनी/ अन्य एजेंसियों को दिया जाता है।

(ख) बिजवाजस विधान सभा क्षेत्र में वितरण कम्पनी के पास रखरखाव हेतु 5426 स्ट्रीट लाइटें हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाईट के रख-रखाव हेतु वितरण कम्पनी द्वारा 150 वाट के 1278 लैम्प, 70 वॉट के 1130 लैम्प, 150 वॉट के 520 बालॉस्ट, 70 वॉट के 850 बालॉस्ट तथा 2500 इग्नाईटर बदले गये।

(ड़.) वितरण कम्पनी द्वारा मौजूदा उन स्ट्रीट लाईट का केवल रख-रखाव का कार्य किया जाता है जो भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा उन्हें सौंपी जाती है। नई स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य केवल उचित माध्यम से मिले आवेदन तथा लागत राशि मिलने के पश्चात् किया जाता है।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान वितरण कम्पनी द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में कोई भी नई स्ट्रीट लाईट नहीं लगाई गई।

493. श्री साहब सिंह चौहान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में बिजली की दरों/टैरिफ/सेवाएँ चार्ज आदि में बढ़ोतरी की गई है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसका जस्टीफिकेशन क्या है,

(ग) 2002 से अब तक कब-कब ऊर्जा की दरों में कितनी-कितनी वृद्धि की गई है, और उसका ब्यौरा क्या है,

(घ) दिल्ली में विभिन्न किन-किन स्त्रोंतों से कितनी-कितनी बिजली प्राप्त होती है व दिल्ली में बिजली की कितनी आवश्यकता है, और

(ड़.) क्या यह भी सत्य है कि बिजली की निजी कम्पनियाँ दिल्ली से बाहर बिजली की बेचती रही हैं, तो कब-कब तथा किन रेटों पर बेची गई?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) वितरण कम्पनियों की ARR Petitions जिसमें कम्पनियों की ऊर्जा खरीद, परिचालन व रख-रखाव के खर्चे, मूल्याह्रास, निश्चित आय आदि का लेखाजोखा होता है, के आधार पर दरों का निर्धारण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

(ग) 2002 से अब तक की गई ऊर्जा की दरों में वृद्धि का ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) वर्तमान उपलब्धता लगभग 5200 मेगावाट है जबकि वर्तमान माँग लगभग 5100 मेगावाट है। गर्मियों में बिजली की माँग इससे अधिक होने की उम्मीद है जिसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	*स्त्रोत का नाम*	*उपलब्धता मेगावाट में*
1	दिल्ली में उत्पादन	
	(क) राजघाट पावर हाउस	100
	(ख) गैस टरवाइन	220
	(ग) प्रगति पावर	300
	(घ) बदरपुर थर्मल पावर	600
	(ड़) रिठाला	30
	(च) बवाना सीसीजीटीं	320
	दिल्ली में कुल उपलब्धता	1570
2	केंद्रिय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों की उपलब्धता	3000
3	डीवीसी से उपलब्धता	400
4	अन्य स्त्रोतों से खरीद	600

5	कुल उपलब्धता (1)+(2)+(3)	5570
6	विद्धुत मांग	5500
7	अधिशेष	70

बिजली की र्निबाध आपूर्ति के लिए दिनांक 1-4-2007 से बिजली खरीदने की जिम्मदारी वितरण कम्पनियों की है। तथापि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नई परियोजनाएं तथा वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत खरीद करार करके विस्तृत प्रबंध किए गए हैं।

(ड़.) रात के कुछ घण्टों में दिल्ली में बिजली की उपलब्धता खपत की अपेक्षा काफी अधिक होती है जिसके कारण पावर एक्सचेंज तथा बैंकिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली दिल्ली से बाहर बेची जाती है। जिसका ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

495. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक व अन्य पिछडा वर्ग के स्कूली छात्र/छात्राओं को कोई वजीफा देती है

(ख) यदि हाँ, तो सरकार किस-किस वर्ग के स्कूली छात्र/छात्राओं को कुल कितना-कितना वजीफा देती है।

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अल्यसंख्यक व ओ.बी.सी के स्कूली छात्र/छात्राओं को 1993 का रिहायशी प्रमाण पत्र न देने के कारण उनके जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पाते जिस कारण व सरकार द्वारा दिए जाने वाले वजीफे से वंचित रहते है।

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक व ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने संबंधी फार्म से 1993 रहने की अनिवार्यता समाप्त करेगी, और

(ड़.) यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ,

(ख) ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग)(घ)व(ड़.) राजस्व विभाग अन्य पिछडा र्वग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करने पर अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करता है। विभाग 1993 से दिल्ली में रहने के प्रमाण की मांग करता है। साथ ही विभाग में 1993 की रिहाइश की शर्त को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

496. श्री सतप्रकाश राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार में किसी अधिकारी के तबादले के बाद उस अधिकारी की पावर का आवंटन क्या तबादले के समय होने के बजाय उस अधिकारी के उक्त सीट पर चार्ज लेने के बाद होता है।

(ख) दक्षिण-पश्चिम जिले में पिछले तीन वर्षो में तहसीलदार, एस.डी.एम. स्तर के किस-किस अधिकारी का तबादला किस-किस तारीख को हुआ और किस अधिकारी द्वारा किस-किस तारीख को चार्ज किया गया;

(ग) उपरोक्त व्यवस्था में जिस अधिकारी द्वारा जिस तारीख को चार्ज लिया गया उस अधिकारी को उस पद की पावर का आबंटन किस तारीख को किया गया; और

(घ) क्या पावर का आबटंन अधिकारी के चार्ज लेने के साथ-साथ ही नहीं किया जा सकता एवं इतने दिनों तक पावर का आबंटन नहीं किए जाने के क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ, राजस्व विभाग में अभी तक मंडलायुक्त, उपायुक्तों अतिरिक्त जिलाधीशों, उप मंडलीय दंडाधिकारियों एवं तहसीलदारों को उनके तबादले के समय के बजाय उक्त पद पर कार्य भार संभालने के बाद राजस्व शक्तियों नोटिफिकेशन की तिथि से प्रदान की जाती थी, लेकिन हाल में ही माननीय उपराज्यपाल महोदय की अनुमति से इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और अब दिनांक 28/05/2012 से इन अधिकारियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से ही राजस्व शक्तियों प्रदान की जानी शुरु कर दी गयी है।

(ख) सूचना संलग्न है।

(ग) सूचना संलग्न है।

(घ) राजस्व विभाग द्वारा माननीय उपराज्यपाल दिल्ली महोदय की अनुमति के बाद दिनांक 28/05/2012 से मंडलायूक्त, उपायूक्तों अतिरिक्त जिलाधीशों, उप मंडलीय दंडाधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा अपने कार्यभार संभालने की तिथि से ही राजस्व शक्तियाँ प्रदान की जानी शुरु कर दी गयी हैं। छायाप्रति संलग्न है।

497. श्री सतप्रकाश राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि गाँव रंगपुरी, कापसहेड़ा, राजोकरी व बिजवासन में फार्म हाउसों के मालिकों द्वारा बहुत बड़े-बड़े पक्के रोड़ बनाकर उन पर अपने गेट लगा रखे है और वहाँ पर आम नागरिक को अन्दर जाने से रोकते है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार निजी भूमि पर पक्के रोड़ बनाए जा सकते है;

(ग) यदि हाँ, तो ये किस नियम के आधार पर किया जाता है और यहद नहीं, तो विभाग इस बारे में क्या कार्यवाही कर सकता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इन सभी पक्के रोड़ों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार ग्रामसभा में वैस्ट किया जाना चाहिए था यदि हाँ, तो इन रोड़ों को अब तक ग्रामसभा में वेस्ट क्यों नहीं किया गया है;

(ड़.) उपरोक्त गाँवों में ऐसे कुल कितने रोड़ है और उसमें कुल कितनी भूमि ग्रामसभा सम्मिलित की गई है और इनको कब तक ग्रामसभा में वेस्ट कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) इस विभाग को सड़को पर गेट लगाकर आम नागरिकों को अन्दर जाने से रोकने की सूचना नहीं है।

(ख) जी, यह सत्य नहीं है।

(ग) विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 में कार्यवाही की जाती है।

(घ) जिन केसों में सूचना प्राप्त होती है तथा धारा 81 का उल्लंधन साबित होता है तो उसमें भूमिधर की वह होल्डिंग गाँव सभा में वैस्ट की जाती है।

(ड़.) धारा 81 की कार्यवाही सूचित उल्लंधन पर की जा रही है तथा कानूनी प्रक्रिया समाप्त होने पर ही फैसला किया जाता है।

498. श्री सतप्रकाश राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 3 वर्षो में रोहिणी स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय से कितने सब-रजिस्ट्रारों का स्थानांतरण हुआ है;

(ख) इस सब-रजिस्ट्रारों के खिलाफ राजस्व विभाग में कितनी और कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई, सरकार द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) उक्त सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेजों को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड कर संबंधित व्यक्तियों को दे दिया जाता है;

(घ) क्या यह सत्य है कि उक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को नहीं सौंपता है; और

(ङ.) यदि हाँ, तो सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) पिछले तीन वर्षो में रोहिणी स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्योलय से 09 सब-रजिस्ट्रारों का स्थानांतरण हुआ है।

(ख) इन सब-रजिस्ट्रारों के खिलाफ राजस्व विभाग में कुल 10 (उत्तर-पश्चिम में 7 और मुख्यालय में 3) शिकायतें प्राप्त हुई जो कि कार्यवाही के अधीन है।

(ग) सामान्यत: दस्तावेज़ सही पये जाने पर पाँच दिनों के अन्दर दस्तावेज़ रजिस्टर्ड कर दिये जाते है।

(घ) सामान्यत: दस्तावेज सही पाये जाने पर पाँच दिनों के अन्दर दस्तावेज़ रजिस्टर्ड कर संबंधित व्यक्तियों को सौंप दिये जाते है।

(ङ.) उपरोक्त के संबंध में लागू नहीं।

499. श्री सतप्रकाश राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जनरल पावर अटॉर्नी, सेल एग्रीमेन्ट, विल ट्रांसफर इत्यादि मामलों पर रोक लगाते हुए यह निर्णय दिया था कि दिल्ली में केवल फ्री होल्ड प्रापर्टी ही खरीद फरोख्त के दायरे में आएंगी;

(ख) यदि हाँ, तो 10 अक्टूबर, 2011 से अप्रैल, 2012 तक किसकी अनुमति से दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेन्ट, बिल ट्रासंफर आधार पर मकानों व ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती रही;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 10 अक्टूबर, 2011 के बाद जनरल पावर ऑफ अटॉनी, सेल एग्रीमेन्ट, बिल ट्रासंफर आधार पर दिल्ली में प्रापॅार्टी की हुई खरीद फरोख्त को अवैध करार दिया गया है; और

(घ) क्या दिल्ली सरकार 10 अक्टूबर, 2011 के बाद दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटार्नी, सेल एग्रीमेन्ट, बिल ट्रासंफर आधार पर हुई खरीद फरोख्त को नियमित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह बताया गया है कि जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी, सेल ऐग्रीमेन्ट बिल ट्रांसफर इत्यादि डाकुमेंट के आधार पर टाइटिल हस्तातंरित नहीं हो सकता। यह केवल सेल-डीड के आधार पर ही हो सकता है। यह आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लागू है।

(ख) सब रजिस्ट्रार की यह वेधानिक ड्यटी है कि वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश/आदेश/फैसलों का पालन करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन (राजिस्ट्रेशन) कराने वाले संबंधित व्यक्तियों को भी करना पड़ता हैं।

(ग)व(घ) जी नही माननीय उच्चतम न्यायालय के 11.10.2011 के फैसले में कानून की स्थिति ही दुबारा स्पष्ट की गयी है कि जी.पी.ए., बिल और एग्रीमेंट टू सेल द्वारा किसी प्रापर्टी का टाईटल हस्तांतरण नहीं किया जा सकता हैं। टाईटल हस्तांतरित कराने के लिए पार्टी द्वारा कन्वैनश डीड बनाने की जरुरत है।

500. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1998 में उपायुक्त (राजस्व) उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र कंझावला दिल्ली में प्रापर्टी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रापॉर्टी डीलरों से आवेदन-पत्र मांगे गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आवेदन पत्र के साथ 10,000/- का डी.डी. भी जमा करना आवश्यक था;

(घ) यदि हाँ, तो उस समय आवेदन पत्रों के साथ कितनी धनराशि जमा हुई;

(ड़.) जिन प्रापॉर्टी डीलरों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराने हेतु रजिस्ट्रेशन फीस जमा की थी उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है; शुल्क आवेदन पत्रों के साथ जमा किया गया है उसको वापिस करने की सरकार की कोई योजना विचारधीन है; और

(च) क्या यह भी सत्य है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो जो रजिस्ट्रेशन शुल्क आवेदन पत्रों के साथ जमा किया गया है उसको वापिस करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है; और

(छ) यदि हाँ, तो वह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएगी?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) कुल 299 आवेदन प्राप्त किये गये है।

(ग) जी हाँ।

(घ) आवेदन पत्रों के साथ 30,50,000 धनराशि जमा हुई थी।

(ड़.) उनके Character & Antecedents की Verification के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया था लेकिन किसी कारणवश यह Verification अभी तक नहीं हो पाई है।

(च) ऐसा कोई मामला अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायगी।

(छ) उपरोक्त 'च' के अनुसार।

501. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या राजस्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न गाँव में चौपालों को बनाने की फाईलें विभाग में लंबित पड़ी हैं।

(ख) यदि हाँ, तो ये फाईलें किसकी कमी से लंबित पड़ी हैं, और

(ग) इनका पैसा कब तक जारी कर दिया जायेगा।

राजस्व विभाग मंत्री जी:

(क) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। नरेला क्षेत्र के कुछ गाँवों की चौपालों को बनाने के कुछ प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिन्हें नियमों के मुताबिक अवलोकनोंपरांत मंजूर कर वित्तिय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

(ख) उपरोक्त।

(ग) उपरोक्त।

502. श्री जसवन्त राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सन् 1998 व 2000 के बीच में नरेला क्षेत्र के गाँवों में चकबन्दी हेतु कमेटियों का गठन किया गया था जिसकी बुक भी बांटी गई थी, परन्तु नरेला क्षेत्र के गाँवों की चकबन्दी का कार्य अभी तक शुरु नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन गाँवों की चकबन्दी का कार्य कब तक शुरु किया जायेगा, और

(ग) बंद कार्य कितने दिनों में पूरा कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

503. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में ड्रेन एवं बडे नाले खुले चल रहे हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन बडे नालों को कवर (ढक्कने) करने की कोई योजना विचाराधीन है,

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) जी हाँ, पालक लिंक ड्रेन को ढकने के लिए एक योजना 2009 में 19.25 करोड़ की लागत से बनाई थी

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा एक योजना पालम विधान क्षेत्र के अन्तर्गत पालम लिंक ड्रेन को कवर करने के लिए 19.25 करोड़ रु. की लागत से 2009 में बनायी गयी थी, परन्तु माननीय उप-राज्यपाल के दिनांक 09.02.10 में जारी किए गए निर्देशानुसार किसी भी ड्रेन को ढकने का कार्य नहीं किया जा सकता। अत: यह योजना उपरोक्त कारण से लंबित है।

504. श्री सुनील वैद्य: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय विधायक के आदेश पर सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग ने त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो के एस्टीमेंट बनाये हैं,

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन कॉलोनियों में कितनी कितनी राशि के एस्टीमेंट बनाए हैं। उन कार्यो के नाम सहित सूची क्या है,

(ग) उपरोक्त कॉलोनियों में निर्माण कार्य कब व कैसे शुरु होंगे और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ। त्रिलोकपुरी विधान सभा की अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्यो के एस्टीमेंट माननीय विधायक श्री सुनील वै़ के पत्र दिनांक 12.05.00 के अनुरोध पर बनाए गए थे।

(ख) बनाए गए प्राकलनों का ब्यौरा सूची 'क' में संलग्न है।

(ग) यह कॉलोनी शहरी विकास विभाग से स्वीकृत 1018 कॉलोनियों की सूची में है परन्तु अभी शहरी विकास विभाग द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बना नक्शा जिसमें सरकारी भूमि वन विभाग इत्यादि को दर्शाते हुए प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार से स्वीकृति नक्शा प्राप्त होने के पश्चात निविदाएँ अमंत्रित करने इत्यादि का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(घ) उपरोक्तानुसार।

LIST OF DEVELOPMENT WORKS IN UNAUTHORISED COLONIES TRILOKPURI ASSEMBLY CONSTITUENCY-55

S.No.	*Regn.No.*	*Name of Scheme*	*Amount*
1	636	Development of streets/roads in Block A New, Ashok Nagar Unauthorized colony in AC-55.	Rs. 145.46 lacs
2	422	Development of streets/roads in Block B New Ashok Nagar Unauthorized colony in AC-55.	Rs. 438.51 lacs
3	452	Development of streets/roads in Block B I New Ashok Nagar Unauthorized colony in AC-55.	Rs. 87.07 lacs
4	693	Development of streets/roads in Block C New Ashok Nagar Unauthorized colony in AC-55.	Rs. 412.46 lacs
5	1048	Development of streets/roads in Block C I New Ashok Nagar Unauthorized colony in AC-55.	Rs. 47.17 lacs
6	988	Development of streets/roads in Block C II New Ashok Nagar Unauthorized colony in AC-55.	Rs. 137.96 lacs

505. श्री ओ.पी.बब्बर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ ड्रेन में भारी सिल्ट होने के कारण आसपास रहने वाले लोगों को बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है,

(ख) नजफगढ ड्रेन के डिसिल्टिंग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है, और,

(ग) मानसून से पहले इस ड्रेन को किस तरह से पूरी तरह से साफ करने की योजना है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) यह सत्य नहीं है।

(ख) नजफगढ़ नाले में से सिल्ट निकालने का कार्य विभागीय मशीनों द्वारा नियमित

रुप से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सुचारु रुप से पूरे वर्ष किया जाता हैं तथा मानसून से पहले पूरा कर लिया जाता हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

506. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत आने वाले नालों की गाद न निकालने के कारण करावल नगर विधानसभा में सभी कालोनियाँ जलमग्न रहती है,

(ख) यदि हाँ, तो नालों के ऊपरी सतह तक पानी भरने के क्या कारण है, और

(ग) नालों में पानी के जमावडे को कम करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक ये नाले का पानी तलहटी तक पहुँच जाएगा। समय सीमा बताने की कृपा करें?

स्वास्थ्य मंत्री जी

(क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ख) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले सभी नाले, उस क्षेत्र के अन्तर्गत अधिक घनत्व जनसंख्या एवं अवैध कारखानों और इन नालों की क्षमता कम होने के कारण, भरकर चलते है। परन्तु किसी भी जगह पर पानी का ठहराव नहीं है।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली का मास्टर प्लान ड्रेनेज प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत दिल्ली के सभी नालों की क्षमता का आकलन किया जायेगा तत्पश्चात विभाग

द्वारा इन नालों की क्षमता बढाने का कार्य किया जायेगा, मास्टर प्लान बनने के बाद ही इसकी समय सीमा तय की जा सकती है।

507. श्री जसवंत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मेरे नरेला विधान सभा क्षेत्र में यमुना पुस्तें पर तथा पुस्ते के आस-पास के गाँवों में बाढ के समय रात को अंधरे में कार्य हुए विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारी पेरशानियों को सामना करना पडता है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यमुना पुस्ते तथा आस-पास के गाँवों में फलडिड हाई मास्ट लाईटें लगवाने का कोई प्रावधान है,

(ग) यदि हाँ, तो यह किस विभाग द्वारा और कब तक लगवा दी जायेगी, और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) बाढ के समय सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के पास जेनसेट, इमरजैन्सी फल्ड लाइट तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। जिनकी सहायता से रात में कार्य किया जाता है।

508. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है नरेला विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कें व नालियों आदि बनाने के लिए सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा स्कीमें बनाई गई थी?

(ख) यदि हाँ, तो इन कॉलोनियों में विकास कार्य कराने की कोई योजना है?

(ग) यदि हाँ, तो इन कॉलोनियों में विकास कार्य कब तक शुरु करा दिए जायेंगे, और

(घ) यदि नहीं तो, क्यों नहीं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। इन कॉलोनियों में सड़कों व नालियाँ बनाने की योजना है।

(ग) नौ कालोनियों में विकास कार्य कराने हेतू प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन कालोनियों के कार्य निविदाएँ अमंत्रित कर, कार्य शीघ्र ही शुरु किए जाएंगें तथा दो कॉलोनियों की योजना बनाकर भेजी गई है। इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन कार्यो को कार्यान्वित किया जाएगा। इन सब कार्यो का विवरण सूची 'क' में दिया गया है। तथा 2 कार्यो पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इनका विवरण सूची 'ख' में संलग्न है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

GOVT. OF NCT OF DELHI: OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER: CIVIL DIVISION-VI: IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTENT: BHARAT NAGAR OFFICE COMPLEX: DELHI-110052

STATUS OF SCHEMES IN UNAUTHORIZED COLONIES A.C. NARELA FOR WHICH A/A & E/S ISSUED

25.05.2012

S.No.	*Name of Work*	*A/A & E/S Amount (Rs. in lacs)*	*Date of A/A & E/S*	*Remarks*
1	Development of streets in Guru Ravi Dass Nagar Narela in Alipur Block opened in Narela A.C. (Regd. No. 1551/733)	23.73	10.05.2012	Tender called and to be on 085.06.2012
2	Development of Streets in Om Vihar Akbarpur Majra in Alipur Block in Narela A.C.(Regd. No. 578/1639).	40.57	10.05.2012	Tender called and to be opened on 08.06.2012
3	Development of Streets in Jinpur Extn. Colony on Mukhmelpur road in Alipur Block in Narela A.C. (Regd. No. 1084/733)	61.02	10.05.2012	Tender called and to be opened on 08.06.2012
4	Development of streets and construction of side drain Nai Basti Kureni Kureni in alipur Block in Narela A.C. (Regd. No. 627/733).	88.87	10.05.2012	Tender called and to be opened on 08.06.2012
5	Development of streetys and construction of side drain at Lal Dora of Village Singhu in Alipur Block in Narela A.C. (Regd. No. 133 ELD/733.	6.70	10.05.2012	Tender called and to be opened on 08.06.2012
6	Development of Construction of side drain in Rajeev Colony Harijan Basti Narela in Alipur Block in Narela Assembly constituency. (Regd. No. 743/733).	127.92	15.05.2012	Tender called and to be opened on 08.06.2012
7	Development of streets and construction of side drain in Swatantra Nagar Ext. west Gonda Narela Assembly Constituency (Regd. No. 577/733).	135.16	15.05.2012	
8	Development of streets and construction of side drain at Jindpur Village (Extn) in Alipur Block in Narela A/C. (Regn. No. 24 ELD/733)	163.36	15.05.2012	Tender being called
9	Development of streets and construction of side drain in Shiv Mandir Colony Safiabad Border in Alipur Block in Narela Assembly Constituency. (Regd. No. 574/733).	163.36	15.05.2012	Tender being called
	Total	**824.70**		

GOVT. OF NCT OF DELHI: OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER: CIVIL DIVISION-VI: IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTENT: BHARAT NAGAR OFFICE COMPLEX: DELHI-110052

STATUS OF SCHEMES IN UNAUTHORIZED COLONIES A.C. NARELA FOR WHICH A/A & E/S AWAITED

25.05.2012

S.No.	*Name of Work*	*Estimate Cost (Rs. in lacs)*	*Remarks*
1	Development and construction of side drain in Govind Colony near Jhangola No. 2 in Alipur Block in Narela Assembly Constituency. (Regd. No. 957/733.	272.93	A/A & E/S awaited.
2	Development of streets and construction of side dain in Mammoorpur Krishna Nagar Colony at Singhu Border road in Narela Assembly Constituency (Regd. No 153/733).	218.01	A/A & E/S awaited.

Sd/-

EXECUTIVE ENGINEER-CD-VI

सुची 'ख'

मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में स्थित जोहडों के विकास व सौंदर्यीकरण के ऐसे कार्य जो अभी प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्रशासनिक एंव वित्ती स्वीकृति की तिथि	प्रशासनिक एवं वित्ती स्वीकृति की धनराशि	क्षेत्रफल बीधा बीसवा में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	खर्च लाख रू. में
1	टीकरी कला गाँव के खसरा नं. 484 में जोहड का विकास	31.05.11	48.18	6-14.5	56.70	0.40
2	क्मरुद्दी गाँव के खसरा नं. 38/1/2 में जोहड का विकास	12.11.09	98.17	10-00	8430	8.16
3	हिरणकूदना गाँव के खसरा नं. 134 में जोहड का विकास	02.08.11	81.17	11-16	9950	0.20
4	लाडपुर गाँव में जोहड का विकास	11.09.07	62.06.	-	-	5.21

(एस.के. गुप्ता)
उप-निर्देशक

509. श्री मनोज कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सभी जोहड़ों के सौन्दर्यीकरण और विकासित करने हेतु योजना बनाई है,

(ख) यदि हाँ, तो मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के कितने गाँवों के जोहडों का सौन्दर्यीकरण या विकास कार्य पूरा हो चुका है, इसका पूर्ण विवरण दें और,

(ग) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने गाँवों के जोहडों के सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य प्रगति पर है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हाँ। ग्रीमीण गाँवों के समेकित विकास हेतु अन्य योजनाओं के अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों में स्थित जोहडों के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य संबंधित माननीय विधायकों की संस्तुति के पश्चात दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात किया जाता है।

(ख) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में कुल 31 जोहडों के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। इसका विवरण सूची 'क' में संलग्न है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में 4 जोहडों के विकास एवं सौदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है इसका विवरण सूची 'ख' में संलग्न है।

सूची 'क'

मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में स्थित जोहडों के विकास एवं सौंदर्यकरण के ऐसे कार्य जो सम्पूर्ण किये गये

क्र.सं.	*गाँव का नाम*	*खसरा नं.*	*प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की तिथि*	*खर्च धनराशि (लाख रु. में)*	*क्षेत्रफल (बीघा बिस्वा)*	*क्षेत्रफल (वर्गमीटर)*
1	गढ़ी रणढाला	24	11.09.2007	28.58	4–16	4048
2	गढ़ी रणढाला	165	10.09.2007	11.41	9–11	8052
3	घेवरा	212	23.06.2004	4.62	11–3	10820
4	जौन्ती	225	10.07.2007	29.88	29–7	24754
5	जौन्ती	28/7/2	11.07.2007	6.26	1–9	1223
6	जौन्ती	255	11.07.2007	22.54	9–15	8223
7	जौन्ती	86/22/1 व 21/2	12.07.2007	7.65	2–11	2151
8	लाड़पूर	80/14/2/ व 17/1	18.07.2003	5.11	4–9	3752
9	लाड़पुर	77/22/2, 23/27 व 24/1	11.09.2008	31.59	6–0	5120
10	मदनपुर डबास	77/2	04.02.2000	23.89	9–14	26441
11	मदनपुर डबास	79				21–13
12	मदनपुर डबास	76	14.08.2008	56.47	10–16	9105
13	निजामपुर	13/11, 12, 19 व 20	11.09.2007	61.79	19–2	16109

*twinklegraphics*laxmi-2012*Vidhan Sabha(05 June-2012)-2*1st p*115*

1	2	3	4	5	6	7
14	निजामपुर	28/19	11.09.2007	24.32	4-16	4048
15	निजामपुर	335	11.09.2007	28.01	3-19	3325
16	निजामपुर	30/6, 31/10 व 11	11.09.2007	61.39	14-4	11976
17	रानी खेड़ा	89, 90, 95 व 96	24.07.2006	12.13	3-9	2910
18	रानी खेड़ा	74/2	16.07.2007	39.05	17-18	14966
19	रसूलपुर	29	11.07.2007	25.48	5-10	4639
20	रसूलपुर	33	05.02.2008	5.54	5-9	4597
21	रसूलपुर	52	11.07.2007	9.52	2-15	2319
22	सावदा	229	11.09.2007	49.98	38.18	32808
23	टटेसर	17/2,3, 8 व 9	11.09.2007	17.84	19-4	16193
24	हिरनकूदना	415	08.04.2008	44.37	16-10	13915
25	नीलवाल	55	25.01.2008	79.73	14-7	12103
26	टिकरी कलॉ	480मिन	08.12.2005	13.24	10-7	8729
27	टिकरी कलॉ	478मिन	17.01.2008	39.29	5-6	4470
28	टिकरी कलॉ	488	05.02.2008	16.22	2-14	2277
29	टिकरी कलॉ	486	21.01.2006	27.18	4-16	4048
30	टिकरी कलॉ	487/3	23.01.2008	42.21	11-12	9783
31	हिरनकूदना	564	08.04.2008	46.35.	16-5	13700

510. श्री सत प्रकाश राणा : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कल कितने खंझड विकास अधिकारी के कार्यालय है और प्रति कार्यालय में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत है। और वर्तमान में किस-किस कार्यालय में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत है।

(ख) गांव रंगपुरी, महिपालपुर, समालका व कापसहेडा में पंचायत की कुल कितनी भूमि है।

(ग) उक्त गाँव की भूमि के खसरा नं. क्या-क्या है और वर्तमान में यह भूमि किस के कब्जे में है।

(घ) पंचायत की सारी भूमि का ब्यौरा क्या है और इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ.) क्या यह सत्य है कि कर्मचारियों की कमीं की वजह से पंचायत की भूमि से अवैध कब्जे हटाने में परेशानी आ रही है?

विकास मंत्री जी:

(क) विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) उपरोक्त। अवैध कब्जा हटाने के लिए समय-समय पर एस टी एफ एंव रेवेन्यु स्टाफ द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(ड़) जी नहीं।

511. श्री रमेश बिधुड़ी : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के व्यापार कर विभाग द्वारा दिए गए वर्ष 2011-12 के टैक्स कलेक्शन टारगेट को दिनांक 31.3.2012 तक पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि विभाग ने इस टॉरगेट से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है;

(ग) यदि हाँ, तो कितना, यदि नहीं तो कितना कम कलैक्शन हुआ है;

(घ) क्या यह सत्य है विभाग की इनफोर्समेंट व ऑडिट ब्रान्च के द्वारा अप्रैल महिने से ही रेड शुरु कर दी गई है;

(ड.) यदि टारगेट पूरा कर लिया गया है तो क्या व्यापार कर अधिनियम के तहत अप्रैल महीने में ही रेड डालने का प्रावधान है;

(च) यदि नहीं, तो फिर रेड क्यों डाली जा रही है;

(छ) क्या यह सत्य है कि विभाग के उच्चाधिकारियों की जानकारी के बिना ही उपरोक्त दोनों ब्रान्चों द्वारा रेड डालकर ट्रेडर्स को तंग किया जा रहा है; और

(ज) यदि टारगेट को पूरा कर लिया गया है तो फिर रेड क्यों डाली जा रही है?

विकास मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में 14,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विवरीत कुल 13751 करोड़ रुपये एकत्र किये गये। इस तरह लक्ष्य से 249 करोड़ रुपये कम एकत्र हुए।

(घ) दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम आने के पश्चात् अब व्यापारी अपने कर का निर्धारण स्वयं करता है और विभाग की ऑडिट ब्रांच, समय-समय पर निश्चित किए मानदंडों के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा किए गए कर निर्धारण की सत्यता की जांच करती है। विभाग की इनफोर्समेंट ब्रांच दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 व दिल्ली मूल्य संबर्धित कर नियम, 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्य करती है और अप्रैल महीने में भी इस ब्रांच ने अपना नियमित कार्य किया।

(ड़.) व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत विभाग द्वारा टारगेट पूरा करने या न करने की अवस्था में रेड डालने या न डालने अथवा किसी महीने विशेष में रेड डालने या न डालने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

(च) कर चोरी की संभावनाओं को रोकने तथा बही-खातों में कर की प्रवृष्टि की जांच हेतू समय-समय पर इस विभाग द्वारा रेड डाली जाती है, जो कि एक नियमित कार्य है।

(छ.) जी नहीं।

(ज) कर चोरी तथा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने की दृष्टि से समय-समय पर इस विभाग द्वारा रेड डाली जाती है जो कि इस विभाग का कार्य है। इसका टारमेंट से कोई संबंध नहीं है।

512. श्री रमेश बिधुड़ी : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि व्यापार विभाग ने 2 ए, 2बी व अन्य सेवाओं के लिए कोई नया सोफ्टवेयर लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सोफ्टवेयर किस कंपनी का है और इस सोफ्टवेयर को खरीदने पर कितना खर्च आया;

(ग) इस कंपनी का चयन किस आधार पर किया गया है तथा इस कंपनी का सोफ्टवेयर दिल्ली सरकार के किस-किस विभाग में है; और

(घ) इस कंपनी का टर्नओवर कितना है तथा इसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं?

विकास मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) यह सोफ्टवेयर व्यापार एवं कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है। इसे किसी कंपनी से नहीं खरीदा गया है, इसलिए इस पर कोई खर्च नहीं आया है।

(ग)व(घ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नही होता।

513. श्री रमेश बिधुड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पूरे भारतवर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वाहन पंजीकृत है:

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि लुबरीकेंट जिस पर 20 प्रतिशत टैक्स है कि बिकी दिल्ली में न के बराबर है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या करण है?

शिक्षा मंत्री जी:

(क) जी नहीं, दिल्ली में दिनांक 30.04.2012 तक कुल 73.02 लाख वाहन पंजीकृत है। परन्तु पूरे भारतवर्ष में पंजीकृत वाहनों की संख्या इससे कही ज्यादा है।

(ख) जी नहीं, गत वर्ष में दिल्ली की आठ बड़ी कम्पनियों द्वारा 573.16 करोड़ के लुबरीकेंट की बिक्री की गई।

(ग) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

514. श्री रमेश बिधुड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापार एवं कर विभाग की इनफोर्समेंट -II के क्या-क्या अधिकार व कर्तव्य है;

(ख) क्या उपरोक्त ब्रान्च द्वारा केवल ट्रांसपोटरों को ही चैक किए जाते हैं;

(ग) गत वर्ष कितने ट्रांसपोटरों को चैक किया गया और उनसे कितना टैक्स वसूला गया;

(घ) क्या यह सत्य है कि इनफोर्समेंट-II की तुलना में इनफोर्समेंट-I में टीमें ज्यादा हैं, और इनफोर्समेंट-II द्वारा ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया है; और

(ड़.) यदि यह सत्य है तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री जी

(क) व्यापार एवं कर विभाग की इनफोर्समेंट-II शाखा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर

अधिनियम, 2004 की धारा 59 एवं 61 के साथ पठनीय दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्य करती है।(संबंधित अधिनियम व नियम की प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है।)

(ख) जी हाँ।

(ग) वर्ष 2001-12 में, 4537 मालवाहक वाहनों से, कुल 22.45 करोड़ रुपये कर एवं जुर्माना वसूला गया।

(घ) इनफोर्समेंट-।। शाखा में 7 टीमें कार्यरत् हैं तथा विशेष अभियान के दौरान विभाग की अन्य शाखाओं से स्टाफ लेकर अतिरिक्त टीमें भी बनायी जाती है। जबकि इनफोर्समेंट -1 शाखा में गत वर्ष के दौरान 8 टीमें कार्यरत् रहीं। क्योकि दोनों शाखाओं की कार्य प्रणाली भिन्न हैं अत: दोनों शाखाओं की तुलना संभव नहीं हैं।

(ड़.) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

515. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार की बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री जी:

(क) दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्त ''क'' के अनुसार।

516. श्री ओ.पी.बब्बर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अभी भी कई उद्योग नॉन कन्फर्मिग क्षेत्र में कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्लाट आवंटित करने के लिए योग्य लोंगों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो उनमें से कितने लोगों को प्लाट आवंटित कर दिए गए है और कितने लोगों को अभी भी औद्योगिक प्लाट मिलने बाकी है; और

(घ) रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों को कब तक अल्टरनेटिव प्लाट आवंटित कर दिए जाएगें?

उद्योग मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) ज हाँ।

(ग) पुर्नस्थापना योजना के अर्न्तगत अभी तक 22488 योग्य पायी गई आवेदक इकाईयों को औद्योगिक भूखण्ड़/फ्लैटिड फैक्ट्रिज आवंटित की जा चुकी है, और इस प्रकार की मात्र 174 प्रतिक्षित इकाईयों को अपर्याप्त उपलब्धता के कारण आवंटन करना शेष है।

(घ) उक्त 174 प्रतिक्षित इकाईयों को निकट भविष्य में उपलब्धता के आधार पर आवंटन करने हेतू विभाग कार्यरत है।

517. श्री श्रीकृष्ण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में खोले गये चुनाव फोटो पहचानपत्र कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) चुनाव पहचानपत्र बनाने के उपरांत कितने दिनों में मतदाता के घर तक पहुँचा दिया जाता है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पुराने चुनाव फोटो पहचानपत्र में पता बदलने व गलती में सुधार करते समय नये पहचान पत्र पर उसी दिन की तारीख डाली जाती है जिस दिन फार्म संख्या-6 जमा करके पहली बार कार्ड बनाया गया था, और

(घ) यदि हाँ, तो यह सुविधा कब से लागू की जायेगी?

उद्योग मंत्री जी:

(क) इस समय बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत हैं।

1 मुख्य लिपिक

1 उच्च श्रेणी लिपिक

1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2. डाटा एन्ट्री आपरेटर (अभी सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी का पद रिक्त है।)

(ख) आवेदक द्वारा नाम जोड़ने के लिये आवेदन के सामान्यत: 30 दिन बाद चुनाव पहचान पत्र बना दिया जाता है। इसके उपरांत आवेदक को स्वयं ही मतदाता केन्द्र में जहाकर अपना पहचान पत्र लेना पड़ता है। विभाग द्वारा पहचान पत्र घर पहुँचाने के लिए अभी कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है।

(ग) जी नहीं। पहचान पत्र में पता बदलने व गलती में सुधार करने संबंधी आवेदन सामान्यत: 30 दिन में निपटा दिये जाते हैं और नये बने पहचानपत्र पर उस दिन की ही तारीख डाली जाती है, जिस दिन उनके उपरोक्त आवेदन स्वीकार करके नया पहचानपत्र जारी किया जाता है।

(घ) चुनाव नियमों/प्रक्रिया के अनुसार नये जारी पहचानपत्र पर पुरानी तिथि नहीं डाली जाती है।

519. **श्री मतीन अहमद** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिला है,

(ख) यदि हाँ, तो पर्यटकों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है?

मुख्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में लगभग 46.60 लाख पर्यटकों की वृद्धि हुई है।

(ग) पर्यटन विभाग दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पर्यटन केन्द्र स्थलों के विकास पर कार्य कर रहा है:-

1 पर्यटक केन्द्र-कांगनहेड़ी एवं छावला

2 नेबरहुड सांस्कृतिक केन्द्र-राजा गार्डन फ्लाई ओवर के नीचे

3 पर्यटक सुविधा केन्द्र- एन.एच.-8

4 नेचर बाजार- अंधेरिया मोड

5 जनकपुरी - दिल्ली हाट

6 वेलनेस सेन्टर -सैयद-उल-अजैब

7 पर्यटन भवन-बाबा खड़ग सिंह मार्ग

520. **श्री मोहन सिंह बिष्ट :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पर्यटन विभाग द्वारा सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इस सिग्नेचर ब्रिज को गीतांजलि स्कूल के पास उतारा जा रहा है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर से आने वाला ट्रैफिक जोकि भजनपुरा से होकर चलेगा, उसमें लगातार जाम की स्थिति बनी रहेगी,

(घ) यदि हाँ, तो क्या भजनपुरा से यमुनाविहार की रेड लाईट तक कोई ओवरब्रिज बनाने की योजना है, और

(ङ.) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्य मंत्री जी:

(क) जी हाँ।

(ख) सिग्नेचर ब्रिज परियोजना के अन्तर्गत खजूरी खास चौराहे पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो गीतांजलि स्कूल के पास उतारा जा रहा है जो कि भजनपुरा की लाल बत्ती से लगभग 500 मीटर पहले है।

(ग) खजूरी खास फ्लाईओवर के गीतांजली पब्लिक स्कूल पर उतारने के बाद भजनपुरा लाल बत्ती जोकि इस बिन्दु से लगभग 500 मीटर दूर है, पर ट्रैफिक की स्थिति यथावत बने रहने की संभावना है।

(घ) जी हाँ। भजनपुरा से यमुना विहार तक की ओवर ब्रिज प्रस्तावित है, जो वर्तमान में कार्यान्वित नहीं हो सकता। क्योंकि यह बी.आर.टी. कॉरिडोर के साथ Intergrated है जोकि DIMTS के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ङ.) क्र.सं.-'घ' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

521. श्री सुनील कुमार वैद्य : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग दिल्ली की जनता के समग्र विकास विकास कार्यो के लिए सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता व राशि उपलब्ध करवाता है?

(ख) यदि हाँ, तो त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से विभिन्न विकास कार्य करवाने के लिए वित्त विभाग किस-किस सरकारी संस्था को राशि उपलब्ध करवाता है व इसका तरीका क्या है?

(ग) क्या क्षेत्रीय विधायक इन समितियों का गठन कर सकता है, और

(घ) यदि हाँ, तो गठन का क्या तरीका है, यदि नही तो इसके क्या कारण है?

मुख्य मंत्री जीः

(क) जी नहीं।

(ख) वित्त विभाग संबंधित विभागों के विकास कार्यो की स्वीकृति उन्हीं की फाईल पर देता है। अतः किस विधान सभा क्षेत्र के लिये किस विभाग ने किन-किन विकास कार्यो के लिये कितनी राशि स्वीकृत करवाई है, इसका विवरण संबंधित विभाग ही रखते हैं, न कि वित्त विभाग।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह विषय कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में है।

522. श्री श्रीकृष्ण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों की फाइलें वित्त मंत्रालय / विभाग में फंड की स्वीकृति हेतु जाती है;

(ख) यदि हाँ तो वित्त विभाग कितने दिनों में कार्यवाही करके फाईल वापिस भेज देता है;

(ग) क्या इन फाईलों को निकालने की समय-सीमा तय है; और

(घ) क्या बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की फाईलें अभी तक अपेक्षित हैं और क्या इसकी सूचना विधायक को भी देने चाहिए?

शहरी विकास मंत्री जी:

(क) जी हाँ। अनधिकृत कालोनियों में किए जाने वाले विकास कार्यो के बारे में सम्बंधित विभाग अथवा एजेन्सी नियमानुसार सीधे अर्थात शहरी विकास विभाग को भेजे बिना आवश्यक वित्तिय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग/मंत्रालय को अपने प्रस्ताव भेजता है।

(ख)(ग)एंव(घ) वित्त विभाग द्वारा पत्रावली निस्तावण करने की कोई समय सीमा तय नहीं है। वित्त विभाग में बुराडी विधानसभा क्षेत्र की कोई भी फाईल इस समय लम्बित नहीं है।

523. **श्री नसीब सिंह:** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार दिल्ली सरकार में कार्यरत वरिष्ठ निजी साहायक (Sr.P.A.) को कितना ग्रेड-पे निर्धारित किया गया है व कितना दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात दिल्ली सरकार के विभिनन विभागों में (Sr.P.A.) को अलग-अलग ग्रेड-पे दिया जा रहा है, पूर्ण विवरण सहित सूची दें,

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी विसंगतियों के क्या कारण हैं; इन विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार स्टेनोग्राफर कैडर के वेतन नियमों में संशोधन नहीं किया गया है; और

(ड़.) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इन्हें कर दिया जायेगा?

मुख्य मंत्री जी:

(क)(ख)व(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2005 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में कार्यरत वरिष्ट निजी सहायक को पदोन्नति पर रु. 6500-10500 (पूर्व संशोधित) वेतनमान प्रदान किया गया है। वरिष्ठ निजि सहायक के ग्रेड पे प्रदान करने हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम है।

(घ)व(ड़.) छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के पश्चात 21.02.2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा नियमावली में संशोधन कर प्रधान निजी सचिव के नव सृजित पदों के सेवा नियमों को शामिल किया गया है।

नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी दिलाना चाहता हूँ और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में वो जो आवश्यक आदेश है, वो करें। अध्यक्ष जी, जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और विधायिका इन सब का महत्वपूर्ण रोल है और मीडिया उसमें प्रमुख अंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए

मीडिया के हमारे सभी साथियों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने द प्रैस रिपोटर्स के लिए चिकित्सा सुविधा नियम, 1995 में बनाया था। इसके अंतगर्त सभी जो accredited रिपोटर्स है उनको दिल्ली के अस्पतालों के अंदर और उनके परिवारजनों को सब प्रकार की परिस्थितियों में जब वो बीमार पड़ते हैं उनको चिकित्या सुविधाएं मिलती थी। 1998 में सरकार बदलने के बाद भी लगातार ये सुविधाएं मिलती रहीं, लेकिन अभी 15 नवंबर, 2011 को सरकार ने एक नया आदेश दिया है, इसके पहले लगभग एक साल अनौपचारिक तौर पर जो मीडिया के लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होते थे उनके बिल वगैरह पास नहीं किए जाते थे और फिर सडनली एक 15 नवंबर, 2011 को एक आदेश पारित किया गया है, नोटिफिकेशन हुआ है प्रिंसिपल सेक्रेट्री (पब्लिक रिलेशन्स) मिस्टर कुट्टी के माध्यम से वो यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही हुआ होगा इसमें यह कहा गया है कि जब तक जो मीडिया का बंधु उसको head injury नहीं होगी, जब तक वो पूरी तरह से unconscious नहीं होगा, जब तक उसको advanced cancer नहीं होगा, जब तक वो comma में नहीं जाएगा या जब तक सरकारी अस्पताल कं अंदर हड़ताल नहीं होगी या जब तक उसको ymulti-organ failure नहीं होगा तब तक उसको प्राइवेट अस्पताल के अंदर किसी भी कीमत पर कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह शायद जायज नहीं है, जो बात इनते वर्षों से चली आ रही है कि जो सरकार के क्लास-1 ऑफिसर्स है उनके बराबर सुविधाएँ मेडिकल की, जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए क्योंकि जो चिकित्सा सुविधा ऐसी चीज़ नहीं है कि कांई उसका avail कर लेगा घूमने चला जाएगा, शिमला में उसके लिए तो उस आदमी को बीमार होना पड़ता है और अपने स्वास्थ्य के साथ, अपनी लादफ को खतरे में डालना पड़ता है और कोई ज़बर्दस्ती जो है वो बीमार भी नहीं हो सकता है तो यह

इस प्रकार की चीज़ है इसमें ytotal compassion और टोटल मतलब sincerity के साथ इसको जैस लागू किया जा रहा था वैसे लागू किया जाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसमें जो भी intervention आवश्यक है उसको करेगी और जो सुविधा पहले से मिल रही थी वो सुविधा उसी प्रकार से मिलती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्रीडेशन कमेटी को नि:शुल्क चिकित्सा देने के संबंध में डॉ.हर्षद्धन जी ने कहा है, आप स्वयं इस तरह के कार्यो में रूचि लेती हैं, लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा देने का आपका प्रयास होता है तो एक्रीडेशन कमेटी के सदस्यों को भी यदि दी जाये तो मेहरबानी करके इस पर विचार लीजिएगा। श्री रामसिंह नेताजी।

श्री रामसिंह नेताजी : माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने पिछले कार्यकाल में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में सीमेंट कंक्रीट की जो रोड बनाई थी, उनकी समय सीमा 5 वर्ष रखी थी परंतु दिल्ली में यातायात के बढ़ते दबाव एवं आना-जाना अति आवश्यक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण उन सड़कों की हालत खराब हो गई है। मेरा कहना यह है कि सड़कों को दोबारा बनाये जाने के लिए रेडीमिक्स कंक्रीट (आर.एम.सी) की जो सड़क अब बन रही है, जिनकी आयु काफी लम्बी है अब इनमें हम दो-दो लेयर डाल रहे हैं। इनकी सीमा पाँच वर्ष से घटाकर चार वर्ष कर दी जाये, जिससे इन सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेडीमिक्स कंक्रीट (आर.एम.सी) सड़कों में तब्दील किया जा सके। इनमें पुरानी सीसी की सड़कों के ऊपर एक लेयर 4 इंची या 6 इंची की मोटी लेयर डालकी (रीले) इनको दोबारा बनाया जाये तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो रोड टूट गई, जो पहले बनाई थी कंक्रीट की अगर दोबारा उसमें अनुमकि सरकार दे दे तो यह एक बहुत बड़ा काम सरकार की तरफ से

हो जाएगा। जिस तरह के आप रोड अब बना रहे हैं दिल्ली में वो बहुत अच्छे रोड अब बन रहे हैं लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक लेयर कच्ची डलती है, एक लेयर पक्की डलती है, पहले एक ही लेयर डाली गई थी तो मेरी प्रार्थना है कि इस पर ध्यान देकर इसके आदेश करे जायेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओ.पी. बब्बर

श्री ओ.पी. बब्बर : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके माज्यम से मैं संबंधित मंत्री का ध्यान उन धोबी जो दिल्ली में वर्षा, सर्दी, गर्मी सहते हैं, उनकी ओर खींचना चाहना हूँ। विभाजन के बाद दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में प्लान के अनुसार झुग्गी-झोंपड़ियों को अल्टरनेटिव प्लाट देकर जे.जे. कालोनी आदि में भेजा रहा है वहीं पर और दूसरी जगह वहीं फ्लैट बनाकर दिए जा रहे हैं। जो लोग पटरी, खोखे लगाकर काम कर रहें थे उनको भी पक्की दुकानें दी गई। परंतु अध्यक्ष जी, दिल्ली में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा में भी हमारे लिए काम करते हैं लेकिन आज तक उन धोबियों की कोई सुध नहीं ली गई। इन धोबियों के पास सिर ढकने के लिए कोई। जगह नहीं है। अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि धोबी समाज के लिए शुरु में एक सौ करोड़ रुपया रखा जाये जिससे सिस्टमेटिक तरीके से धोबियों के लिए पक्के थड़े बनाये जाये तथा अध्यक्ष जी, यह भी प्रार्थना करुंगा कि जितने भी धोबी दिल्ली में कार्य कर रहे हैं उनका सर्वे किया जाये और पता लगाया जाये कि ये कितने धोबी हैं ताकि गवर्नमें ट प्लान बनाये जिससे इन सब को थड़े मिल सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय

मुख्यमंत्री और हमारे यू.डी. मिनिस्टर अब चले गये हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी जो लाखों की संख्या में है, दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि इनको बिना अल्टरनेटिव प्लाट दिए हुए हटाया नहीं जाएगा। लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र में क्योंकि काफी झुग्गी-झोंपड़ी पड़ती हैं, चार-पाँच दिन पहले रेलवे ने वहाँ बिना नोटिस दिए हुए, बिना अल्टरनेटिव दिए हुए शिव बस्ती में झुग्गियाँ हटाना शुरु कीं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना की।

अध्यक्ष महोदय : सचदेवा जी, जो टेक्स्ट दिया है उसे पढ़िये।

श्री सुभाष सचदेवा : सर, वो ही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वहीं नहीं है। आप उसको पढ़ लीजिये।

श्री सुभाष सचदेवा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली ी मुख्यमंत्री का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मोती नगर के अंतर्गत रेलवे लाईन के साथ-साथ बसी झुग्गी बस्ती शिव बस्ती की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी तीन दिन पूर्व शिव बस्ती की झुग्गियों को तोड़ने आये थे परन्तु स्थानीय लोगों के दबाव के कारण नहीं तोड़ पाये। अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार अब वे लोग 9 जून को शिव बस्ती की झुग्गियों को तोड़ने आयेगें। इसी प्रकार रेलवे लाईन के साथ-साथ शिव बस्ती से लेकर दया बस्ती तक झुग्गियां हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से अनुरोध है कि जब तक इन झुग्गी वासियों को मकान या वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित नहीं किये जाते हैं, तब तक इनको अपनी जगह से हटाया न जाए। अध्यक्ष जी, यह दिल्ली सरकार और रेलवे केन्द्र सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन वे लोग दिल्लीवासी हैं। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार केन्द्र पर और केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार पर वो गरीब लोग कहां

जायें जो 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। उनके सर्वे हुए, उनके पास राशन कार्ड हैं। उनके पास पहचान पत्र हैं। लेकिन रेलवे अपना हिटलरशाही हुक्म चला रही है। दिल्ली के लोगों से पूछा नहीं जाता। दिल्ली सरकार से नहीं पूछा जाता। मेरी दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि दिल्लीवासियों के हित की रक्षा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, रेल मंत्री से बात करें। अध्यक्ष जी, यह हज़ारों लोगों का सवाल है। यह पूरी की पूरी झुग्गी बस्ती रेलवे लाईन के किनारे बसी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। सतप्रकाश राणा जी, आप बोलिए।

श्री सुभाष सचदेवा : अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी इस बारे में क्लीयर पॉलिसी बतायें।

अध्यक्ष महोदय : रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी बात आ गई है। श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सतप्रकाश राणा : आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव, वैद्य, गुरु तीनी जरे प्रिय बोले भय आशश देश धर्म तन तीनि का हो गई से गई नाश। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत गुस्सा आ जाता है जब कोई बात कही जाये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुस्सा न करें, ध्यान से सुनें। दिल्ली की जनता का दर्द हम लोग बयान करते हैं। कल के अखबार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया है कि दिल्ली में पानी की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि यह बयान ठीक तरह से नहीं दिया गया है। जब यह बयान क्षेत्र की जनता पढ़ती है तो वे लोग गुस्सा हो कर हम लोगों के ऊपर आक्रामक हो जाते हैं कि जब पानी की परेशानी नहीं है तो हमारे क्षेत्र में पानी क्यों नहीं है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता

हूँ कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था आप किसी भी तरह से करवायें। माननीय मुख्य मंत्री जीश हमारे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। हज़ारों लोग सुबह 6 बजे घर जाते हैं, अभी भी दफ्तर में लोग बैठे हैं। रात को लोग बैठे रहते हैं। कुछ भी व्यवस्था करके किसी तरह से हमारे यहां पानी की व्यवस्था हो जाये। आप ज़रा इसको देखो। ट्यूबवैल नये लग नहीं पा रहे। आपने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पानी जो यू.जी.आर से आना था, द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट, वो अभी चालू नहीं हुआ है। बार-बार बताया जाता है कि कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। 2009 में चालू होना था, फिर 2010 में चालू होना था, 2011 में चालू होना था, फिर 2012 आ गया। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि कब चालू होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे गंभीरता से इस विषय को लें। अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि हम विपक्ष में हैं, हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है। हमारी जनता हमारे ऊपर पूरा विश्वास करती है। इसलिए आप कृपया ध्यान दें और अध्यक्ष जी, हमारे यहां पानी की व्यवस्था करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकृष्ण त्यागी।

श्री श्रीकृष्ण त्यागी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर दिला रहा हूँ जिसमें दिल्ली की जो अनोथराईज़ कॉलोनियां हैं, उनमें एक समानता से काम हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, क्या डी.एस. आई.आई.डी.सी को बिना नक्शे के मल्टीपल आर.डब्लयू के निपटारे के बिना काम करने का कोई हक है। अगर है, तो सभी कॉलोनियों के लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं चाहिए। परन्तु विधान सभा क्षेत्र विकासपुरी में 6 कॉलोनियों में विकास कार्य बिना मल्टीपल आर.डब्ल्यू के निपटारे बिना हुआ है। इसमें इस बात का दु:ख लहीं है कि वहां काम क्यरें हुआ, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में हर एक कालोनी में काम हो जिससे दिल्ली की जनता सुखी हो और उन्हें मौलिक सुविधा मिले। अगर

विकासपुरी क्षेत्र में काम हुआ है तो अन्य किन क्षेत्रों में भी काम होना चाहिए। इन कॉलोनियों के नाम और नम्बर इस प्रकार हैं - यादव नगर, विकास नगर हस्तसाल नक्शा नम्बर-286, सैनिक इन्कलेव, विका नबर हस्तसाल नक्शा नम्बर-660, सैनिक विहार पार्ट-2, मोहन गार्डन नक्शा नम्बर-1103, विकास नगर फेज-3 और 3 नक्शा नम्बर-1212, विकास नगर कालोनी नक्शा नम्बर-1234 आर ब्लाक और आर ब्लाक एक्सटेंशन नक्शा नम्बर-1364 ये सभी कॉलोनी मल्टीपल आरडब्लू मे हैं। इन कॉलोनियों में काम हुआ है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की बहुत सी कॉलोनी आरडब्लयू में हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बहुत जगह कॉलोनियों में आडब्लयू में चौधर की लड़ाई है और सफर गरीब जनता करती है। मल्टीपल आरडब्लयू का सारा किस्सस खत्म करके, नक्शे कलेक्ट करके सभी अनोथोराईज़ कॉलोनियों में काम शूरु कर देना चाहिए। बहाने से काम नहीं चलेगा। मेरे क्षेत्र में तो और बुरा हाल है। जिन कॉलोनियों में 2007 में पाईप लाईन डाल चुके हैं, वहां काम भी हो चुका है और उनका पीआवी कैंसल कर दिया गया। अध्यक्ष जी, पांच कॉलोनियों ऐसी हैं जिनका सब कुछ काम होने के बावजूद मानी मिल रहा है, सड़कें बन चुकी हैं और उन कॉलोनियों का पीआरसी, प्रोवीजनल सर्टीफिकेट कैंसल कर दिया। अध्यक्ष जी, यह विचार करने का विषय है। आपने मेंरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरका का ध्यान पत्रकार बंधुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं के हितार्थ सरकार एक कमेटी का गठन करती है जो कमेटी पत्रकार बंधुओं के हितार्थ कार्य करती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रेस एक्रिडिटेशन कमेटी (डीपीएसी) की सिफारिश पर

पत्रकार बंधु का एक विशेष कार्ड बनाया जाता है। जिसके माध्यम से पत्रकारों को रेलवे सहित सभी सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने-जाने की सुविधा के अलावा पत्रकारों के मेडिकल आदि सुविधाएँ भी मिलती हैं। अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं के हितार्थ बनाये जाने वाली उक्त कमेटी समय-समय पर पत्रकारों के लिये सिफारिश भी करती रहती है किन्तु अध्यक्ष जी उक्त कमेटी का कार्यकाल समाप्त हुये काफी समय हो चुका है परन्तु पुर्गठन न होने से अधिकांश पत्रकार बंधुओं में भारी निराशा है। पत्रकार बंधु दिल्ली विधान सभा में पक्ष विपक्ष द्वारा उठाये मुद्दों के अलावा सरकार की उपलब्धियों व अन्य जनता की आवाज़ को सरकार नक पहुचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पत्रकारों के हितार्थ डीपीएसी का शीघ्र पुनर्गठन कराया जाये। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयभगवान अग्रवाल जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्व की चीज है कि कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। यहां पत्रकारों के लिए एक्रिडिटेशन कमेटी बनानी है, मंत्री ने इसका गठन करना है, अभी तक गठन ही नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर धिंगान ने वही प्रार्थना की है।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक उनको कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, कमेटी पहले बननी चाहिए। उसके बाद ये सुविधाएं मिलेंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री जय भगवान अग्रवाल जी।

श्री जय भगवान अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मैं अपके माध्यम से सदन का ध्यान

रोहिणी कॉलोनी की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज रोहिणी जैसी कॉलोनी में डी.डी.ए के जितने खाली प्लाट पड़े हैं वो सभी डम्पिंग ग्राउंड बन चुके हैं। कॉलोनी के रखरखाव का स्थानांतरण होने के बावजूद भी इन खाली प्लाटों की कोई सफाई नहीं करता। कहीं कूड़े के ढेर लगे हैं, कहीं खरपतवार का अंबार लगा हुआ है, कहीं असमाजिक तत्वों की शरण स्थली बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर, ई-ब्लाक, सेक्टर-7 रोहिणी, सबसे बड़ा उदाहरण है। इस कार्य के लिए भी मास्टर प्लान 2021 में सख्त कानून बनने चाहियें ताकि इनकी बिक्री से पहले इनके रखरखाव की व्यवस्था डी.डी.ए के पास हो अगर संबंधित अधिकारी रखरखाच में कोताही बरतें तो इसके खिलाफ सख्त से सखत कार्यवाई हो। माननीय अध्यक्ष जी, यह सारी दिल्ली का विषय है। डी.डी.ए के जितने खाली प्लाट पड़े हैं उनका रखरखाव करने में डी.डी.ए पूरी तरह से फेल है बल्कि बुकिंग करते हैं समारोह के लिए और उसमें बहुत पैसे लेते हैं। सफाई के पैस लेने के बावजूद कूड़ा वहीं पड़ा रहता है। इसके लिए सख्त कानून बने और जब तक डी.डी.ए के पास है सफाई की जिम्मेंदारी उनके पास रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश बिधूड़ी।

श्री रमेश बिधूड़ी : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोगों के मूलभूत अधिकारों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, प्राचीन काल के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए पशुधन गाय, भैंस इत्यादि का इस्तेमाल जीवनयापन के लिए बेहद जरुरी रहा है कि आधुनिक समय में भी नहीं बदला। इस माध्यम से मैं आपका ध्यान मिलावटी दूध और दिल्ली में बाहर से आने वाले दूध जिसकी गुणवत्ता हमेशा सन्देह में रहती है की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 360 गांव आते हैं। जहां आधी संख्या के देहात व

ग्रामीण गांवों में सीवर लाइन तक अभी तक नहीं डली है। दूसरी ओ उन गांवों में गाय और भेंस रखने पर भी सरकार ने कोर्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया है। मेरा बनुरोध है कि ऐसे तमाम गांवों के परिवारों में एक गाय और एक भैंस को पालने की अनुमति दी जाए जिससे ग्रामीण लाग दूध और दूध से बने उत्पादों का उपयोग अपने लिए कर सकें और अपने पशुधन अधिकार का लाभ उठा सकें। गाय से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की सिद्धि होती है। गाय सर्वदवमयी व सर्व तीर्थमयी है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हम परिवारों में सर्वप्रथम गऊ को रोटी देते हैं। अध्यक्ष जी, सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देकर गांवों में गाय भैंसों को पालने नहीं दे रही है जो कि तर्कसंगत नहीं है। सर, गाय के बारे में 'गांवों विश्व मातरे' यह कहा गया है सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ हवन में दी हुई आहुति से जो सम्पुष्टि मिलती है वह गाय के घी से ही मिलती है। हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है जिससे सूर्य की किरणें पुष्ट होती है, किरणें पुष्ट होने से वर्षा होती है और वर्षा से सभी प्रकार के पौधे घास आदि पैदा होते हैं जिनसे सम्पूर्ण स्थावर संगम चर अचर प्राणियों का भरण पोषण होता है। अध्यक्ष जी, मैं अन्त में आपसे यही निवेदन करुंगा कि हमारी दिल्ली विधान सभा के माननीय मुख्यमंत्री ऐसा एक रेजोल्यूशन लाएं प्रस्ताव पास करें क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को सही बातों से अवगत नहीं कराया गया जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर पशुओं के रहने पर रोक लगा दी। अध्यक्ष जी, वह रोक डेरी के ऊपर लगाई थी न कि हम अपने घर के अन्दर जो 100 या 200 गज का प्लाट है वहां पर भी ऐ गाय और एक भैंस पाल सकें। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के ऊपर एक टिप्पणी की थी कि नकली दूध और नकली घी दिल्ली में बेचा जाता है। दिल्ली के अन्दर यदि एक गाय और एक भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो कम से कम खपत कम नहीं होगी तो नकली दूध और नकली घी का उपयोग

लोग कम करेंगे। आपसे मेरा यह निवेदन है और हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठी हैं वे इस संबंध में कुछ कहे और कुछ विधायक बंधु गांवों के बैठे हैं आप भी खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि सरकार ऐसा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा घरों से पशुधन का हटाया गया है उसको रखने की अनुमति दे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। चौ. मतीन अहमद।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान, दिल्ली सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों से पेंशनरों को दवाई न मिलने की और दिलाना चाहता हूँ। प्राइवेट अस्पतालों में से एक सेंट स्टीफन अस्पताल में पेंशनरों व उनके आश्रितों को दवाईयां नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि संबंधित डिस्पेंसरी से ही दवाईयां दी जाएंगी। जब संबंधित डिस्पेंसरी से दवाई लेने जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं इनका इण्डेंट लगाना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दस दिनों का समय लग जाता है और मरीज को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं और विभाग से इनके बिनों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है। अध्यक्ष जीश मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुराध है कि इन अस्पतालों में ओ.पर.डी. में आने वाले पेंशनरों व उनके आश्रितों को वहीं दवाइयां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें जिससे किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो और मरीज को समय पर दवाइयां मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल भारद्वाज।

श्री अनिल भारद्वाज : आदणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की महान जनता के हित का एक विषय सदन में उठाना चाहता हूँ। कल इस सदन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2012 का जो आम बजट यहां पास किया, जनहित का एक

people friendly बजट आया और जो कुछ आशंकाए हमारे और हमारे अपने सदस्यों और विपक्ष के लिए भी सी.एन.जी और दूसरी चीज़ों पर टेक्स की बात है

.........व्यवधान.........

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, यह किस बात पर भाषण हो रहा है...

.........व्यवधान.........

श्री अनिल भारद्वाज : सर, भाषण नहीं दे रहे हैं, मैं विषय पर बोल रहा हूँ

.........व्यवधान.........

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, विषय किस बात का?

श्री अनिल भारद्वाज : सर, आम मेरी बात तो सुन लीजिए

.........व्यवधान.........

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः पहले वैट लगा दिया फिर वापस ले लिया, इस बात के लिए आप इसको विषय बना रहे हैं........व्यवधान। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट पेश किया, इससे खराब हो ही नहीं सकता। अब बजट पर बहस ख्त्म हो गई।

श्री अनिल भारद्वाज : सर, मैं तो भावनाओं को आप से जोड़ रहा हूँ, आपने भी कल परसों एक बात कही थी, जब आप सदन में थे, मेरा निवेदन है कि पहले आप मेंरी बात सुन लें। अध्यक्ष महोदय, कल जो बजट इस सदन में पास हुआ है, पिछले बजट में हमने कहा था कि प्लान बजट का 97-98 परसेंट हम खर्च पर पाए। इसमें दिल्ली

में विकास को गति देने की बात की गई थी। लेकिन पिछले दिनों जागरूक मीडिया के साथियों और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार यह बात कही जा रही है कि दिल्ली में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दानिक्स अधिकारियों को बड़ी संख्या में दिल्ली से स्थानोतरित करने के आदेश केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पारित किए गए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। मेरी चिंता दिल्ली के जनहित में यह है कि जो बजट लगभग 33000 करोड़ का यहां इस सदन में पास हुआ है हौर जो हमारी जानकारी है लगभग 47 परसेंट कमी प्रशासनिक अधिकारियों की है जिन्होंने इस कार्य को एक्जीक्यूट करना है। दिल्ली में अधिकारियों की कमी हो जाएगी और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी कमी से उस बजट को चाहे सरकार ने उसको इम्पलीमेंटेशन में लाना हो जो विधायक पक्ष और विपक्ष के हैं जो योजनाएँ अपने क्षेत्र में चलाना हैं वे एक्जीक्यूट कैसे होंगी? अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता यह है कि ये जो स्थानांतरण के आदेश हैं हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि उन्होंने अपनी भावनाएँ गृहमंत्री जी के सामने रखीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चुनी हुई सरकार के लिए जिसकी नेता मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी भावनाएँ प्रकट की ओर नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता व्यक्त की थीं आप इस बात को मानेंगे, हमारी बात जो आपने उस दिन रखी थी, अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री से यह निवेदन है कि अगर एमएचए दिल्ली की जनता के हित में इस फैसले को रोकने के लिए तत्काल आदेश जारी नहीं करते और हमारे ऐसे यूटी के क्षेत्र जिनमें हमारे अधिकारी जो दिल्ली से जाते हैं जिनकी संख्या सरप्लस है, अण्डमान निकोबार में लगभग 46 परसेंट अधिक संख्या है, दमन द्वीप में 26 परसेंट संख्या अधिकारी अधिक हैं, दादर नगर हवेली लक्ष्यद्वीप में 21 परसेंट ज्यादा हैं और अध्यक्ष महोदय जहाँ अधिकारियों को काम करने की जगह नहीं है ओहदों के लिए जगह नहीं है वहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है यह गम्भीर विषय है।

.........व्यवधान.........

श्री अनिल भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता का विषय यह है कि जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार की नेता के रुप में मैं अनुरोध करुँगा माननीय मुंख्यमंत्रीजी, अगर आप कम्पीटैण्ड अथारिटी के रुप में भारत के प्रधानमंत्री से इस विषय को रखें और हम समझतें हैं कि हममे से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। दिल्ली की जनता के हित का विषय है अध्यक्ष महोदय। इस पर अध्यक्ष महोदय, तुरन्त एमएचए के अधिकारी........इसको रोका जायें और सब लोग इसके साथ हैं अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूँ कि ये जनता के हित का विषय है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

.........व्यवधान.........

श्री अनिल भारद्वाजः माननीय मुख्यमंत्री जी मैं इसमें चाहूँगा कि आप भी इसमें कुछ कहें।

.........व्यवधान.........

श्री अनिल भारद्वाजः मुख्यमंत्री जी हमारी भावनाएँ आपके साथ हैं। विधायकों की भावनाएँ, चुने हुए लोग आपके साथ हैं।

.........व्यवधान.........

श्री अनिल भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है अध्यक्ष महोदय।

.........व्यवधान.........

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रस्ताव रखा है और गृह मंत्रालय के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री से मिलने की बात की है। हम उससे सहमत हैं। गृह मंत्री ने बहुत गलत काम किया। उनको त्यागपत्र देना चाहिए। वहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री ने भी कहा, बिना बात किए हुए, बिना मुख्य मंत्री से बात किए हुए। उन्होंने हमारी असलियत भी बता दी है कि मुख्यमंत्री किस प्रकार के हैं। गृह मंत्री किसी का भी ऑर्डर निकाल रहे हैं। और गृह मंत्री के खिलाफ आपने जो कहा है, हम उससे सहमत हैं। गृह मंत्री जो हैं और प्रधानमंत्री से मिलें गृहमंत्री के खिलाफ। ये कैसी सरकार है। प्रधानमंत्री से मिलें गृह मंत्री के खिलाफ, अगर आपकी बात गृह मंत्री नहीं मानते हैं तो काये के लिए बैटे हुए हैं? और प्रधानमंत्री से क्यों मिलें, गृह मंत्री के खिलाफ रेजल्यूशन करिए। हम पास करने के लिए तैयार हैं। आप गृह मंत्री के खिलाफ एक रेजल्यूशन लाइये। उन्होंने कैसे ये पास कर दिया।...होम मिनिस्टर। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात कही है।

.........व्यवधान.........

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। मुकेश जी बैठिए। मुख्यमंत्री जी बोल रही हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, मैंने खत्म नहीं किया अभी। गोवा की चीफ मिनिस्टर ने भी यह बात कही है। बाकियों ने भी बात कही है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर से पूछे बिना गृह मंत्री किसी को भी कहीं ट्रांसफर करते चले जायें। और यहाँ पर अगर हमारी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जा रही और कहा जाये कि प्रधानमंत्री से मिलिए। प्रधानमंत्री भी बात नहीं सुनेंगे। फिर उसके बाद कहाँ जायेंगे? पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगती हैं मुख्यमंत्री। उन्हें मांगना चाहिए। हम साथ चलने को तैयार हैं। यहाँ

पर गृह मंत्री की बात कह कर पूरी दिल्ली में न कारपोरेशन में ऑफीसर्स हैं न दिल्ली सरकार में ऑफीसर्स हैं। कहीं काम नहीं हो रहा है। ऐसी दिल्ली में एनार्की फैला रखी है। और ये बात अगर गृह मंत्री ने की हैं, बहुत ही गलत काम हैं, हम इस बात से असहमत हैं कि गृह मंत्री के खिलाफ....आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। बैठिए।

.........व्यवधान.........

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साहब बैठिए। एक मिनट बैठिए।

देखिये, यह प्रस्ताव नहीं है। 280 के अन्तर्गत यह आया है। और इस मसले पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मसले पर सदन की नेता और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर इस में आपस में बात करें। कोई रास्ता निकालें। यदि सदन की भावनाओं के अनुरुप हमारे अधिकारी यहाँ रुक जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगीं।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, जो सदन की भावनाएँ है, मुख्यमंत्री गृहमंत्री से मिली भीं हैं। हमें बजाय इसका राजनीतिकरण करने के सारे सदन को यह तय करना चाहिए। आगर आदेश निरस्त नहीं होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी सदन और दिल्ली आपके साथ हैं। आप इन ऑफीसर्स को रिलीव न करें ताकि ये दिल्ली के विकास में लगे रहें, ये हम चाहते हैं आप इनको दिल्ली में ही स्टे करें।

प्रो.विजय कुमार मल्होत्राः ....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब एक मिनट मुख्यमंत्री जी बोल रही हैं।...कुलवन्त जी, ठहरिए।........राजकुमार जी, मैंडम बोल रही हैं। सदन की नेता बोल रही हैं।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहे वे विपक्ष में बैठे हों, चाहे विपक्ष में बैठे हों कि होम मिनिस्टर से हम लगातार टच में हैं। हम टच में हैं और इसका सॉल्यूशन जल्दी ही निकल आयेगा। जी भी करण हुए, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे खुशी है कि आज विपक्ष भी यही भावना रखता है तो ये भावना हम गृह मंत्रालय को और भी ज्यादा जोर से बतायेंगे। फिलहाल we are in touch. It is not that we are not frightened, we are because हम लोगों को काम करना है। और हमारी जो दिल्ली है। उसकी तुलना गोवा या पांडिचेरी से या अण्डमान निकोबार से नहीं की जा सकती है। इस बात का एहसास मंत्री महोदय को भी हो गया है। ये मैं चाहूँगी सदन में.......आपकी भावनाओं का मैं शक्रिया करती हूँ लेकिन ये कोई आलोचना नहीं है we have to sort out the problem. Thank you.

.........व्यवधान.........

अध्यक्ष महोदयः एक मिनट

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, उस दिन हम भी गये हैं। उस दिन मैंने बिना कहें हुए खुद ही यह बात कही थी। परन्तु मुख्यमंत्री टच में हैं, बाकी सब चीजें हो रही हैं। तो किसी विधायक से इस प्रकार का रेजल्यूशन इस प्रकार 280 में लाने की क्या जरुरत हैं। पॉलिटिसाइज हमने नहीं किया है, पॉलिटिसाइज तो वे करने की कोशिश कर रहे थे। रेंजल्यूशन करना, फिर सबने खड़े हो जाना, अगर वहाँ पर ये हो रहा है। This is something very wrong. यहाँ पर हम खुद ही कर रहें हैं सपोर्ट। इसमें यहाँ पर लाकर के और इस तरह से पॉलिटिसाइज आपने किया है हमने नहीं किया हैं।

श्री कुलवन्त राणाः

.........व्यवधान.........

अध्यक्ष महोदयः राणा साहब, बैठिए। देखिए, प्रो. मल्होत्रा साहब की बात ठीक है।

श्री कुलवन्त राणाः ....व्यवधान......

अध्यक्ष महोदयः ये क्या बात है।

श्री कुलवन्त राणाः इनको बाहर ले जाइये। मैं नेम कर रहा हूँ।

विधायकों के अपने कुछ विशेषाधिकार हैं, प्रो. मल्होत्रा साहब भी जानते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते कि कोई क्या प्रस्ताव ला रहा है। बहुत बार बहुत तरह के प्रस्ताव आते हैं। कई बार न चाहते हुए भी मैं उनको सदन में रखने के लिए कहता हूँ। इसलिए हम किसी को रोक नहीं पायेंगे लेकिन ये जरुर प्रार्थना मैं करुँगा कि सदन में वही प्रस्ताव 280 में पढ़ा जाये। जो सदन और दिल्ली की जनता के हित में हो। और मैं समझता हूँ कि उनका जो 280 पर था वह जनता का अहितकारी नहीं था, हितकारी था।

अब 280 के अन्तर्गत बहुत सारे नाम हैं आज 10 हमारे मेम्बर बोल चुके हैं। जो बाकी सदस्य हैं मैं नाम पढ़ रहा हूँ श्री मोहन सिंह बिष्ट, डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता, चौ. सुरेन्द्र कुमार, श्री तरविन्दर सिंह मारवाह, श्री देवेन्द्र यादव, श्री बलराम तंवर। मैं इनको समय नहीं दे पा रहा हूँ माफी चाहूँगा आप बिष्ट साहब प्लीज इसे कल रख लीजिएगा। एक का यदि हो गया तो फिर सबका नम्बर आयेगा और बहुत देर हो जायेगी। अब 410 तक के लिए टीब्रेक है और उसके बाद लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा होगी।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:10 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

सदन पुनः 4:10 बजे कपराह्न समवेत हुआ अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानंद शास्त्री) पीठासीन हुए।

सदल पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय: अब मुख्य मंत्री जी, आईटम नम्बर 1 से 9 तक पेपर सदन पटल पर रखेंगी।

Chief Minister: Sir, I beg to lay on the Table of the House the papers listed against my name at Sl. No. 3.1 of today's List of Business. It starts from (i) and the list goes on to (ix):

(i) No. F. 12(15)/Fin./ Rev-1/2011/DSIII/33 dated 11.01.2012 regarding exemption of Luxury Tax in respect of Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart, 2011 from 2nd September to 12 September, 2011.

(ii) No. F.12(18)Fin (Rev-1)/2011-12/DS.III/56 dated 20.01.2012 regarding exemption from payment of Entertainment Tax in t/o programme 'Year of Germany in India.

(iii) No.F. 3(23)/Fin (Rev-1)/2011-12/ DSIII/68 dated 27.01.2012 regarding Amendment in Delhi Value Added Tax Rules 2005.

(iv) No.F. 12(19)Fin(Rev-1)/2011-12/DS.III/145 dated 15.02.2012 regarding exemption from Entertainment Tax to the Qualifying Tournament of Hockey XXX Olympiad, 2012.

(v) No.F. 13(16)Fin (Rev-1)/2011-12/DS.III/278 dated 26.03.2012 regarding allowing the facility of refund of VAT to Kiran Nadar Museum of Art.

(vi) No.F.3(25)Fin(Rev-1)/2011-12/DS.III/288 dated 28.03.2012 regarding appointing the date 31.03.2012 for section 6 of DVAT Amendment Act, 2012 and 01.4.2012 for other provisions as the date from which the said Act shall come into force and No.F.14(19)/LA-2011/Ulaw/5 dated 13.2.2012 regarding Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2012 (Delhi Act, 01 of 2012).

(vii) No.f.3(27)Fin(Rev-1)/2011-12/DS.III/353 dated 25.04.2012 regarding Delhi Value Added Tax Second Amendment Rules, 2012.

(viii) No.F.12(20)Fin(Rev-I)/2011-12/DS.III/406 dated 16.05.2012 regarding Delhi Excise Amendment Rules, 2012 and Amendment in Rule-154.

(ix) No.F.10(2)Fin(Rev-I)2011-12/DS.III/407 dated 16.05.2012 regarding Delhi Excise (2nd Amendment) Rules, 2012.

अध्यक्ष महोदयः अब ऊर्जा मंत्री जी, आईटम नम्बर 1 से 3 तक पेपर सदन पटल पर रखेंगे।

ऊर्जा मंत्रीः Honourable Speaker, Sir, I seek your permission to lay on the Table of the House the copies of documents as mentioned in the List of Business at point no.3 para-II from SI. No.(i) to (iv):

(i) No. F.17(14)DERC/2010-11/2720 dated 20.1.2012 regarding First Amendment in Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008.

(ii) No.F.3(290)/Tariff/DERC/2011-12/C.F.3180 datede 19.1.2012 regarding MYT Regulations (i) Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2011 (ii) Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulation, 2011 (iii) Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Wheeling Tariff & Retail Supply Tariff) Regulations, 2011.

(iii) No.F.3(290)/Tariff/DERC/2011-12/C.F.3180/6800 dated 15.3.2012 regarding corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulation, 2011.

(iv) 10th Annual Report of Delhi Transco limited for the year 2010-11.

अध्यक्ष महोदयः अब उद्योग मंत्री जी, आईटम नम्बर 1 से 3 तक पेपर सदन पटल पर रखेंगे। उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आईटम नम्बर 1 से 3 तक पेपर सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री दिल्ली, मूल्य संबर्द्धित कर तीसरा संशोधन विधेयक 2012 का विधेयक संख्या 11 को हाऊस में इंट्रोड्यूज करने की परमीशन माँगेगी।

मुख्य मंत्री: Sir, I beg leave of the House to introduce the following Bills i.e.:

(i) Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2012 (Bill No.12 of 2012).

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्य मंत्री जी बिल को हाऊस में इंट्राड्यूज करेंगी।

मुख्य मंत्री: Sir, with your permission, I beg to introduce the Bill to the House.

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय: अब लॉ एंड आर्डर पर अल्पकालीक चर्चा का प्रारंभ होगा और इसको इनीशेएट करेंगे, विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, काफी समय के बाद विधान सभा में लॉ एंड आर्डर पर हम लोग चर्चा कर रहे है। बार बार आंकडें दिये जाते हैं परंतु दो दिन पहले एक विधायक पर जो कातिलाना हमला किया गया, उससे दिल्ली ही नहीं सारा देश

भी दहल गया और उसके कारण सारे देश भर में इस बात की चर्चा हुई कि अगर एक विधायक को उसके घर घुस कर के कातिलाना हमला करके गोली मारी जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। इससे एक दिन यहाँ सदन में, हम लोग थे नहीं, निकाले गये थे परंतु यहाँ पर बहुत से सदस्यों ने इस बात की चर्चा की थी कि कैसी धमकियाँ दी गयी हैं, कैसे उनसे रंगदारी दी गयी है, इस तरह की बातें रखी गयीं थीं, भरत सिंह जी ने भी कई बार इस बात की आशंका प्रकट की थी कि उन पर कोई हमला किया जा सकता है। यह सवाल केवल विधायकों की सुरक्षा का नहीं हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो रात भर घूमते हैं, सब जगह उनको जाना पड़ता है और उनको ब्याह शादी और बहुत सी जगह आंदोलनों में भी जाना पड़ता है परंतु सारी दिल्ली की सुरक्षा का प्रश्न भी साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न यही है कि अगर विधायक के ऊपर हमला हो सकता है, और उसको खुलेआम एक प्रकार से धमकी देकर के उससे कुछ काम करनाने की कोशिश की जा सकती है तो आम व्यक्ति की हालत क्या होगी? अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं उस घटना के बारे में ज्यादा बात तो नहीं कहना चाहता परंतु कल मुख्यमंत्री जी ने हाऊस में बयान दिया था और मैंने देखा है जो आपने, रिकार्ड में आया कि चार व्यक्ति पकड़ लिए, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उनसे वसूल हो गई वो जो पिस्टल है और गाड़ी। अध्यक्ष जी, अलग-अलग version आ रहे हैं किसी में आया है कि पन्द्रह आदमी थे, किसी में आया कि दस दिन से कोशिश कर रहे थे, किसी में आया कि वो रेकी कर रहे थे, किसी में आया कि उन्होंने मारने के बाद बाकी लोग भाग गए, चले गये। बड़े आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने उनको एकदम सीधे judicial custody में भेज दिया। छोटी सी बात पर लोगों को रोका जाता है, पुलिस कस्टडी मांगी जाती है उनसे चीज़े रिकवर की जाती हैं, उनसे प्रयास किया जाता है परंतु यहाँ पर एकाएक चार आदमी पकड़ लिए, फिर कहा कि पन्द्रह आदमी आए थे फिर वो चार को सीधा judicial custody में भेज दिया। फिर क्राइम

ब्रांच को दे दिया मामला, फिर क्राइम ब्रांच के बाद इधर आ गया, इसमें काफी कुछ मामला fishy लगता है काफी कुछ इसमें क्या घटना हुई पूरी तरह से इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो रही इसलिए इसकी जाँच किसी बड़े दायरे से सीबीआई से या किसी से पूरी करानी चाहिए कि घटना हुई क्या ताकि पता तो चले कि हुआ क्या था, क्या घटना हुई थी और किस प्रकार से क्या पुलिस ने केवल उसके ऊपर चार आदमियों को पकड़ कर के और यह साबित करने की कि हमने केस को सोल्व कर दिया कहीं यह बात तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी जब बहस हुई थी यहाँ पर कमिश्नर साहब ने बहुत आंकड़े दिए, हर बार पिछले दस साल से मैं देख रहा हूँ नौ साल से आंकड़े आते हैं दस प्रतिशत क्राइम कम हो गया, क्राइम कम होता जा रहा है, दिल्ली में अब कोई क्राइम जो है, उससे पहले से कम हो गया, हर बार यह आता है। इस लिहाज से तो पिछले नौ साल, दस साल के अंदर ज़ीरो क्राइम दिल्ली में हो जाना चाहिए कि दिल्ली में ज़ीरो क्राइम, यहाँ पर भी पिछली बार जब बहस हुई थी तो बड़े गुणगान किए गए पुलिस के कमिश्नर के गुणगान किए गए कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस बात में कोई शक नहीं, सुबह अखबार उठाकर के देखिये सुबह समाचार-पत्र देखिये, भरे होते हैं इस बात से कि दिल्ली में कितना क्राइम हो रहा है, दिल्ली में यहाँ पर किस-किस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं, यहाँ पर पिछली बार मुख्यमंत्री ने कह दिया, यह कहने का एक फेशन हो गया कि यह कहा जाए कि दिल्ली क्राइम केपिटल है। अध्यक्ष जी, दिल्ली क्राइम केपिटल मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे नहीं कह रहे हैं, सारे समाचार-पत्र, सारे टी.वी. चैनल्स इस बात को कहते हैं कि दिल्ली

क्राइम केपिटल है, दिल्ली रेप केपिटल है, दिल्ली मर्डर केपिटल है और दिल्ली अपहरण की केपिटल है और अध्यक्ष महोदय यह दूर की बात नहीं है कल ही के अखबारों में जो छपा है, आप में से सब ने देखा होगा, shame. 'Delhi is still India's rape capital' कल के अखबारों में है, हैडिंग है यहाँ पर, सारे अखबारों में है, यह टाइम्स ऑफ इंडिया का है 'Shame. Delhi is still India's rape capital. 568 cases filed in so and so' अगर रेप केपिटल है यहाँ पर सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दिल्ली में रेप होते हैं तो यहाँ पर यह कोई फेशन की बात थोड़े ही बन गई कि इसको रेप केपिटल कहा जाए, हमारा शहर है, परन्तु शहर के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है इसको देखने की ज़रुरत है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पिछले दिनों में जो अखबारों के अंदर हैडलाइन्स छपी थी उसमें से आपने देखा है परसो के अखबार में यह आया कि दिल्ली सबसे असुरक्षित शहरों में दिल्ली है, यह भी दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर महिलाओं के लिए, अपराध के लिए बदनाम हो चुकी दिल्ली को अब देश में सबसे असुरक्षित मेट्रो शहर करार दे दिया गया। सबसे असुरक्षित शहर है यह क्राइम उसके हैं सारे आंकड़े कि सबसे असुरक्षित दिल्ली। महिलाएँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, मुख्यमंत्री जी कह सकती है कि महिलाओं कोरात में नहीं निकलना चाहिए। परन्तु जो सर्वे आया क्राइम के आंकड़े आए हैं सबसे ज़्यादा महिलाएँ दिल्ली में असुरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर सिटिजन दिल्ली में असुरक्षित हैं यहाँ पर घर से बाहर जाते ही कैसे हत्याएँ उनकी हो रही हैं और कितनी हत्याएँ होती हैं इन बातों को भी देखने की ज़रुरत है। अध्यक्ष महोदय, दो-चार हैडिंग्स अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊँ दिल्ली में तरिंदो की दिल्ली, महिला से तीन बार किया गया गैंग रेप, दिल्ली बनी अपराधों की राजधानी, एक रात में महिला से तीन बार दुष्कर्म, लूट की ताबड़तोड़ वारदात, कहाँ हैं पुलिस, जहरखुरानों ने बीएसपी के सिपाही को लूटा 'five rope incidents in Delhi in a

day.' 'Chilling murders, bara imprints of serial killer' दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर है, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता था आपसे समाचार-पत्र पढ़े सुबह और यह सारी दुनिया पढ़ती है, हिंदुस्तान में तो पढ़ते ही हैं सारी दुनिया में दिल्ली की कोई भी चीज़ हो वो हैडलाइन्स में आती है, दुनिया में दिल्ली का नाम कैसे बदनाम हो रहा है, यह कह देना, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि दिल्ली को फर्स्ट क्लास सिटी बनाया जा रहा है। It is a first-class city for criminals. दिल्ली है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों में फर्स्ट क्लास सिटी है but for criminals फर्स्ट क्लास सिटी है but for murders फर्स्ट क्लास सिटी है for rapists यहाँ पर अपराधी बेखौफ घूमते हैं, अपराधी अपराध करके चले जाते हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, पर दिल्ली की पौने दो, दो करोड़ जनता खौफजदा है, खौफ में रहती है, दिन में भी निकलते हुए उनको बहुत डर लगता है, महिलाओं को डर लगता है, चौराहों पर लूटे जाते हैं, बसों में लूटे जाते हैं, ट्रेन में लूटे जाते हैं, मेट्रो में लूटे जाते हैं, दिल्ली से ट्रेन छूटती है और वहाँ पर निजामुद्दीन से आगे बढ़ते ही लूट लिया जाते हैं। कितने सीनियर सिटिजन की हत्याएँ हुई हैं और कितनों को लूटा गया और यह इसलिए कहना कि यहाँ पर दिल्ली में अपराधों की क्या स्थिति है और वहाँ पर अपराध किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके बाद भी कौन ज़िम्मेदारी लेगा आखिर? किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि दिल्ली को सेफ बनाया जाए। दिल्ली राजधानी है, केपिटल है, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, गृहमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं सब लोग दिल्ली के अंदर है और यहाँ पर दिल्ली के अंदर किस-किस तरह से क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर उनके साथ की जा रही है, इसको सारे सामाचार-पत्र और चैनल्स इस बात को कहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कौन सा गैंग है जो दिल्ली में काम नहीं कर रहा, कौन सा गैंग? जहरखुरानी गैंग, कच्छा-बनियान गैंग, चोरी करके आग लगा देने वाला गैंग, ठकठक गैंग, ब्लैडमार गैंग, सारे गैंग दिल्ली भर

में कोई गैंग नहीं उसका आप नाम लेकर के देखिये सब दिल्ली में काम कर रहे हैं। क्या पुलिस को मालूम नहीं? यहाँ पर mesmerize करके जैवर छीनने वाले, चेन स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग की कितनी घटनाएँ दिन में जाते हुए चेन खींच ली जाती हैं, चेन स्नेचिंग हो जाता है। बैंक में आदमी जाता है पैसे निकाल कर लाये तो उसको लूट लिया जाता है, पैसे लेकर के जाता है तो उसको लूट लिया जाता है बैंको के बाहर डकैतियाँ, चौराहों पर डकैतियाँ, चेन स्नेचिंग कौन सा मैंने आपसे कहा कि जितने गैंग हैं दिल्ली में सब ऑपरेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज़ुरुर यह जानना चाहता हूँ शाम के टाइम पर हर आदमी जानता है, सब विधायक भी जानते हैं, यहाँ पर शाम होती है, सड़कों पर, इलाकों में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं बीट की रेहड़ियाँ और शराब बिकती है खुलेआम वहाँ से शराब पीते हैं, वो रेहड़ियों में से वहाँ पर बैठते हैं कुछ गाड़ियों में बैठते हैं जो उसके बाद अपराध करने निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर dacoity डाले, बाकी करे, road rage होता है, वहाँ पर शराब पीकर के रोड़ के एक्सीडेंट्स होते हैं मरते हैं लोग, किसी को गाड़ी के नीचे दे देते हैं बहुत से रइसजादे। किसी को मालूम नहीं है कि ये शराब की दुकानें कितनी हैं उस इलाके में। कोई अगर यह कहे कि पुलिस को मालूम नहीं है कि उसके इलाके में कितनी शराब बिकती है, कितनी रेहड़ियाँ लगती हैं, कितने वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के अंदर क्राइम होते हैं, सब मालूम है पुलिस को। हर चीज़ पुलिस को मालूम है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि कोई एक पुलिस वाला किसी ने सस्पेंड किया हो इस बात पर। एक पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया हो, उसके इलाके में कितना उपराध हो रहा है, डर पुलिस वाले को मालूम है, हर पुलिस वाले को अपराधियों का भी मालूम है और जहाँ पर कोई ऐसा पुलिस ने कहा, छोटे-मोटे की बात मत करिये, किसी ऊपर वाले अधिकारी पर, किसी डिप्डी कमिश्नर के, किसी एसीपी के, किसी के इलाके में अगर ऐसी कोई घटनाएँ होंगी, ये चीज़ें बिकेंगी उसको आप दो-चार पर एक्शन करिये।

किसी एक पर एक्शन नहीं। I have never seen किसी डीसीपी पर एक्शन हुआ हो। किसी एसीपी पर हुआ हो। किसी एसपी पर हुआ हो। किसी एडीशनल कमिश्नर पर हुआ हो। अगर किसी पर एक्शन नहीं है और यहाँ पर इन सी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है उनके बारे में सारी जानकारी देने की बात यहाँ पर मैंने पिछले दिनों कुछ अजीब बातें देखी हैं। यहाँ पर मुख्य मंत्री ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि यहाँ दिल्ली में महिलाओं की लाशें मिल रही हैं और मैंने देखा 4 माह में दिल्ली में एक हजार लाशें यहाँ मिल गई। एक हजार शव दिल्ली में आ जाते हैं। यानि शव को फेंकने का काम भी उसके लिए भी दिल्ली सेफेस्ट है। कहीं उसका मर्डर करो और दिल्ली में आ करके लाश फेंक दो। कहीं पर रेप करो और महिला की लाश यहाँ पर फेंक दो, और दिल्ली सेफेस्ट सिटी है लाशों को dump करने के लिए भी। आखिर एक हजार लाशें दिल्ली में डम्प कैसे हा रही हैं। वहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी। कैसे यहाँ पर यह स्थिति हो रही है, इसके बारे में भी यहाँ इतनी महिलाओं के बारे में मैंने उस दिन पढ़ा था, चिंता प्रकट की कि बहुत ही महिलाओं की नग्न लाशें दिल्ली में डम्प हो रही हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यह कैसी बात हो रही है। परन्तु एक हजार लाशें चार महीने के अंदर दिल्ली में डम्प हो गई।

अध्यक्ष जी, दिल्ली में कितने बच्चे गुम हो रहे हैं। हम सब लोग बच्चों से प्यार करते हैं। हमारे बच्चे हैं। यहाँ पर किसी के पोते पोलियाँ, बच्चे हैं और एक साल में 6 हजार बच्चें गायब हो जायें। एक दिन आया था कि 8 बच्चे गायब होते हैं कि 12 होते हैं। परन्तु जो एनजीओज हैं वे कहते हैं कि दिल्ली में 18 से 20 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं। ये बच्चे कहाँ जाते हैं। उनके अंग भंग किये जाते हैं। उनके अंग बेचे जाते हैं। या उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। उनको चाइल्ड सेक्स में डाला जाता है, भीख मंगवाई जाती है, क्या किया जाता है। छोटा नम्बर नहीं है। एक दिन में 18 बच्चे गायब

हो जाना। और कोई उनमें से कोई दो चार पकड़े जायें, बाकी पकड़े ही न जायें। इतने बच्चे गायब हो रहे हैं। इतने बच्चों का पता नहीं चला रहा है। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह स्थिति है कि नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा शराब की दुकानें खोल दीं, बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में कर दिया। यह भी मैंने एक सर्वे देखा जिसमें लिखा है कि यह दिल्ली तो बड़ी टल्ली है यहाँ 13 वर्ष के बच्चे भी शराब पी रहे हैं। यहाँ पर 13 वर्ष के बच्चे को स्मेक का किया जा रहा है। स्कूलों के बाहर वहाँ पर स्मेक बिकती है। सारी जगह पर XXXXXXX दूसरी जगह पर स्मेक के अड्डे बने हुए हैं। क्या पुलिस को यह मालूम नहीं कि उसके इलाके में किस जगह पर स्मेक बेची जा रही है। कहाँ पर उसके अंदर ड्रग बेचे जा रहे हैं। कहाँ पर बच्चों की जिन्दगी शुरु से ही खराब की जा रही है। उनकी--व्यवधान

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, मंदिर में गुरुद्वारों में स्मेक बेची जा रही है, ऐसी बातें इस हाऊस में बैठ कर हो रही हैं। धार्मिक स्थानों में क्या होता है बताया जा रहा है, अध्यक्ष जी, यह कोई मतलब होता है। गुरुद्वारों में बोला जा रहा है, मंदिरों में बोला जा रहा है। अध्यक्ष जी, यह कोई मतलब है।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर कह रहा हूँ। वहाँ पर आप चले जायें उनके बाहर जो अपंग लोग बैठे होते हैं वहाँ पर हनुमान मंदिर के बाहर वहाँ पर इन चीजों को बेचा जा रहा है।

अंतरबाधाएँ

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। देखिये, प्रोफेसर साहब, किसी वजह से उसको निकलवा देते हैं। क्या आप अपने शब्द वापिस ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अपने शब्द वापिस ले रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मैं शब्द वापिस ले लेता हूँ। परन्तु मैंने कहा कि ऐसी जगह पर बाहर लोग स्मेक बेचते हैं। अपनी चीजें बेचते हैं, सब को मालूम है। वहाँ पर जगह-जगह पर अपंग लोगों के नाम पर कौन-कौन कहाँ-कहाँ क्या बेच रहा है, सब मालूम है परन्तु बिक रहा है। खुले आम बेचा जा रहा है। आखिर यह सारी की सारी स्थिति कैसे पैदा हो रही है। इसके बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाये जाते। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी कहा था यहाँ दिल्ली के अंदर जो बहुत से घटनाएँ दिल्ली को आतंकवाद से बहुत खतरा है। उस दिन एक मीटिंग हुई थी उसमें बहुत अच्छी बात हमारे जामिया मिलिया के वाईस चांसलर ने की थी। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में तो पुलिस जा ही नहीं सकती। पुलिस का जाना ही बेन है। उन्होंने कहा कि उसमें मायनर्टी के लोग लगायें पुलिस के लोग लगायें परन्तु यहाँ पर दिल्ली में आतकवाद के नाम पर क्या-क्या स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ कितने लोग पकड़े गये, Delhi Police break-up I.M. Cell. Pak National amongst six held.' Cops unearth Engineer triple terror strikes' पाकिस्तान से वाया नेपाल चल रहा आर्थिक आतंक। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली आतंकवाद के निशाने पर है और दिल्ली में बार-बार कहा जाता है कि दिल्ली में सिक्योरिटी आतंकवाद का बहुत यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं। बहुत से पाकिस्तानी मुहाजिब वो यहाँ पर आपरेट कर रहे हैं और यहाँ कई घटनाएँ हुई भी हैं। परन्तु उनको तोड़ने की बहुत ज्यादा जरुरत है। यहाँ पर बहुत से नाइजीरियन आये हुए हैं, बहुत से पाकिस्तानी और बंगलादेशी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो आ करके दिल्ली में आतंकवाद की इन सारी घटनाओं के लिए वहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी डिजास्टर मेनेजमेंट कितनी खराब हालत में है वो तो दिल्ली गवर्नमेंट को करना है कि डिजास्टर मेनेजमेंट इस बात पर वो कर सकें वहाँ पर एक घटना हो गयी उसके बाद उसका कोई प्रबंध नहीं। यहाँ दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने में क्या दिक्कत हो रही है। दिल्ली में हर जगह पर, हजारों चौराहों पर नहीं। सब कंस्टीट्यूंसीज में ईवन कॉरपोरेशन की कंस्टीट्यूंसीज

वगैरह में भी दस-दस जगह पन्द्रह-पन्द्रह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों क्राईम उसमें से बहुत ज्यादा कम हो सकता है। हम 900 करोड़ रुपया कनाट प्लेस में तो खर्च कर सकते हैं। सिगनेचर ब्रिज पर 1600 करोड़ लगा सकते है, ब्यूटीफिकेशन या ugilification के नाम पर कई हजार करोड़ रुपये उसमें फूंक सकते हैं परन्तु सीसीटीवी कैमरे लगाने हों तो उसके नहीं। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे। सीसीटीवी लगे हों तो चोरियाँ, डकेतियाँ, डकेतियाँ बाकी सब चीजें, बहुत सी चीजें पकड़ में आ सकती हैं। परन्तु सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मैंने कई बार इस बात को लिख करके भी भेजा था कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। आप एमएलऐज को भी अगर अलाऊ कर दें तो एमएलए अपने फण्ड से अपने इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, आप हमें अलाऊ करिये, हम तैयार हैं। परन्तु कोई सीसीटीवी कैमरे जहाँ पर नहीं लगने उसका, उसमें अलाऊड नहीं है, इसमें यह चीज नहीं हो सकती, उसमें क्या नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं लगाये जाते। पुलिस के जो इलाकों में सब काम कर रहे हैं पुलिस वाले। कहीं पर हैंड पम्प लगाना है तो पुलिस पकड़ने के लिए पहुँच जायेगी। एक लाख से पाँच लाख रुपये उसका होता है कि हैंड पम्प कैसे लगा रहा है, ट्यूबवैल कैसे लगा रहा है। पुलिस यह काम भी करती है। अनोथराईज्ड कंस्ट्रक्शन कहीं पर हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी जाती है। क्राईम नहीं रोका जा रहा। परन्तु यही काम उनको और उसमें से किस थाने में कौन जाना चाहता है किस पुलिस के इलाकों में कौन-कौन अफसर जाना चाहता है, इन्हें सब कुछ मालूम है। परन्तु क्राईम को रोकने की विल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पुलिस को करना है यहाँ पर पुलिस को कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त कदम उठाये पड़ेंगे। परन्तु सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कौन जिम्मेदारहै दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर का। यहाँ पर कमिश्नर साहब तो रिटायर हो रहे हैं। जाने वाले हैं। मैं ज्यादा बात उस बारे में नहीं कहना चाहता। नये आयेंगे

तो देखें। परन्तु यहाँ पर मुख्य मंत्री तो कह देंगी कि मेरे अंडर नहीं है। What is Home Minister doing? होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। होम मिनिस्टर दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर सिवाय इसके कि अफसर का ट्रांसफर इधर की बजाय ऊधर कर दो। इसको यहाँ से वहाँ भेज दो। उसको यहाँ से वहाँ भेज दो। या पार्लियामेंट में एक आँकड़े पेश कर दो। Statistics दे दो कि दिल्ली में क्राईम कम हो रहा है। Statistics, lies, white lies वहाँ पर statistics पर statistics दिये जाते हैं। दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर के लिए होम मिनिस्टर जिम्मेदार है। कोई एक मीटिंग उन्होंने एमएलऐज से की है।

(XXXXXX चिंहित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश पर (मंदिरों में गुरुद्वारों में) शब्द वालिस लिये गये)

आजतक किसी एमएलए को बुलाकर कहा हो कि आप लोग मेरे साथ बैठिए और बताइए कि क्या-क्या दिक्कत आ रही है। कोई एक मीटिंग उन्होंने लोकल एमपी के साथ की हो, होम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया है। आज पूरी दिल्ली की जो क्राइम की सिचवेशन है होम मिनिस्टर इसको नहीं संभाल सकते, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि Home Minister must quit. होम मिनिस्टर को छोड़ना चाहिए what is Home Minister doing? अगर दिल्ली में यह हालत है और यह लिखा जाता है कि दिल्ली रेप कैपिटल है, मर्डर कैपिटल है दुनिया भर के कितने अपराध हैं क्राइम कैपिटल है उसका जिम्मेदार होम मिनिस्टर है तो उसको जानो चाहिए और मुख्यमंत्री जी आपने यहाँ पर कई बार जब एनडीए सरकार थी बहुत बातो को बहुत जोर से उठाया था। परन्तु यहाँ क्राइम की हालत में सिवाय यह कह देने से कि मेरे अण्डर क्राइम नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ महिलाएँ रात को ना निकलें, क्यों निकलती हैं यहाँ इस तरह की बात कहने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में अपराधों की स्थिति बहुत

ही भीषण है बहुत भयंकर है, सारी दिल्ली खौफजदा है, दिल्ली सहमी हुई है। एमएलए के साथ एक काण्ड हुआ है और हमारे और एमएलए के ऊपर भी इस तरह की स्थिति है। परन्तु दिल्ली के हर आदमी को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। अगर हिन्दुस्तान की कैपिटल है राजधानी है तो आज दिल्ली के हर आदमी को कैसे सुरक्षा प्रदान हो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए और गृहमंत्री यह काम नहीं कर सकते तो गृहमंत्री को जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि सभी सदस्यों को इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, परन्तु यह दिल्ली के आम बाशिन्दे की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ सवाल है और इस सवाह को हम सारे गंभीरता से लें यही अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, सदन के मूड को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी वक्ता आएँ वे संक्षिप्त में बोलें जिससे सब बोलने वाले सदस्यों का नम्बर आ जाए और मुझे बीच में कहना ना पड़े। अब श्री धर्मदेव सोलंकी जी।

श्री धर्मदेव सोलंकी: आदरणी य अध्यक्ष जी, लॉ एण्ड आर्डर पर आज जो चर्चा हो रही है, वैसे तो आपकी बात ठीक है, माननीय विजय जी ने सारी बातें रख दी हैं विशेषकर अभी जो पिछले दिनों में हमारे इस विधान सभा सदस्य के साथ जो घटना घटी है वह वास्तव में बहुत दुखदायी है। उसके बाद तो तरह तरह की बातें मन में आती हैं कि गाँव में देहांत में और दिन में जिस तरह से यह घटना सुबह घटी। यह सबके बीच में घटी, यह पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि सुरक्षा होनी चाहिए लेकिन अति सुरक्षा भी ठीक नहीं है। हम पुलिस पर कहे ठीक है उनकी जिम्मेदारी है लेकिन हमें भी उस पर विचार करना चाहिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने अधिकार की बात करें तो हमें अपने कर्त्तव्य की भी बात करनी चाहिए। अगर यही रहा तो दिल्ली राजधानी का 10 साल का जीवन है आप मेरी बात लिख लो। अब कोई घटना हमारे

सामने घटे तो हमारी भी जिम्मेदारी है यह थोडे ही है कि हम गाड़ी बचाकर निकल जाएँ, पुलिस की भी जिम्मेदारी है हमारी भी जिम्मेदारी है। कहते हैं सुरक्षा जरुरी है लेकिन अति सुरक्षा ठीक नहीं। इसलिए यह जो घटना घटी है उसके बाद तो हम सबके दिमाग में कई तरह की बातें आ रही हैं। बाकी जो बुजुर्गों के साथ, बच्चों की बात जो बताई है यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। पंडित जी आपके उत्तम नगर में बहुत केस हो रहे हैं, नांगलोई में हो रहे हैं। कुछ गैंग ऐसे बने हुए हैं जो हमारी कालोनियों में गाँव की लड़कियों को कालोनी की लड़कियों को उठा करके ले जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि 10-10 दिन तक उसकी एफआईआर भी नहीं होती। थाने में जाते हैं कहते हैं आ जाएगी देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। किसी की मोटर साइकिल चोरी हो जाए, कोई कह दे कि ये जा रहे हैं भाग रहे हैं तो भी हमने देखा है कई बार पीसीआर की गाड़ी नाममात्र की है डरावा है। वे तो यह देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बना, किस तरह क्या मामला है। जगह-जगह बैरीकेट लगा रहे हैं, आम आदमी चाहे कोई बेचारा शादी से आ रहा है, कहीं काम से जा रहा है, कहीं सब्जी लेने के लिए बाजार में जा रहा है उनको रोक कर खड़े हो गये। तो यह बहुत गम्भीर मामला है। अध्यक्ष जी, मेरे से कुछ बाते छूट गई हैं, एक ऐसा गैंग है जो विशेषकर लड़कियों को उठा रहा है। बच्चों को उठा रहे हैं। जैसे ये लोग पकड़े जाते हैं, हम लोगों ने कईयों को पकड़वाया भी है, पकड़ने के बाद जब रात को उनसे पूछताछ हुई तो उनके कई-कई वकील गैंग वालों के आ जाते हैं। जो लड़कियों को और छोटे बच्चों को उठाते हैं, जमानत की बात होती है तो अगले दिन कोर्ट में जमानत होती है। ऐसे ऐसे गैंग भी हैं चाहे वे नाइजीरिया के हों चाहे बंगलादेशी हों चाहे पाकिस्तान के हों, मुझे कहने में कोई वो नहीं है। विजय जी ने कहा था कि जहाँ मंदिर और स्कूल हैं उनके पास शराब की दुकानें खोल रखी हैं। वहाँ नशीली चीज बिक रही हैं, इस तरह का कोई मापदण्ड नहीं है। ये अत्याचार तब से ज्यादा हुए हैं जब से लोग शराब पीने और मीट खाने लगे हैं। यह मेरा अपना जीवन का अनुभव है, मैं भी लोगों को देखता हूँ।

दिल्ली के लोगों को पानी तो मिला नहीं और शराब के ठेके जगह-जगह खोल दिए, इससे क्राइम होगें और क्या होगा। अब दुकानों के अलावा छोटे छोटे रेस्टारेंटस में भी उनको खोल दिया। अध्यक्ष जी, इस तरह का यह मामला बहुत गम्भीर है, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस वाले रोकते नहीं हैं, पिछले दिनों पुलिस का एक सिपाही था होम गार्ड का था जब उन्होंने टैम्पों को रोकने की कोशिश की तो टैम्पो वाले ने वापस आ करके उनको रौद दिया, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। मुझे यह भी पता है कई पुलिस वाले हमारे मित्र हैं मिलने वाले हैं रिश्तेदार हैं, पिछले 10-15 साल में तो इतना भय है पुलिस में भी इतना आतंक है वे कई बार कहते हैं कि जब रात को इस तरह की गाड़ियाँ दिल्ली में आती हैं गायों को लेकर, भैंसों को लेकर, चाहें वह रोहतक रोड से, हमने देखा है, हमने कुछ पकड़वाए भी हैं। द्वारका में गाय कटती हुई हमने पकड़वाई हैं। उनको पकड़ा गया है वे पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं आम आदमी को तो वे क्या समझेंगे। यह बात बहुत गम्भीर है कि देश की राजधानी में यह हालत हो गई है। जब एक विधायक के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी तो आम आदमी की क्या जिन्दगी रहेगी। आज आपने जो यह रखा है चाहे चैन स्नैचिंग का मामला हो, बच्चों के अपहरण का मामला हों, बुजुर्गो आदि का सारा, इन पर चर्चा हो चुकी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष जी, हम डीसीपी के यहाँ जाते रहते हैं बैठक होती रहती हैं एसएचओं के यहाँ भी हमारी मासिक मीटिंग होती है लेकिन यह सच्चाई है कि गम्भीरता से इसे नहीं लिया जा रहा। आदरणीय विजय जी ने जो बात रखी है कि ज्यादा ध्यान उनका यही रहता है कि कहाँ मकान नए बन रहे हैं, कहाँ पर बोरिंग हो रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर जनता भी और पुलिस की जिसकी जिम्मेदारी है अगर पुलिस थोड़ी सख्त होगी और जिम्मेदारी से काम करेगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, ऐसे हालात हो गये हैं कि हर आदमी चाहे पुलिस वाला कोई हो वह अपनी जान बचाने के चक्कर में चाहे कुछ

भी हो जाओ। यह हालात दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। एक दिन मैं रात को रोहतक से आ रहा था तो पीरागढ़ी चौक पर दो टैम्पो पशुओं के भरे हुए थे, पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की वे बैरीकेट तोड़ करके निकल गये, पुलिस की जिप्सी उनके पीछे भागी, हम भी वहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि टैम्पो वालों ने पुलिस पर पत्थर मारे, गाड़ी में से पुलिस को पत्थर मारे, आम आदमी की क्या हिम्मत हो सकती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि टैम्पो वालों ने पुलिस पर पत्थर मारे, गाड़ी में से पुलिस को पत्थर मारे, आम आदमी की क्या हिम्मत हो सकती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रुके तो एक आध हमारे भी उनमें मिलने वाले थे, बात हुई तो हमने उनसे पूछा तो कहने लगे कि यह तो पत्थर की बात है ये तो कट्टे भी रखते हैं, हथियार भी रखते हैं। अगर पकड़े जाएँ, घेर लिए जाएँ तो वे गोली भी चला देते हैं।......व्यवधान अध्यक्ष जी, आज जो लॉ एण्ड आर्डर पर जो चर्चा हुई है विजय जी ने सारी बातें विस्तार से रखी हैं, मैं उन सभी बातों के साथ अपने विचार भी जोड़ता हूँ और आशा रखता हूँ कि इस चर्चा का कोई लाभ हो, चर्चा पहले भी कई बार हुई है। थानों में भी और डीसीपी के यहाँ भी लगातार इस तरह की बैठकें हों और उन पर कार्रवाई हो तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री करण सिंह तंवर

....व्यवधान.....

श्री करण सिंह तंवरः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कानून व्यवस्था पर जो दिल्ली वासी आज महसूस कर रहे हैं, उस पर रोशनी डाली। लेकिन कानून व्यवस्था आज इतनी नहीं बिगड़ी है। ये कानून व्यवस्था तो जब केन्द्र में कांग्रेस सत्ता में आई और दिल्ली में आई ये तब से बेड़ा गर्क हो गया है दिल्ली के अंदर। सब जगह पर....नहीं ऐसा नहीं है, आप बात

करने दो।

श्री नसीब सिंहः ..व्यवधान.......

अध्यक्ष महोदयः नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए। नसीब सिंह जी बैठिए।

.......व्यवधान......

अध्यक्ष महोदयः करण सिंह जी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः रमेश जी, करण सिंह को बोलने दीजिए।

नसीब सिंहः XXX[1]

श्री करण सिंह तंवरः XXX

श्री नसीब सिंहः XXX

अध्यक्ष महोदयः नसीब सिंह जी, आप बैठिए, नसीब जी....ये सब कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री करण सिंह तंवरः आप अटैन्शन को डाइवर्ट मत करो। सनो आज किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं आप।

XXX चिहिनत अंश अध्यक्ष महोदय क आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

...व्यवधान...

श्री करण सिंह तंवरः अच्छाा चलो आप भी मेरे से सीनियर हो, जाओ।....माननीय विजय कुमार जी ने बड़े संक्षेप में दिल्लीवासी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस पर रोशनी डाली। और मैंने जैसे आपसे कहा कि जो ये लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति जिस तरह की बनी हुई है। ये आज की पैदाइश नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, चाहे सैन्टर में या दिल्ली में ये तब से ही पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया और कानून व्यवस्था नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गयी।

....व्यवधान....

श्री करण सिंह तंवरः आप मिनिस्टर रहे, आपको हटा दिया आप चुपचाप बैठे रहो। मिनिस्टर से हटा दिया, इतना अपमान आपका हुआ फिर भी बोल रहे हो। बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदय, पूरी दिल्ली के अंदर जुल्म जाति और अत्याचार से जनता में हा-हाकार मचा हुआ है। मुझे बड़ा महसूस होता है कि जस तरह से माननीय विजय जी ने भी इस उल्लेख किया कि अखबार के दो पेज पहले फ्रन्ट पर चाहे वह इंगलिश का हो, हिन्दी का हो या मीडिया के चैल्स हों, सब में कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर दिन-दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, कहीं पर गैग रेप हो रहा है। कीं पर आगजनी है, मतलब दुनिया भर का क्राइम डेली हमें अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है। मुझे बड़ी हैरानगी है कि, अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे आपने अपहरण देखें होंगे। महिलाओं को सुबह 5 बजे शौच जा रही हैं मायापुरी में और वहाँ से उठाकर ले गये। वहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि एक स्टूडैन्ट मेरे गाँव की था नारायण की लड़की जिसको दिन-दहाड़े धौला कुंआ से उसका मर्डर कर दिया बेचारे बुजुर्ग सोते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मीडिया वालों को बख्शा तक नहीं जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। जजों

को पीटा जा रहा है। ये कम बात हो रही है और इसे मुख्यमंत्री गंभीरता से नहीं लेती हैं। पल्ला झाड़ लेती हैं कि दिल्ली की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। अरे आपके हाथ में है क्या फिर? जो बिजली है, पानी है। जो ये पैट्रोल पम्प की दरें हैं। दुनिया भर के लोग मर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। जब उसका ही ये हाल हैं, उस पर भी आप ये कह देती हैं और लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में कह देती हैं कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है। माननीय विजय जी मैं आपकों भी बताना चाहता हूँ कि...तो जेल में जाओगे, हँस रहे हो यहाँ पर एक दिन XXXX[2] । चुपचाप बैठिए।

अध्यक्ष महोदयः एक मिनट सुनिये बैठिये। ये XXX कार्यवाही से निकाल दीजिए। इतना गुस्से में भी मत आओ कि ये कहना पड़े।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष महोदय, वे मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? अध्यक्ष महोदय, जब भरत सिंह को गोली लग सकती है। जिस व्यक्ति ने आपके सदन में मुख्य मंत्री से गुहार की कि मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। जसवन्त राणा ने कहा कि मेरे बच्चे के नाम पर फिरौती मांगी जा रही है। जब उनके साथ ये हो सकता है, आपकी पार्टी के सदस्यों के साथ, उनकी जान-माल की रक्षा नहीं हो सकती तो इसको कौन करेगा? यह बड़ा गंभीर विषय है। it is very sensitive issue. अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी चली गयी यहाँ से। यहाँ पर होना चाहिए था। मैं कुछ कहना चाहता था उनके बारे में क्योंकि कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। सारा सदन बैठा है, गंभीर विष्य है। भरत सिंह जी जो हमारे कुलीग हैं, विधायक हैं। वे मौत और जिन्दगी से जूझ रहे हैं। ऐसा इश्यू है। सारे विधायक...कभी कोई कहता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें ये चाहिए। अभी मेरे सुनील वैद्य जी जो अपोजिशन के सदस्य हैं, उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद भी, उनकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी उनमें स्पष्ट लिखा है कि इनको दो कांस्टेबल दे दिये जाये। लेकिन उसको इम्पलीमैन्ट नहीं किया गया। और कितनी जानें जायेंगी? मुख्यमंत्री

और क्या देखना चाहती हैं? और कितने लोग मरें? 10-11 साल में कई हजार लोग जा चुके हैं अब तक। इतनी घटनाएँ घट चुकी हैं। ऐसे-ऐसे संगीन हाइसे हो चुके है। ऐसे-ऐसे क्राइम हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहने लगती हैं, पल्ला झाड़ देती हैं कि दिल्ली पुलिस तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या नहीं कर सकती? जब मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले में सीएजी ने उनको इन्डिक्ट किया, शिंगलू कमेटी, प्रधानमंत्री ने जो एप्वाइंटमैन्ट की। उसने इन्डिक्ट किया।

...व्यवधान....

श्री करण सिंह तंवर: आप ठहरो। आप बैठिए।

[2]XXX चिहिनत अंश अध्यक्ष महोदय क आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

.....व्यवधान....

श्री करण सिंह तंवर: सीवीसी ने....

....व्यवधान....

श्री करण सिंह तंवर: अरे भाई उससे कनैक्टेड है। आप बैठिए। उसका पार्ट है।

......व्यवधान........

श्री करण सिंह तंवर: आप सारी बात सुनो। अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात कर हा

हूँ। सीवीसी ने इन्डिक्ट किया। मुख्यमंत्री जी अपने को बचाने के लिए वे प्रधानमंत्री से भी अपने आप को बचा सकती हैं और होम मिनिस्टर से भी बचवा सकती हैं कि मै भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई मुझे काल न करें। उससे अपना बचाव करा सकती हैं। अफजल गुरु, जसको फांसी के फंदे पर लटकना था, उसकी फाइल को वे कहीं पर रख सकते हैं कई-कई महीनों तक ताकि वे तीन साल तक आतंकवादियों या दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं, पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन करके, उनको संरक्षण देती हैं....

....व्यवधान....

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, क्राइम कहाँ से ठीक होगा।

......अंतरबाधाएँ........

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, XXXX

............अंतरबाधाएँ..........

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, ये क्यों चिल्ला रहे हैं।

..........अंतरबाधाएँ............

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, यह गलत बात है।

...........अंतरबाधाएँ.........

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, यदि हमें डिस्टर्ब किया गया तो हम कांग्रेस के एक भी मेम्बर को बोलने नहीं देंगे। हाऊस को ऑर्डर में आना चाहिए।

......अंतरबाधाएँ........

अध्यक्ष महोदयः नसीब सिंह जी बैठिए। आप सब बैठिए। तंवर साहब, मेरी बात सुनिए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है। अध्यक्ष जी, मेरी एक रिक्वैस्ट है। आपने मुझे दो दिन सदन से निकाला। मैं आपकी बड़ी रैसपैक्ट करता था। अभी भी करता हूँ। आज मुझे लॉ एण्ड आर्डर पर बात करने के लिए, बोलने का मौका मिला है।

........अंतरबाधाएँ.............

XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदयः साहनी साहब, आप बैठिए। इनको बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा संयमित बोलिए। आपको बोलने से कोई नहीं रोकेगा। आप इनको बोलने दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी आ गई हैं।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। आप सदन में ऐसे कैसे कह सकते हैं। अध्यक्ष जी, यह objectionable है। या तो ये प्रूव करें नहीं तो यह प्रिविलेज का मामला बनता है।

..........अंतरबाधाएँ.............

अध्यक्ष महोदयः आप सुनने दीजिए।

श्री साहब सिंह चौहानः यदि प्रिविलेज का मामला बनता है तो आप लाइए। लेकिन बोलने तो दीजिए।

........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः पुलिस कमिश्नर को संरक्षण वाली जो बात कहीं है वो सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए।

...........अंतरबाधाएँ................

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, XXXX क्यों नहीं है। उनको टेलीफोन किया जाता है। आतंकवादी को खुला छोड़ दिया जाए, क्रिमिनल को खुला छोड़ दिया जाए। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति कैसे ठीक रहेगी।

..........अंतरबाधाएँ..........

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि यह विषय नहीं है कि पुलिस कमिश्नर को संरक्षण दें। इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि दिल्ली की

XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण देती हैं और अफजल गुरु को ....। वो सब सदन की कार्यवाही से निकलवाइए। उसको delete करिए।

अध्यक्ष महोदयः आप बोलिए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मेरे पास प्रूफ है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया है। आप बैठिए। आप बैठ जाइए, आप उनको बोलने दीजिए। वो दस बार बोलेंगे तो दस बार सदन की कार्यवाही से निकलवायेंगे। आप थोड़ा सा ठीक बोलिए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी सिंगलू कमेटी ने indict किया।

.........अंतरबाधाएँ...........

श्री मुकेश शर्माः सिंगलू कमेटी के बारे में कैसे बोल रहे हैं। वे लॉ एण्ड आर्डर पर बोलें।

अध्यक्ष महोदयः यह लॉ एण्ड आर्डर में कहाँ है। यह Law and Order में नहीं है।

..............अंतरबाधाएँ.................

श्री करण सिंह तंवरः जब उससे बचाव कर सकती हैं तो यह कानून व्यवस्था कैसे ठीक नहीं हो सकती। वो होम मिनिस्टर से मिलकर, एल.जी. से मिलकर और प्रधान मंत्री से मिलकर..........।

............अंतरबाधाएँ................

अध्यक्ष महोदयः आप Law and Order पर आ जाइए, ठीक रहेगा। आप लोग बैठिए।

..............अंतरबाधाएँ...............

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, आप ये जो इलाके में activities करते हो XXXX ।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, वे Law and Order विषय पर बोलें।

..............अंतरबाधाएँ..................

अध्यक्ष महोदयः आप Law and Order पर आ जाइए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, मैं Law and Order पर बोल रहा हूँ।

श्री कँवर करण सिंहः अध्यक्ष महोदय, वे कह रेह हैं कि भू माफिया और scandals होते हैं, वो आपके द्वारा होते हैं। इन्होंने ऐसा कहा है। आप सुनिए। आप पूरा वर्ड सुनिए।

अध्यक्ष महोदयः यह भू-माफिया वाला भी सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री करण सिंह तँवरः अध्यक्ष जी, आप सारी चीज कार्यवाही से निकाल देंगे तो फिर यहाँ पर Law and Order का क्या रहा।

..........अंतरबाधाएँ............

श्री करण सिंह तंवर: अध्यक्ष जी, कमाल है, मुख्यमंत्री जी बड़े-बड़े भ्रष्टाचार से तो अपने आपको बचा सकती हैं और यहाँ पर जो गोलियाँ चल रही हैं। उससे नहीं बचा सकतीं।

अध्यक्ष महोदय: करण सिंह जी, आप शुभ-शुभ बोलिए ताकि वो सदन की कार्यवाही में आये। आप ठीक तरह से बोलिए।

श्री करण सिंह तंवर: अध्यक्ष जी, भारत सिंह हमारे जो माननीय विधायक हैं। वो XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं। आपकी कांग्रेस के श्री जसवन्त सिंह राणा विधायक वो यहाँ पर रो रहे थे। वो मुख्यमंत्री जी से अपनी जिन्दगी के लिए गुहार कर रहे थे। उनके बेटे की जिन्दगी खतरे में थी। सुनील वैद्य ने आपसे सुरक्षा मांगी। किसी ने कोई सुरक्षा नहीं दी और मैं पुलिस से फिर कह रहा हूँ कि जब पॉलटिकल लीडर क्रिमिनल्स को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डालेंगे।

.......अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदय: आप गलत बोल रहे हैं।

............अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदय: करण सिंह जी ने संरक्षण देने के लिए कहा है।

........अंतरबाधाएँ.........

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, वे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

..............अंतरबाधाएँ............

डॉ.जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, सदन को ऑर्डर में लाकर उनको बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: जहाँ तक संरक्षण देने वाली बात है, उसका कोई प्रूफ तो हो। आप वैसे ही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

.........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदय: लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा चल रही है। अपराधियों को संरक्षण देने की जहाँ तक बात है वो आज का विषय नहीं है।

...........अंतरबाधाएँ.................

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर साहब मेरी रिक्वैस्ट यह है कि आप भ्रष्टाचार पर अलग से चर्चा ले आइयेगा, आप उस पर चर्चा करियेगा। तब तो यह बात ठीक है। लेकिन लॉ एण्ड आर्डर पर नहीं होना चाहिए।

..........अंतरबाधाएँ............

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, Crime बढ़ रहा है। Crime को Political patronage मिलता है। यह बिल्कुल ठीक बात है। हम यह बात repeatedly कहेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्हें बोलने से कोई नहीं रोक सकता।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। तंवर जी आप ठीक ठीक बोलिए। नहीं तो हाऊस नहीं चलेगा।

...........अंतरबाधाएँ................

अध्यक्ष महोदयः आप छोटी बातों पर क्यों जाते हो। आप ऊँचे स्तर की बात करो। आप इतने पुराने एम.एल. ए हैं। आपका कोई तो स्तर होना चाहिए।

..........अंतरबाधाएँ............

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो Law and Order की स्थिति है और दिल्ली में मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हों। जब कहीं पर कोई चीज होगी वो चाहे पुलिस से connected हो तो हम यह करा देंगे, हम वो करा देंगे। मैं पुलिस को instruction देती हूँ। मैं पुलिस को अपने घर बुलाऊँगी। उसको यह कहूँगी। वे जब पुलिस कमिश्नर को अपने घर बुलाकर instruction दे सकती हों और मुख्यमंत्री की इतनी चलती हो तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है। यह Law and Order बिल्कुल ब्रेक हो गया है, जो कानून व्यवस्था ठप्प हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं। अगर XXXX------------ ।

श्री रमाकान्त गोस्वामी, उद्योग मंत्रीः आप अपने शब्द वापिस लीजिए।

............अंतरबाधाएँ...........

अध्यक्ष महोदयः ये शब्द सदन की कार्यवाई से निकाल दीजिए।

............अंतरबाधाएँ...........

अध्यक्ष महोदयः अब आप बैठ जाइए।

XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से सदन की कार्यवाही से निकाल गए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए।

.............अंतरबाधाएँ............

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। आप सब बैठ जाइए। तंवर साहब अब आप बैठ जाइए। अब आपका टाइम समाप्त हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बैठ जाइए।

..............अंतरबाधाएँ..............

श्री करण सिंह तँवरः अध्यक्ष जी, ये सुनने की आदत डालें। यह क्राइम आप लोगों की वजह से बढ़ रहा है।

..............अंतरबाधाएँ................

(श्री करण सिंह तंवर वैल में अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने आ गए।)

अध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठ जाइए। आप लोग शान्त रहिए। आप ऐसे हाऊस चलाना चाहते हो तो मैं एडजार्न करके चला जाता हूँ। करण सिंह जी का समय समाप्त हो गया है। अब श्री तरविन्दर सिंह मारवाह बोलेंगे।

प्रो.विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, क्या एक मिनिस्टर तय करेगा कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। Let the Speaker decide.

अध्यक्ष महोदयः आप एक मिनट बोलेंगे और ठीक बोलेंगे। नहीं तो आप हाऊस में नहीं रहेंगे।

..............अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठ जाइए।

.............अंतरबाधाएँ.....................

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, आपकी बात मंत्री नहीं मान रहे। मंत्री जी बार-बार खड़े हो रहे हैं। स्पीकर साहब ने बोला है कि वे एक मिनट बोलेंगे और आप सब लोग बीच में खड़े हो रहे हैं। Speaker said so.

...........अंतरबाधाएँ............

अध्यक्ष महोदयः करण सिंह जी, अब तो आप काफी बोल लिए। आप गुस्सा भी हो लिए। अब चुप रहिए।

..........अंतरबाधाएँ............

अध्यक्ष महोदयः मेरा सवाल नहीं है। सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए।

डॉ.जगदीश मुखीः अध्यक्ष जी, Why they feel offended? इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। फर्जी मार्केट का वो क्यों चमक पड़ते हैं।

.........अंतरबाधाएँ..........

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, प्रोफेसर साहब ने पुलिस को शाबाशी देने के बजाय पूरी दिल्ली को इस तरह कह दिया कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कितने नाम लिए।

...........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः इन बार आप बोले तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। मैं माफी

चाहता हूँ। आप सदन को चलने दीजिए। आपकी reality देख ली। अब आप बैठ जाइए। सब ने सुन ली। आप बैठिए। मारवाह जी बोलिए।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, प्रोफेसर साहब, उस वक्त मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट थे, यही दिल्ली थी यहाँ पर, जो कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ, यही दिल्ली थी, बाहर नहीं थी दिल्ली, यह किसकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार थी। आज क्या बात करते हैं प्रोफेसर साहब।

...........अंतरबाधाएँ.................

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, प्रोफेसर साहब ने पुलिस के बारे में जो कहा, हमें पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि चौ. भरत सिंह जी के हमलावरों को

.............अंतरबाधाएँ............

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, ये सुनते नहीं हैं, देख लो। हमें शाबाशी देनी चाहिए कि 12 घंटे, 14 घंटे के अंदर-अंदर पुलिलस ने कार्रवाई करके

...............अंतरबाधाएँ...............

डॉ. जगदीश मुखी: होनरेबल मैम्बर को गोली लगे और दूसरा मैम्बर कहे कि शाबाशी दो। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है अध्यक्ष महोदय। एक होनरेबल मैम्बर को गोली लगे और दूसरा होनरेबल मैम्बर कहे कि शाबाशी दो। क्या बात है यह? शाबाशी की बात कर रह हैं ये?

...............अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदयः बैठिये, बैठिये, मनोज जी, बैठिये। त्यागी जी, बैठिये। अनिल जी, बैठिये।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ नहीं रहे ये, हम भी चौ. भरत सिंह जी के साथ हैं। हम उनसे बाहर नहीं है, ये तो अभी तक गये नहीं उसके यहाँ, हम तो तीन-तीन दिन लगातार गये। आप बात तो सुना न पहले, जो हम कह रहे हैं। हम यह कहते हैं कि जिनको पकड़ा है, लेकिन उसके पीछे किसकी साजिश है।

................अंतरबाधाएँ.....................

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, आपने दो बार, तीन बार कहा मैं इसको नेम करुंगा। आज जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, सुन लो मेरी बात

.....................अंतरबाधाएँ...................

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः कमाल हो गया, कमाल हो गया। देख लो अध्यक्ष जी, कितने सीनियर हैं लेकिन उसके पीछे किसकी साजिश है, पूरी बात नहीं सुन रहे। मैं पुलिस को यह कहना चाहता हूँ कि उनके पीछे जिसकी साजिश है, जो विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा है और सारा सदन इस पर सहमत है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जो लोग इसके पीछे है उनको अरेस्ट करना चाहिए, वो एमएलए हमारा भाई है, हमारा खून है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ

..................अंतरबाधाएँ.................

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, आप इनको नेम नहीं कर रहे तो हम इंतज़ाम करें।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा करिये, राठी जी, करण सिंह जी को ले जाइये, पानी वानी पिलाइये थोड़ा सा। आप चले जाइये आप। मारवाह जी, बोलिये।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, अभी मल्होत्रा जी ने कहा आज दिल्ली में एक करोड़ 80 लाख आबादी हो गई। अगर रेस्टोरेंट्स बनते हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खाने जाते हैं, तो मेरे को यह नहीं समझ आ रही विजय कुमार मल्होत्रा जी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? आज अगर रात को, मेरे साथ चले विजय कुमार जी क्योंकि हम तो रात के राजे है, मेरे साथ चले। पूरा सुबह दो बजे तक दिल्ली चलती है, कभी नहीं चली। अब आप रात को एक बजे, दो बजे, साढ़े 12, एक बजे उनको कौन सुरक्षित कर रहा है दिल्ली पुलिस सुरक्षित कर रही है अध्यक्ष जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, यह रात के राजा शब्द कहा, रात का राजा, रात की रानी ये शब्द बहुत गलत हैं, निकाल देने चाहिये। रात का राजा और रात की रानी बहुत गलत है।

डॉ. जगदीश मुखीः सर, हमें तो पता नहीं, यह रात का राजा का मतलब क्या होता है, ये बता दे ज़रा

..........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः सुनिये, बैठ जाइये, बैठ जाइये। वो बोल रहे हैं। नसीब जी, आज सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो आप। बसोया जी, बैठिये।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, रात की बात यह कह रहा हूँ कि हम राम को शादियों में जाते हैं, आप मेरी बात सुनो अध्यक्ष जी.........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सुनिये, मेरी बात सुनिये पहले, आप एक दिन प्रो मल्होत्रा साहब और प्रो मुखी दोनों को लेकर निकलिये फिर दिखाइये रात का क्या होता है? मारवाह जी, बोलिये।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के टाइम दिल्ली में कोई कानून नहीं, जिस पार्लियामेंट का मैंने जिक्र किया और आज मैं दिल्ली कमिश्नर की तारीफ तो करुंगा ही करुगा वो किस लिए करुंगा

.................अंतरबाधाएँ................

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, आप बोले, हम नहीं बोले। जिसने काम किया हो, अध्यक्ष जी, काम करने की बात है, अभी करण सिंह जी ने कहा, नारायण में जो लड़की की बात कही, जो लेकर भागा, चार दिन में पुलिस ने ढूंढकर दिया, हम तारीफ नहीं करेंगे जो काम होगा अध्यक्ष जी। जैसे जसंवत राणा जी के लिए मुख्यमंत्री जी ने बात की और उसी टाइम एक्शन हुआ कि नहीं, बताये जसवंत राणा जी, खड़े होकर बताओ हुआ कि नहीं एक्शन? अध्यक्ष जी, इसी पर शोर मच रहा था, मेरे भाई त्रिलोकपुरी से इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा पुलिस कमिश्नर को कि इनके जो एलजी के ऑर्डर हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए इनको सुरक्षा, जब हम मांगेंगे नहीं तो सुरक्षा देंगे कहाँ। बात उठी है, डर चीज़ हुई है यह तो वारदात जो हुई है, उससे पहले ही सब ने उठाई है आवाज़। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ क्योंकि एमएलएज की ज़िम्मेवारी बड़ी है अध्यक्ष जी, आज पानी, बिजली चाहे कोई भी बात हो और दूसरी पार्टियों के भी लोग जो आपस में खुंदक खाते हैं। शादी में जोओ 50 आदमी, 100 आदमी इकट्ठा होकर छोटसी सी बात को लेकर बैठ जाएगा और हाथापाई की नौबत आती है तो उस लिहाज से मैं तो यह ज़रुर इस पर सहमत हूँ कि पूरे जितने भी हम 70 सदस्य है मंत्रियों को

डबल सिक्योरिटी होनी चाहिए और हमारे घर में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए अध्यक्ष जी क्योंकि बच्चे घर में अकेले होते हैं, 100-200 आदमी आ जाए हम रात, बेरात में एक-एक बजे, साढ़े बारह-बारह बजे तक बारातें अटेंड करते हैं उस वक्त घर में कोई भी नहीं होता, बच्चे अकेले होते हैं। 200 ग्रुप का बन कर आ जाए, दो घंटे लाइट चली जाए, पानी न हो, तो लोग इकट्ठ होकर घर पर पथराव शुरु कर देते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़ा ज़रुरी प्वाइंट है, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा और आपका भी धन्यवाद कि आपने भी इस पर करा, मुख्यमंत्री जी ने भी करा और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कानून व्यवस्था, दिल्ली में कानून व्यवस्था है मल्होत्रा जी और यह भी न कहो, कुछ लोग हर महकमे में खराब है, यह नहीं कि दिल्ली पुलिस में। आज दिल्ली नगर निगम आपे हाथ में है आप जे.ई..., ए.ई. से पूछो क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार में जो एक्साइज है, सैल टैक्स है, वहाँ का हाल पूछो, यह तो 24 घंटे, अभी मल्होत्रा जी ने कहा कि दिल्ली में आतंकवाद पनप रहा है, कंट्रोल तो किया हुआ है ना, आज एक साल कोई वारदात हुई आतंकवाद की, बताओं। हाईकोर्ट के बाद, आज एक-सवा साल हो गया हाई कोर्ट का, तो वो हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं। अभी मेरे अजीज ने यह भी कहा कि हमें भी पुलिस का साथ देना चाहिए, कानून व्यवस्था पर साथ मिल कर काम करना चाहिए। यह तो मल्होत्रा साहब, दोनों तरफ से ताली बजती है। आप बिल्कुल भी मत कहो लेकिन मैं यह जरुर कहूँग अध्यक्ष जी, चौधरी भरत सिंह जी की इंकवायरी जरुर होनी चाहिए। इसके पीछे किसकी साजिश है, किन लोगों ने किया है उनको बेनकाब किया जाना चाहिए क्योंकि चुना में एक-सवा साल रह गये हैं। कहीं चुनाव के लिहाज से पीछे बेक में कोई और हो। क्योंकि जिस तरह से अखबारों में आया है कि नये लड़के थे। उसकी तो इंकवायरी होनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, क्राइम के रेट दिल्ली में अभी मुख्य मंत्री जी भी जवाब देंगी, बहुत कम हुए हैं। आतंवाद का ही देख लो।

अध्यक्ष जी, आज दिल्ली पूरे वर्ल्ड की चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो हर दिल्ली पर अटैक करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस काम कर रही है नहीं तो चौथे दिन यहाँ पर बम फटे। लेकिन दिल्ली को पुलिस वालों ने बचा भी रखा है। मल्होत्रा जी, यह न कहो कि दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर नहीं है। कोई बड़ी वारदात हो, पुलिस अपना काम करके दिखाती है। एकदम करके दिखाती है। मेरे भाई के यहाँ डाका हुआ, एक दिन के बाद पुलिस ने पकड़ लिये। यह क्या हुआ अध्यक्ष जी, ठीक है, हम सब को मिल कर काम करना चाहिए। आज दिल्ली में 20 या 30 लाख लोग 15 लाख 10 लाख लोग 5 लाख लोग रोज यहाँ पर आते हैं। कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई पानीपत से आ रहा है कोई सोनीपत से आ रहा है। अध्यक्ष जी, रोज राम को लोग उठते हैं आरदात करके वापिस भाग जाते हैं। अध्यक्ष जी, हमें सब कुछ सोचना चाहिए। लेकिन हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः आप इसे सम-अप कीजिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, मैं ये दो चार बातें जरुर कहूँगा। एक तो जो उपराज्यपाल महोदय ने कहा हुआ है कि एमएलए की मीटिंग होनी चाहिए। चलो हमारे इधर तो होती है, बाकी भी सब जगह होनी चाहिए। कमेटियों का चेयरमैन बना रखा है। सवाल जवाब होने चाहिएँ। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं कहूँगा कि आजकल एफआईआर ऑन लाईन हो गई है। आप अपनी एफआईआर घर बैठ कर भी चैक कर सकते हो। ये चीजें पुलिस ने तरक्की जरुर की है, पुलिस ने काम जरुर कर रही है। होम-मिनिस्टर की जो हमारी आपसी बात है पॉलीटिकल है, अफसरों की बात है, हम जायेंगे उसके पास, अलग बात है लेकिन हमें दिल्ली पुलिस का हौंसला बढ़ाना चाहिए और हमको उनके साथ मिल कर काम करना चाहिए और यही मैं कहता हूँ।

अध्यक्ष जी, आपने बोलने के लिए टाईम दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, सदन बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है और जब प्रतिपक्ष के नेता ने इस चर्चा पर बोलना शुरु किया तो सभी सदस्यों ने बहुत शांतिपूर्वक उनकी बात को सुना। और कोई टीका टिप्पणी बीच में नहीं हुई। उसके बाद जिस तरीके से चर्चा का राजनीतिकरण किया गया है लगाता है कि हम कहीं न कहीं ला एण्ड आर्डर के विषय से भटक रहे हैं और हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा जब हम भी विपक्ष में 93 से 98 तक बैठते थे और केन्द्र में विपक्ष की सरकार होती थी मुखी जी हंस रहे हैं उस वक्त ये वित्त मंत्री थे। तो हम भी हर सत्र में कानून व्यवस्था पर जो रिजर्व सबजेक्ट था उस पर चर्चा मांगा करते थे। आपकी राजनीतिक मजबूरी है कानून व्यवस्था पर चर्चा मांगना। हम इस बात को समझ सकते हैं। लजेनि अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का भाव यह नहीं है कि हम कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब दिल्ली में कोई गंभीर विषय हुआ है तो बकायदा माननीय गृह मंत्री जी से मिल कर और पुलिस आयुक्त महोदय से मिल कर या उनको बुला कर बात पर न केवल चिंता व्यक्त की है बल्कि सबसे पहले यदि किसी ने दिल्ली में एक्ट किया है और अपनी जिम्मेवारी को समझा है तो माननीय मुख्य मंत्री श्रीमति शीला दीक्षित जी ने यह बात पूरी दिल्लीवासी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए और गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगना बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी राजनीतिक विवशता है। आपको जहाँ से आदेश आता है बम्बई के पास से, जहाँ पर अध्यक्ष के बेटे की शादी होने वाली है। अब जगह का नाम लूंगा, आपको दर्द होगा।

आपको उस आदेश का पालन करना आपकी मजबूरी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आज चर्चा करते करते प्रोफेसर मल्होत्रा साहब एक बहुत गंभीर विषय बीच में कह गये और वो गंभीर विषय कहते कहते उनको लगा कि वो जिस तरह से उसका राजनीतिकरण कर रह हैं मेरी नजर और मेरे कान मल्होत्रा जी की तरफ से और उन्होंने इसमें कोट किया है किसी वाईस चांसलर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मायनर्टीज के जहाँ पर पुलिस घुस नहीं सकती। आप इस विषय को जहाँ ले जाना चाहते हैं हम उस विषय को वहाँ ले जाना नहीं चाहते। हम विशुद्व रुप से इस विषय को दिल्ली की बानून व्यवस्था और दिल्ली की आम आदमी की सुरक्षा का सवाल बना कर चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे यह जानने का अधिकार है मानीय मल्होत्रा जी से क्योंकि ये प्रतिपक्ष के नेता हैं और बहुत जिम्मेदार नेता हैं और लगता है इनको यह सदन रास नहीं आ रहा वो लोक सभा से आये हैं और इनको बहुत तजुर्बा है बोलन का। उनका अभी दिमाग वहीं है और वैसे आप का यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, आपको वहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आपको दस पन्द्रह साल और कुछ मिलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सलाह है सर, मेरी आपको, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मल्होत्रा जी को यह जरुर मेन्शन करना चाहिए था जब आतंकवादियों का सवाल उठाया क्या दिल्ली के लोगों को इस देश के लोगों को आप से पूछने का अधिकार है या नहीं है कि आप पार्लियामेंट अटेकर्स को, आप हाई जेकर्स को, आतंकवादियों को जेल से निकाल कर हवाई जहाज में बैठा कर कंधार छोड़ने का जिम्मेदार कौन है, कौन मंत्री था। उसका नाम आपको बताना चाहिए। क्यों उसका नाम आप हाऊस को नहीं बता रहे। और अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना मैं रिकार्ड पर यह भी कहना चाहता हूँ मैं जानता हूँ जो व्यक्ति हाऊस में मौजूद नहीं है उस व्यक्ति का हाऊस में नाम नहीं लिया जाना चाहिएं मल्होत्रा जी, आपको यह भी बताना चाहिए कि क्या यह

सही है या गलत है कि श्री जसवंत सिंह जी ने अपनी किताब में लिख है कि हमने केवल छोड़ा ही नहीं था पैसे भी सरकार ने नम्बर दो में दिये थे। आपकी सरकार आतंकवादियों को छोड़ने के साथ-साथ आतंकवादियों के आकाओं को सरकारी खजाने से विकास के पैसे को फिरौती के रुप में देती रही है, आपको बताना चाहिए था। आप बताना भूल गये, मैं बता रहा हूँ। आपको यह लॉ एण्ड आर्डर में मेन्शन करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी मेन्शन करना चाहिए था कि इस देश में ऐसा होता है जानबूझ कर मकसद को हल करने के लिए किडनेप करवाये जाते हैं और अध्यक्ष जी, इससे बड़ी कोई शर्म की घटना नहीं हो सकती कि भारत सरकार का एक मंत्री विशेष विमान से कैदियों को छोड़ ने विदेश जा रहा है और नोट साथ ले कर जा रहा है। आप लॉ एण्ड आर्डर का क्या मजाक उड़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, तरविन्दर जी ने इस विषय को दूसरे ढंग से यमाहौल किसी और ढंग में तबदील हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज भरत सिंह जी का विषय उठाया जा रहा है। एक अपराधिक घटना हुई गोली चली निश्चित तौर पर एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना हो तो आम आदमी खौफ की दृष्टि में आता है। अध्यक्ष महोदय, जैसे यह घटना हुई जो शुरु के समय में कुछ चुने हुए प्रतिनिधि पहुँचे, मैं भी उनमें से एक हॉस्पीटल पहुँचने वालों में था। मुख्य मंत्री जी भी उनसे मिलने गई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्राईम हुआ है, पुलिस की जिम्मेदारी है यह कोई शाबासी या बगैर शाबासी का विषय नहीं है। क्रिमिनल को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी थी, पुलिस ने बखूबी इस काम को निभाया है लेकिन सबसे अच्छाा काम सबसे बड़ा काम मनोज शौकीन जी से बात कर रहा था वे देहात से आते हैं, मुंडका से एमएलए हैं। हमारे धर्मदेव सोलंकी साहब देहांत से संबंधित हैं। जो विधायक नजफगढ़ और देहात से आ रहे हैं उनको इस परिस्थिति का पता है। अध्यक्ष महोदय, यदि दिल्ली पुलिस ने संजीदगी से काम नहीं लिया होता, उस घटना के बाद तो उसकी 48 घंटे में दिल्ली देहात के अंदर अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति बड़ी भीषण और बड़ी विकट बनने वाली थी। मैं

सुमेश जी नीचे बैठ कर कह रहे हैं, मैं वो चीज रिकार्ड में नहीं बोल सकता लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने दिल्ली पुलिस की पुलिसिंग को देखा है। मैंने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनसे मेरा परिचय नहीं था विवेक गोगिया जी, मैंने उनको पुलिसिंग करते हुए देखा है। पुलिस ने संजीदगी से बहादुरी से दोनों विषय का परिचय देते हुए दिल्ली देहात में टकराव को न केवल रोका है बल्कि उन क्रिमिनलस को पकड़ कर उनके अंजाम तक पहुँचाया है। जो और लोग बचे हैं उनको भी पुलिस मुस्तैदी से पकड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, खास तौर पर साउथ वैस्ट डिस्ट्रिक्ट इस घटना से रिलेटिड है जो हमारा ढासा बोर्डर तक देहात पड़ता है। इसके ऊपर अब निश्चित तौर पर पुलिस तीखी नजर से काम कर रही है और उसी तीखी नजर से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे 18 से 23 तक की उम्र के जो नौजवान हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी यहाँ पर रेप कैपिटल, चोरी की कैपिटल पता नहीं किन-किन उपाधियों से मल्होत्रा जी ने पुलिस को सम्मानित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब जब शासन कमजोर होता है और जब जब पुलिस कमजोर होती है जो तब तब प्रजा का नुकसान होता है। इस सदन में जिस तरीके से हम पुलिस को कमजोर करना चाहते हैं, जिस तरीके से पुलिस को demoralize किया जा रहा है और मानव अधिकार उल्लंघन के नाम पर, मल्होत्रा साहब आज क्या हो रहा है आप जानते हैं, आज दिल्ली पुलिस का कोई आफिसर, अगर कोई उसके ऊपर गोली चला रहा हो तो आज वह एनकाउंटर नहीं करता इसलिए कि आरोप लगता है कि फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। आप इस पक्ष को भी देखिए और अध्यक्ष महोदय, पिटाई के बगैर कोई डरता नहीं है। मैं उन मानव अधिकार संगठनों को भी कहना चाहता हूँ सदन के माध्यम से कि जब किसी का बेटा मरता है तो उसके मानव अधिकार का भी उल्लंधन होता है। जब पुलिस उस criminal

को मारती है तो वह मानव अधिकार सबको नजर आ रहा है। जब वह criminal किसी के बेटे को मार रहा है वह मानव अधिकार उल्लंघन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसको कोई नहीं देख रहा है आज कोई उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ अगर दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मी है और दिल्ली पुलिस अगर लॉ एण्ड आर्डर संभालने में सक्षम नहीं है और यदि दिल्ली पुलिस से हमारा विश्वास उठ गया है तो विधायकों को दिल्ली पुलिस के सुरक्षा गार्डो की जरुरत क्या है वही हमारे को मार देंगे। जिस पुलिस से हम सुरक्षा मांग रहे हैं उससे हमारा विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस से हम सुरक्षा मांग रहे हैं उस पर हम इल्जाम लगा रहे हैं कि वह गैगस्टर को पनाह दे रही है। अध्यक्ष महोदय, पानी में जोक होती है, तालाब, जोहड़, मैं जानता हूँ अध्यक्ष महोदय मैं उनमें तैरा हूँ। हर तालाब में जोक होती है, हर संगठन में गलत लोग हो सकते हैं, जोक पकड़ ले तो छूटती नहीं है ऐसे ही दिल्ली पुलिसक के सिस्टम में भी हो सकता है कहीं न कहीं लैप्सिस हों, लकुनाज हों, आज आवश्यकता उनको ठीक करने की है। आवश्यकता इस बात की है कि उस सिस्टम के अन्दर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कहीं न कहीं criminals को इनफार्मेशन pass on कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की जरुरत है। लेकिन जिन लोगों के कंधे पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है यदि हम अपने सिस्टम को जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं अपने ही सिस्टम को हम चार कहेंगे और अपने ही सिस्टम को कहेंगे कि वह failure रहा है तो दिल्ली की सुरक्षा कौन करेगा? आर्मी करेगी क्या साहब? माफ करना दिल्ली में ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मल्होत्रा जी शायद इस बात को भूल रहे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें और आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। अध्यक्ष जी, क्षमा करना, मुझे किसी को lession देने का अधिकार नहीं है मेरे भी दो बच्चे हैं। मेरा बेटा यदि रात को 10.30 बजे घर नहीं आए उसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने जवान बेटे से पूछे, मेरा बेटाा 22 साल का है कि बेटा तू कहाँ पर है, किस स्थिति के

अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है मैं बहुत गंभीर विषय कहना चाहता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी कुछ न कुछ कहीं न कहीं है कि हमें अपने बच्चे के whereabouts पता हों। आज दिल्ली के अन्दर जो अभी धर्मदेव जी ने सामाजिक बात कही है, अध्यक्ष जी, मैं ऐसे केसो को जानता हूँ, रोना आता है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, मुखी जी के इलाके के वे बहुत प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति, अध्यक्ष जी, वह मेरी बहन बेटी, मुझे रात को 12 बजे फोन आया कि यह हादसा हो गया, मैंने पुलिस को जगाया, मैंने डीसीपी को उठाया, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस को उठाया, पुलिस कमिश्नर को उठाया। अध्यक्ष जी, रात को में पुलिस के साथ राजस्थान गया, राजस्थान जाकर मैं अपनी उस बेटी से मिला, मैं सबके लिए नहीं कह रहा लेकिन मैं एक सच्ची घटना का जिक्र कर रहा हुँ मैंने उससे पूछा कि बेटसी तेरे साथ क्या हुआ, उसने कहा कि अंकल मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैंने इस लड़के से शादी कर ली है ओर मैं अब घर नहीं जाना चाहती। अध्यक्ष महोदय, मैं एफआईआर करा कर गया था। आज दिल्ली में एक सामाजिक पहलू यह भी है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ अधिकार हैं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का केस दर्ज करने का। यदि लड़की की उम्र 18 साल है तो दिल्ली पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। अदालतों के आदेश हैं मेरे आदेश नहीं हैं। आप यह विषय क्यों नहीं उठा रहे हैं, मल्होत्रा साहब मुझे आपसे पूछने का अधिकार है, आपने कितनी दफा भारत के गृहमंत्री को चिट्ठी लिखि, दिल्ली के लॉ एण्ड आर्डर के विषय को लेकर आपको वे चिट्ठियाँ टेबल करनी चाहिए थीं। अगर आपको लगता है कि कहीं अपराध हो रहा हैं आप चिट्ठियाँ लिखिए, हम भी रोज पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे इलाके में गलत हो रहा है, confidential लिखते हैं कि यहाँ शराब बिक रही है इसको रोका जाए और कार्रवाई होती है। आप बताएँ कितनी दफा आपके लिखा। आपने नहीं लिखा। सिर्फ हाउस में आएँगे, गालियाँ देनी हैं आपने, मजबूरी है आपकी पोलिटीकल

आदमी हैं आप। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आको कहना चाहता हूँ कि हमें संजीदगी से काम करने की जरुरत है। एक और लीगल flaw दिल्ली में आ गया है आज कम उम्र के बच्चे क्राइम कर रहे हैं। हम टेलीफोन करते हैं तो कहते हैं कि साहब इसकी उम्र 12 साल है, इसको हम पकड़ ही नहीं सकते। पता नहीं इस देश में कौन सा कानून है। कोई तब्दील करने की बात नहीं कर रहा है। इस हाउस को consensus से इस juvenile पर विचार करना चाहिए। हो सकता है organized way में किसी और ने लगा रखा हो लेकिन आज पुलिस हाथ नहीं डाल सकती कानूनी तौर पर। इस पर हम कोई काम नहीं कर रहे। अध्यक्ष जी, जहाँ तक जसवंत राणा जी का विषय है और धर्मदेव साहब ने कहा था कि एसएचओ हमें बुलाता है, देखा अध्यक्ष जी, मैं अपने सब साथियों से हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूँ मैं तो अपने इलाके के 18 साल में 8 बार भी थानों में नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना, विधायक का स्तर पुलिस स्टेशन में जाने का नहीं है। दोस्ती में जाओ अलग बात है, मित्रता में जाओ, चाय पीने चले जाओ। एक जनप्रतिनिधि जिसको दो ढ़ाई लाख लोगों ने चुना हो अगर वह एसएचओं के पास जा रहा है और री-री कर रहा है तो भाई माफ करना फिर तो घर ही बैठो चुनाव लड़ने की जरुरत नहीं है डाक्टर ने थोड़े ही बोला है कि राजनीति करनी है। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमिश्नर से बात करो, बाकायदा एक सिस्टम है। कौन कहता है पुलिस कमिश्नर मिलने से मना करते हैं हमने जितनी बार सुबह टाइम मांगा है आधे घण्टे में टेलीफोन पर टाइम आता है ज्वाइंट सीपी से टाइम मांगो दो मिनट में आता है। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैं इसलिए यह आपको यह बात कहना चाहता हूँ हमारे मकसद कुछ और हैं। मैं एक घटना आपको बताता हूँ अभी बब्बर साहब यहाँ से चले गये और पूरन चंद योगी अब इस संसार में नहीं हैं स्वर्ग में हैं। मल्होत्रा साहब एक जमाने में वैस्ट डिस्ट्रिक्ट होता था पूरा वैस्ट। मुख्यमंत्री जी आपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनवाई थी, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग

चल रही थी दीपक मिश्रा जी डीसीपी थे। पूरनचंद योगी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता वे नहीं हैं सदन में उन्होंने विषय उठाया लोहा मण्डी में जो आप रेहड़ियाँ की बात कर रहे थे कि लोहा मण्डी से सरिया बाहर पड़ा है जिससे ट्रैफिक जाम होता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कहा कि एसएचओं मिला हुआ है। दीपक मिश्रा जी ने कहा कि यह रिकार्ड पर ले आओ कि आनरेबल एमएलए ने कहा है कि कार्रवाई की जाए और एसएचओ को कहा कि आपने अगर 24 घण्टे में आने रिमूव नहीं किया चालान नहीं किए तो मैं आपको सस्पैंड कर दूंगा और साथ में यह रिकार्ड करवा दिया कि अब अगर किसी एमएलए का टेलीफोन जब दोबारा रेड हो फिर आए तो वह भी रिकार्ड पर ले आना। उन्होंने कहा कि रुक जाओं मैं कल सोच कर बताऊँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह क्यों कह रहा हूँ, हम रेहड़ी खोमचे वालों की शिकायत कर रहे हैं कि उठाइए। डंडा चलता है उठती हैं। फिर हमारा एक कार्यकर्ता उसमें घुस जाता है वह हमारी जिन्दाबाद बोलता है फिर दो घण्टे बाद हम एसएचओ को फोन करते हैं कि रुक जाओ सब ठीक ठाक हो गया अब छोड़ दो उसको। अध्यक्ष जी, हम मिसयूज क्यों कर रहे हैं अगर रेहड़ी उठानी चाहिए तो उठनी चाहिए। हम अपने अन्दर यह पोलिटीकल विल बनाएं। कुछ चीजों को तो हम जन्म दे रहे हैं, कुछ चीजों को हम पनाह दे रहे हैं और उसमें पुलिस भी बीच का रास्ता निकाल लेती है, वह भी अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली पुलिस के एक थाने में तीन फूल वाले तीन इंस्पैक्टर हैं, यह थोड़ा अटपटा विषय है। मैंने एक दिन किसी से पूछा कि भाई यह क्या है, कहने लगा जी कि एक एसएचओ है, एक तपदीशकर्ता है, तीसरा कौन है भाई, कहने लगा कि जी यह ओवरआल थोड़ा देख लेता है। अध्यक्ष जी, एक एसएचओ होता था और उसकी एक एचएचओ की कम्पलीट जिम्मेदारी उस पुलिस स्टेशन की होती थी। यह जो तीन इंस्पैक्टर लगा रखे हैं इस सिस्टम को बदलने की जरुरत

है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक आनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें अनाथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए एमसीडी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी व एनडीएमसी के अलावा पुलिस को भी जिम्मेदार कहीं न कहीं मान लिया गया है कोई ऐसा आर्डर है माननीय मुख्यमंत्री जी। इस आर्डर को लॉ डिपार्टमेंट को दिखाकर रिवोक करने की जरुरत है उसमें से पुलिस की शक्तियाँ पुलिस को यह अधिकार हटाया जाय कि पुलिस के पास जो यह फालतू का काम लगा हुआ है इस काम से पुलिस को छुटकारा मिले। अध्यक्ष जी, जहाँ तक क्राइम बढ़ने और कम होने का सवाल है मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे आरटीआई एक्सपर्टस ने हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पालिटीकल सिस्टम ने आजकल परदर्शिता हिन्दी का एक नया शब्द आ गया ट्रांसपेरैंयशी, अभी जैसे जल बोर्ड में हमारे यहाँ कम्प्यूटर में टेंडर प्रोसैस होने लगा गये है एस्टीमेंट क्या है उसमें थोड़ा समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय, अब सिस्टम नया बनेगा, तो थोड़ा समय तो लगेगा। हर सिस्टम में ट्रान्सपेरेन्सी ला रहे है। अध्यक्ष महोदय, उस ट्रान्सपेरेन्सी का नतीजा है जब से एफआईआर ऑन लाइन हुई हैं, आज कोई आदमी पहले 5-10 साल पहले मुझे याद है, एफआईआर करवाने के लिए लोग धक्के खाते थे। आज किसी आदमी को एफआईआर करवाने से मना नहीं करवाया जा रहा है। आज एफआईआर करवाइये, जिस सैक्शन में केस बनता है, पुलिस केस रजिस्टर्ड कर देती है और रिकॉर्ड पर क्राइम बढ़ता जा रहा है। एफआईआर के हिसाब से लेकिन जो एक्चुअल क्राइम है, उस क्राइम का रेट दिल्ली की इतनी बढ़ती हुई आबादी के दबाव में जब पुलिस पर्सनल की संख्या उस मात्रा में नहीं बढ़ाई गयी है। उसके बावजूद जो दिल्ली पुलिस का जो रोल है, वह ठीक है लेकिन एक कमी जो है, दिल्ली के लोगों को कॉन्फिडेन्स बिल्डअप करने की जरुरत है। पुलिस के प्रति जो विश्वास की लोगों में कमी पैदा हुई है, उसको जिन्दा किया जाये, जागृत किया

जाये और पुलिस को स्ट्रैंग्थन किया जाये, मजबूत किया जाये और पुलिस को ये अधिकार दिया जाये कि जरुरत पड़े तो डण्डा पुलिस चला सके। येन हो कि क्रिमिनल को आओ, भाई साहब, चाय पिओ। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री आसिफ मोहम्मद खानः ....व्यवधान........

अध्यक्ष महोदयः शोएब इकबाल जी।

..........व्यवधान.........

अध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठिए। शोएब इकबाल जी

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद और आज की जो चर्चा लगी हुई है, यह बहुत पहले से लगी हुई थी और होनी भी चाहिए और हमेशा दिल्ली के अंदर जब कोई सत्र होता है एक दो मर्तबा ला एण्ड ऑर्डर पर चर्चा होती है और चर्चा होने से कम से कम नतीजा ये निकलता है, उसका आउटपुट ये निकलता है कि पुलिस थोड़ी हरकत में आती है, एमएलएज वगैरह की मीटिंग्स शुरु हो जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो थाना लेवल कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट की शुरु हो जाती है। बहरहाल, अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों जो घटना घटी हमारे साथ भरत सिंह जी के साथ, और यहाँ पर तमाम हमारे सदस्यों ने ये मांग की कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और काफी दर तक ये मामला उठा, मैंने भी अपना मामला उठाया, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बहुत ज्यादा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने जो अपना रोल अदा किया, हक अदा किया कि आपने जो अपना रोल अदा किया, हक अदा किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर मेरे साथ जो हादसा हुआ, जो काण्ड हुआ। उसकी मैंने आपको इत्तिला दी। एक दिन पहले की बात है। जसवन्त राणा के ऊपर, मरे भाई के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से उनके बच्चे पर हुआ, सुरेन्द्र जी हमारे साथी बैठे हैं, इनके ऊपर भी, इनकी जान का भी खतरा मंडरा रहा था। और सबसे इस हाउस ने, भजपा के लोग यहाँ नहीं थे, ये होते तो ये भी साथ मे बोलते, इसमें कोई शक नहीं। तमाम साथी, हम लोग एक साथ हैं, इस हाउस के मेम्बर हैं, साथी हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर हम लोगों ने आपके सामने अपनी गुहार लगाई थी। और आपने भी काफी वक्त दिया, सुना और उसके बाद हम लोग आपके चैम्बर में गये। आपने तुरन्त उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर से बात की और पुलिस कमिश्नर ने हमारे ही सामने आपको उन्होंने आक्ष्वासन दिया कि नहीं, मैं इस पर बात करुँगा और अगले दिन मुख्यमंत्री के यहाँ आपने वक्त रखा। सुबह वह टाइम फिक्स था, सुबह 11 बजे का। पुलिस कमिश्नर वहाँ मौजूद लेकिन वह घटना घट गयी। मेरे साथी यहाँ बैठे थे, मेरे रुम पार्टनर भरत सिंह, उस वक्त भी यही कह रहे थे कि भाई जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलगा, तब तक किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको आज कह देता हूँ। पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेट हुड जब तक नहीं मिलेगा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जब 1993 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, हम लोग सब यहाँ से उठकर एक साथ चले गये थे। पी.वी. नरसिम्हा राब जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये मांग आज से नहीं, हम लोग 20 साल से उठा रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये, पुलिस दी जाये। लेकिन नहीं होता। आज लाइये प्रस्ताव इस हाउस के अंदर। ये प्रस्ताव लेकर आये, सरकार लेकर आये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये और सब उठकर सीधे चलें प्रधानमंत्री के यहाँ। आप जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं लोगे आपके पास कुछ नहीं। हर स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर गवर्नर, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर होता है।

....व्यवधान......

श्री शोएब इकबाल: अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहाँ से गये और हमारी बात को सुना गया। लेकिन अफसोस कि सरकार जब उसमें हम लोग थे, जो अपोजिशन में थे उस वक्त। मुकेश शर्मा थे, राजकुमार चौहान जी थे, डॉ. वालिया जी तो हल्के फुल्के रहते थे उस वक्त भी, और दूसरे साथी जो हल्ला गुल्ला किया करते थे। यह किशन हमारा खब्बू। सब लोगों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया। लेकिन उसके बाद जब केन्द्र में हमारी सरकार आई मेरी मुख्यमंत्री साहिबा की। तो फिर हम लोग भूल गये। करते हम थे। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब इधर की पार्टी उधर चली जाती है, उधर की इधर चली जाती है, तो जो दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्ज की बात है, वह खत्म हो जाती है। अफसोस न जाने कौन सी वे ताकतें पीछे बैठी हैं जो नहीं चाहती कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। पिछले दिनों बात उठी थी, हमारे साथियों ने कई...कुछ हद तक पुलिस का महकमा हमको दे दिया जाये, एनडीएमसी एरिया छोड़ दिया जाये, कन्टूनमैन्ट एरिया छोड़ दिया जाये। ट्रेफिक पुलिस दे दी जाये। होना चाहिए, कुछ तो हो। लेकिन अफसोस कि जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पायेंगे, कि जब तक हमें पूर्ण अधिकार न मिल पायें। आज सारी बात गृह मंत्रालय पर जाती है। तो आज सारी जिम्मेदारी गृह मंत्री की भी होती है। अध्यक्ष महोदय, पूरी गृह मंत्री की होती है। अभी बात आ रही थी दानिक्स सर्विसेज की। इसके अलावा यही तो कह सकती हैं जा सकती हैं मुख्यमंत्री, टेलीफोन कर लेंगी। यही होगा। आप बेचारे यही कर सकते हो कि आप टेलीफोन करो। आपने हाउस के अंदर अपनी एक रुलिंग दे दी कि ठीक है ये होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। कह सकते हैं आप, किसी का गिरेबान तो जाकर नहीं पकड़ सकते, जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड ऑर्डर का जहाँ तक ताल्लुक है, दिलली के अंदर कानून व्यवस्था का आज की बात नहीं, आप 50 साल पहले

चले जाइये, सौ साल पहले चले जाइये। उससे पहले चले जाइये या उससे भी पहले चले जाइये। दुनिया में जब से दुनिया बनी है, तो लॉ एण्ड ऑर्डर तो मैं नहीं समझता कि किसी कि वक्त में संभला होगा। राजा महाराजाओं का मुगलों का किसी का भी वक्त रहा हो।

क्राइम तो इसी तरह से चलते रहे हैं। लेकिन हमारी दिल्ली के अंदर आबादी, परसों मुख्यमंत्री साहिबा कह रही थीं कि 1993 में 1800 सौ मेगावाट हमें मालुम है। उस समय मदन लाल खुराना जी कहते थे कि हम को 400 मेगावाट और मिल जाए तो पूरी दिल्ली को बिजली दे देंगे। वो 1800 मेगावाट 2200 मेगावाट में आई और आज 5 हजार मेगावाट के करीब आ गई। आबादी बढ़ रही है और इस तरह से डिमान्ड भी बढ़ रही है और इसी तरह से दिल्ली में क्राइम भी बढ़ रहा है। आबादी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। हमारे जितने बॉर्डर्स हैं वो चाहे यू.पी बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, हमारे जितने बॉर्डर लगे हुए हैं। वहाँ से क्रिमिनल्स आते हैं, वे दिल्ली में वारदात करते हैं और फिर वापिस चले जाते हैं। सब जगह वैस्टर्न यू.पी से और इधर उधर से आते हैं और वो क्राइम करके चल जाते हैं। वाकई में उनके लिए राजधानी है। इसमें कोई शक नहीं है। उनको कौन identify करे। यह समझ से बाहर है। कोई भी नहीं कर सकता। एक पुलिस वाले की शक्ल सौ क्रिमिनल्स जानते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला सौ क्रिमिनल्स को नहीं जान पायेगा क्योंकि वो रात दिन चेन्ज होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को सुझाव के साथ रखना चाहूँगा। नंबर वन, दिल्ली के जितने एम.एल.एज हैं। इनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, वो हर हालत में की जाए। जो रिस्क में हो या रिस्क में नहीं हो या हाई रिस्क में हो या नहीं हों। तमाम M.L.As को दी जाए। किसी के साथ भी जसवन्त राणा वाली बात हो सकती है और हमारे साथी भरत सिंह वाली बात हो सकती है और हमारे साथी भरत सिंह वाला हादसा हो सकता है। अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। गृह मंत्री के पास हम को चलना पड़े, मुख्यमंत्री साहिबा उनके पास जाना पड़े। आप लेकर चलिए। अपने तमाम

अपोजीशन्स को भी लेकर चलिए। हम को भी लेकर चलिए। उनसे जाकर बात की जाए। अफसोस की बात है। कोई मीटिंग नहीं होती है। कोई बात नहीं हो सकती। आप गृह मंत्रालय तक जा नहीं सकते। हाँ, एक वक्त था। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त वी.के. दुग्गल साहब होम सैक्रेट्री थे तो हम उनके मिलने के लिए दूसरे, तीसरे दिन चले जाते थे। तब हम लोग होम सैक्रेट्री तक तो जा सकते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज यदि कोई गृह मंत्रालय जाना चाहे तो आपका कोई एम.एल.ए वहाँ पर जा नहीं सकता है। वहाँ किसी से मिल नहीं सकता है। वहाँ पर इतनी restrictions है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जो अधिकार और स्टेट्स में M.L.As के होते हैं। कोई किसी के अंदर सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। आप कहीं चले जाइए, यह चाहे पंजाब का मामला हो। एक एक M.L.A को दस दस सिक्योरिटी गाड्र्स और पायलट मिलता है। कश्मीर का हो, उसको भी इस तरह से मिलता है। यू.पी का हो, उसके साथ भी काफी होते हैं। राजस्थन हो, तमाम स्टेटों में लेकिन दिल्ली वालों में आपके अंदर क्या कमी है। दिल्ली सब को पालती पोसती है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, स्पीकर हो और डिप्टी स्पीकर हो। मंत्री हों, उनको सिविल में दे दिया जाता है। यह समझ में नहीं आता है कि कौन जा रहा है, यह मिनिस्टर जा रहा है। एक उसका भी Status होता है, भाव होता है। आप इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटसी दीजिए। मैंने यहीं पर इसी हाऊस में कहा था, यह रिकॉर्ड में है कि कोई न कोई काम में आयेगा तो जब ही मामला बनेगा और मामला बना भी है। यह रिकॉर्ड है। यह कहा था या नहीं कहा था। मैंने शुक्रवार को कहा था और अगले दिन ही यह हादसा पेश आ गया। देखिए, एक पुलिस वाले से यदि वो वर्दी कें होगा तो उससे सौ बदमाश भागते हैं। एक पुलिस वाला मोटर साइकिल पर पेट्रोलिंग करता होता है और उसने आकर अपना सायरन बजा दिया। अध्यक्ष महोदय, पूरे क्रिमिनल्स घबराते हैं कि यहाँ पर पुलिस घूम रही है। वे पास नहीं आते। आपको यह व्यवस्था लानी होगी। अध्यक्ष महोदय, थाना लेवल कमेटी हर महीने में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाली दो महीने में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दिल्ली में 60 हजार लोगों को दिल्ली पुलिस ने बंदूक के लाइसेंस दिए हुए हैं। उनको यह परमिट किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपना असला आर्म खोलकर चलें। वो ये क्रिमिनल्स जहाँ भी देखेंगे कि तीसरे चौथे आदमी के पास रिवॉल्वर लगी हुई है तो वो घबरायेगा। मैं आपको बड़ी अच्छी राय दे रहा हूँ। 60 हजार लोगों के पास Arms हों। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो बदमाश है, जो क्रिमिनल्स हैं वो घबरायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दिल्ली के अंदर 30 साल के अंदर जब से हम ने देखा है वो चाहे आतंकवाद का मसला हो। यह खत्म होता जा रहा है। तब कम्युनल राइट्स कितने होते थे। वो खत्म। यह भी एक अच्छा माहौल बना है। यह सरकार 17-18 साल से है। मेरी आपसे यह विनती है कि ये जो आपकी भाईचारा, तालमेल बना हुआ है। यह चीज दिल्ली पुलिस ने बडी अच्छी की है। लेकिन ये जो डंडे वाली बात थी। डंडे वाली बात के अंदर सिर्फ इतना था कि उसका दबदबा बना रहे। आदमी मर्डर कर देता है। अध्यक्ष महोदय, वो लोग स्मैक पीते हैं और उसको उठाकर पुलिस वाला बन्द नहीं कर सकता। यदि वो मर गया तो यह कहेंगे कि वो इसकी वजह से मर गया। आपने रैन बसेरे खोल रखे हैं। उसके अंदर घुसकर सारे काम हो रहे हैं। जैसा आपने, मल्होत्रा साहब ने कहा, उसके अंदर सिलोचन पिये जा रहा है। पैसे वाले वो कहीं पर भी सही हैं। इसमें फैक्ट है। वो मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, उस जगह के आसपास बैठे लोग भिखारी हैं और वो खा रहे हैं। यह फैक्ट है। आप इनको पकड़कर ले जाओगे और फिर उनको पकड़कर जेल में डालोगे।

अध्यक्ष महोदयः आप समाप्त कर दीजिए।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मैं conclude कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, उनको आप पकड़ नहीं सकते। वो पता नहीं कौन से मानवाधिकार हैं। यह पता नहीं है

कि वो कहाँ पर बैठे होते हैं। Modern लोग, अजीबो गरीब किस्म के वो वहाँ से हुक्म चला देते हैं। किसी को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। बच्चों का उठाकर ले जाते हैं तो कुछ नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। कोई आदसा पेश आ जाए। उसके ऊपर पुलिस रिएक्ट नहीं कर सकती। जैसा कि अभी मुकेश ने कहा। वो अपनी बात कहकर भाग जाता है। अध्यक्ष महोदय, यदि किसी क्रिमिनल को पकड़ लो। उससे चोरी उगलवाने के लिए, आप उसको टेड़ी आँख से भी नहीं देख सकते। कानून इतने सख्त कर दिए गए हैं कि आपके सारे अधिकार नौंच लिए गए हैं। पुलिस क्या करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि पुलिस कमिश्नर साहब से बात करने के लिए मैंने आपके रिक्वैस्ट की। आपने फौरन पुलिस कमिश्नर साहब से बात की। यह बात भरत सिंह के हादसे से पहले रात की बात है। आपने मीटिंग भी तय करा दी थी। उसी रात को मेरे पास, उसी के पाँच मिनट के अंदर, मैं आपके कमरे में बैठा हुआ था। तभी एडीशनल पुलिस कमिश्नर का मेरे पास टेलीफोन आ गया। उन्होंने तुरन्त सारी व्यवस्था कर दी। मैं कमिश्नर पुलिस, इससे पहले भी रहे हैं और भी रहे हैं। मैं सब की इज्जत करता हूँ, मैं मान सम्मान करता हूँ। भाई सोलंकी साहब हम लोग थाने के S.H.O के पास नहीं जाते और न हम ने कभी रखा। हम ज्यादातर पुलिस कमिश्नर से या जॉइन्ट पुलिस कमिश्नर से या डी.सी.पी, उससे नीचे के अफसर से बात नहीं करनी चाहिए। आप नीचे के अफसर से बात करोगे या उनके पास जाओगे तो आपकी कोई वेल्यू नहीं रहेगी। आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आपकी भी मान, सम्मान है। हमारे और साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। सब लोग कम से कम ऐसा नहीं करते। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हम लोग पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन

अध्यक्ष महोदयः शोएब साहब आप खत्म कर दीजिए। आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है। अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। आपको शुक्रिया करने के साथ-साथ मैं कुछ पेपर ले करना चाहता हूँ। कुछ क्रिमिनल्स ने मुझ पर हमला किया। मैंने पुलिस को और एल.जी साहब को और कमिश्नर साहब को जो डिटेल दी है और मैं पर्सनली गृह मंत्री साहब को मिला। मैं ये पेपर्स ले करना चाहता हूँ। मैं मिला लेकिन गृह मंत्री ने वो काम नहीं किया। जो काम पुलिस कमिश्नर और आपने कर दिया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। आप ये पेपर्स रख दीजिए।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मैं ये पेपर्स दे रहा हूँ। ये रिकॉर्ड के अंदर आ जायें।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। आपने टेबल कर दिया है। ठीक है।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने कहा कि किसी का लाइसेंस नहीं बन रहा। जितने एम.एल.ए हैं, उन सब के लाइसेंस तुरन्त बनवाए जायें। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः नरेश गौड़ जी।

श्री नरेश गौड़ः अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, कोई सोलह साल की युवती गहनों से लदी हुई सुनसान बियाबान जंगलों से होती हुई सारे बाजार में होती अपने घर आ जाये। राजा का इकबाल होता था, किसी बदमाश को देखने की हिम्मत नहीं होती थी। आज आजादी के 64 वर्ष बाद भी जो व्यक्ति थानों में एफआईआर दर्ज कराने जाता है वो सिफारिश ढूँढता है, शिकायत करने वाला भी सिफारिश ढूँढ रहा है, जिसके खिलाफ

की जा रही है वो भी सिफारिश ढूँढता है। क्या यह बात ठीक नहीं है कि दिल्ली पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, अपराधियों को दहशत और भय नहीं है। मल्होत्रा साहब ने बहुत सारे गैंगों का वर्णन किया है, भू माफिया और बहुत सारे माफिया जिस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि कब अपराधी कब अपराध करके भाग जाये, कब उसके दिमाग से खुराफात आये पर अपराधी अपराध करके बच न पाये यह तो दिल्ली पुलिस का काम नहीं है। और जो आरगेनाइज्ड गैंग हैं, सट्टा चल रहा है, जुए के अड्डे चल रहे हैं, शराब बिक रही है, भू माफिया के गैंग हैं, क्या यह सब पुलिस की जानकारी में नहीं है और दिल्ली में जमीन है नहीं। ईटों के भाव जमीन, लाखों के भाव जमीन, बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं बिक सकती। मेरे स्वयं के साथ वाकया घटा। ज्वाइंट कमीशनर अगर बीच में न पड़ते तो सारा का सारा थाना भू माफिया के साथ मिला हुआ था। अध्यक्ष जी, दिल्ली पुलिस ने दो सुंदर व्यवस्थाएँ की थीं। बीट कांस्टेबल, जो कि अपने क्षेत्र में निगाह रखेगा कि कौन व्यक्ति नया है और कहाँ से आ रहा है, कहाँ अपराघ हो रहा है, उसकी जानकारी देगा। आज बीट कांस्टेबल का काम क्या है, कहाँ पर भवन निर्माण हो रहा है, कहाँ पर डीप बोर किया जा रहा है। कहाँ पर रेहडी लगाई जाये, कहाँ पर ठिकाने लगाये जाये, कहाँ पर पान का और चाय का ठेला लगाया जाये। मैंने पिछली बार भी बोल था कि मेरी विधान सभा में 14 रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट के नाम पर वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। मैंने विधान सभा मुें भी बोला था उसके बाद हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, सारे पुलिस के अपराधी थे। मैंने एलजी साहब को बोला कि मेरी विधान सभा में 14 रेस्टोरेंट हैं जो कि वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। वहाँ पर 500 प्रति घंटा, सौ रुपये की कैंपा कोला और 100 रुपये की अंकल चीप्स, एक लाख रुपया थानों को जाता है और सरेआम काले शीशे लगे हुए हैं। उस के बाहर 15-15, 20-20 मोटर साइकिल खड़ी हुई हैं। कुर्सी मेज नहीं हैं, चार चार फुट के तख्त पड़े हुए हैं। एलजी

साहब की दखतअंदाजी के बाद वहाँ के डीसीपी थे, यादव जी उन्होंने कहा कि गौड़ साहब मुझे अड्डे दिखाइये। हम गाड़ी में धूमे और उनको दिखया आठ दिन में बंद हो गये, उसके बाद यादव साहब का ट्रांसफर हो गया। सालों साल यह अड्डे चले और इस विधान सभा में तीन बार मैं बोला हूँ कि अड्डे चल रहे हैं। कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए मैंने कहा है कि जो आरगेनाइज क्राईम है उसको रोका जा सकता है। किसको नहीं पता उस गैंग के बारे में। हमारी विधान सभा में कई अड्डे चलते हैं, मैंने देखा है, जिस अपराधी को थाने के दो सौ मीटर दूर तक नहीं होना चाहिए वो एसएचओ के साथ बात कर रहा है। कॉफी पी रहा है और थानों में फैसले करा रहा है। हर मामले में कार्ट दखलअंदाजी न करती तो एसएचओ साहब लाइन हाजिर कर दिया था डीसीपी साहब ने, कोर्ट की दखल के बाद मकान पर कब्जा हटा। लोग गाँव में गये हुए थे, शादी में तब अपराधी ने घर पर कब्जा कर लिया। वह व्यक्ति आया और कहा कि मेरे मकान पर कब्जा हो गया। कोर्ट ने आर्डर दिया डीसीपी को और डीसीपी ने जाँच की एसएचओ भी उसमें शामिल था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी व्यवस्था पुलिस ने की थी एसपीओ की समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अच्छे आरडब्ल्यूए के लोग हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना कर के उनसे जानकारी ली जाये, पर उनके नाम पर सारे के सारे उपराधी भरती कर लिये गये हैं। एसएचओ हो गये पुलिस के दलाल, एसपीओ को गये पुलिस के दलाल। जानकारी पुलिस को नहीं देते थे जो करते थे हमको पता है। दोनों व्यवस्थाएँ सुंदर थीं। एक बार बड़ी परेशानी की बात जिसका जिक्र भाई मुकेश जी कर रहे थे, XXXXXXXXXXXX एक जुवालाइन एक्ट बना है विजय कुमार मल्होत्रा जी, आज दिल्ली में जितने भी गैंगों का जिक्र किया वो सारे के सारे 16-17 साल से कम हैं।

अध्यक्ष महोदय: गौड़ साहब एक मिनट सीएम कुछ कहेंगी।

मुख्य मंत्री: क्षमा चाहती हूँ गौड़ साहब लेकिन आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया मुकेश शर्मा के लिए वो कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही से यह शब्द निकाल दीजिए। चलिये बोलिए गौड़ जी।

श्री नरेश गौड़ा: अध्यक्ष जी, जो यह एक्ट बना है सारे के सारे अपराधी क्या 16 या 17 साल से कम नहीं हैं। हत्या कर रहे है।, जेब काट रहे हैं, चैंन स्नैचिंग कर रहे है और जो अपराध हैं सारे के सारे दिल्ली में हो रहे हैं और पुलिस लाचार है। पुलिस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती? पुलिस कहती है कि हम मजबूर हैं, कार्यवाही नहीं कर सकते। तीन तीन लोग बिना हैल्मेट के मोटर साइकिल पर शाम को घूमते हैं। अगर इच्छाशक्ति हो तो कौन सा काम नहीं किया जा सकता। सतन गर्ग में इच्छाशक्ति थी, बड़े बड़े व्यक्तियों को ठीक कर दिया। आप सबने भी अपनी अपनी गाड़ी के शीशे उतार लिये, अब कोई लाल बत्ती नहीं लगाता, बहुत नकली लोग दिल्ली में लाल बत्ती लगा कर घूम रहे थे। किसी एमपी, एमएलए को छोड़ा नहीं, वो फन्नेखा बनता था। इच्छाशक्ति और ईमानदारी होनी चाहिए। सतन गर्ग से मेरी बनती नहीं है, सनकी किस्म का आदमी है, पर इच्छाशक्ति थी उसने लॉ एंड आर्डर ठीक कर दिया। ट्रैफिक व्यवस्था कुछ कुछ ठीक की। आज दिल्ली में आदमी रेड लाइट जंप करते हुए डरता है, काले शीशे लगाता हुआ डरता है, लाल बत्ती लगाते हुए डरता है और उस पर यह व्यवस्था कर दी कि कुछ मत करिये, मेरे फोन पर सीधे मैसेज दीजिए, कार्यवाही होगी। इच्छाशक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता। इसकी कमी है यह बात हमको माननी चाहिए। अध्यक्षजी, बहुत सारी बातें आदरणीय विजय कुमार जी ने कहीं हैं। उनको दोहराना मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन दो तीन सुझाव जरुर देना चाहता हूँ। एक बात और तेजी से दिल्ली में हो रही है। लवजेहाद के नाम पर नाबालिग लड़कियों को भगाया जा रहा है, सारे देश में साजिश हो रही है। 18

साल से कम उम्र की लड़कियों को, मैंने कल प्रश्न लगाया था, उसका जवाब आया था, छह हजार बच्चे गायब हो रहे हैं। पकड़े नहीं जा रहे है। बच्चे और बच्चियाँ कहाँ जा रहे हैं। उपरपिक्व उम्र के बच्चे हैं, 15-16 साल के हैं और बाद में यहाँ से लेकर जा के उनका धर्मपरिवर्तन किया जा रहा है। जीबी रोड में कितनी महिलाएँ आ रही हैं, कौन से रास्ते से आ रही हैं। बांग्लादेश से आ रही है। कितनी लोग आकर के हमारे देश में लोग वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। आसाम से नेपाल तक कितनी लड़कियाँ आती हैं, कितनी पकड़ी जाती हैं, किससे छिपा है। किसको नहीं मालूम। भाई और बहनों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं दो तीन सलाह मुख्य मंत्री जी आपको देना चाहता हूँ।

हाँ, भरत सिंह जी का जिक्र सब ने किया , मैं भी कर देता हूँ। जो उसके साथ हुआ है वो सब के साथ हो सकता है। सबसे पहले विधान सभा में पुलिस सुरक्षा का मामला मैंने उठाया था। मैंने पचास करोड़ की जमीन खाली कराई। उन गुंडों ने मेरे ऊपर 45 मुकदमे लगा दिए। मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, गाजियाबाद और मैं पता नहीं किस-किस के पास गया, कुछ नहीं कर सकते। मैं जाता था मुरादाबाद बताता था रोहतक, जाता था रोहतक बताता था गाजियाबाद जा रहा हूँ। उन अपराधियों का कुछ नहीं हुआ, उस समय जे.के. शर्मा हमारा डीसीपी होता था, नाम लेने में हर्ज नहीं है, वो अपराधियों का सरगना था, जमीनों पर कब्जे, स्कूल की जमीन पर 20 साल से कब्जा मैंने बल्डोजर चलाकर वो उड्डें खत्म कर दिए, स्कूल बनवा दिया तो मेरे पर मुकदमेबाजी हो गई। एक अपराधी तो, मुझे कहते हुए शर्म आती है, हथियारों का सौदागर, हथियार 150 लाइसेंस रिवॉल्वर घर बैठे मोहर लगाकर दे दी, डीएम जम्मू, कठुआ, उधमपुर और अपना रिवॉल्वर भी उसका जम्मू, कठुआ, उधमपुर का और उधमपुर का डीएम कह रहा है हमने किसी को लाइसेंस दिया नहीं है, दिल्ली वाले को और उसके पास लाइसेंस रिवॉल्वर अपराधी, मेरे ऊपर 45 मुकदमे अपराधी सरेआम घूम रहा है। डर लगता है, आज तो कुछ बोलते हुए,

कहते हुए, कुछ कार्रवाई करते हुए, हालत यह हो गई दोस्तो, जनता नहीं, अब जो पुलिस वाले भी डरते हैं। आम कांस्टेबल डरता है, मैं अपनी विधान सभा में जा रहा था, शाम को मुझे रोक लिया अंधेरा था, लाइट थी रुक जाओ, क्या हो गया 500 रुपये दो चंदा जागरण है, मैंने कहा पहचानते नहीं हो, पहचानता नहीं हूँ, गाड़ी खड़ी कर दो पैसे देने पडेंगे, मुझे पहचान ही नहीं रहे मैं विधायक हूँ। मैंने उसको दो चाटे लगाये झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ मैंने कहा तूने गाड़ी कैसे रोकी तीन-चार लड़के थे छोटे-छोटे तूने गाड़ी कैसे रोकी और गाड़ी पर घुसे-वुसे मारे, पैसे देने पड़ेंगे दादागिरी में, मैंने उसको दो चाटे लगाये तूने गाड़ी कैसे रोकी और बहुत लोग आ गये, मैंने कांस्टेबल बुलाया वहीं, पचास कदम पर चौकी है, चौकी वाला कहता है साहब मुझे पता है आप एमएमए हैं पर मैं इनके पीछे जाऊँगा नहीं पकड़ने के लिए, पर मैं जाऊँगा नहीं पीछे पकड़ने के लिए इनको पता नहीं कौन मुझे मार दे मैं अकेला हूँ डंडा है मेरे हाथ में तो। यह पुलिस का जो इकबाल होता था, एक पुलिस वाला पूरे गाँव में जाये तो पूरा गाँव खड़ा हो जाता था।

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साहब, समाप्तकर लीजिये।

श्री नरेश गौड़ः यह जो पुलिस का इकबाल था, समाप्त हो गया, मैं दो-तीन सुझाव दूंगा, मुख्यमंत्री जी जब तक आपको पूरी का पूरी दिल्ली पुलिस नहीं मिलती तीन डिपार्टमेंट जो दिल्ली पुलिस के वो अपने पास ले लो। day-to-day law and order....... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साहब, समाप्त कर लीजिये।

श्री नरेश गौड़ः सर, दो लाइन बोल रहा हूँ। day-to-day का पुलिस, day-to-day का जो कानून व्यवस्था है, जो आपकी ट्रेफिक व्यवस्था है और लाइसेंसिंग बाकी

दिल्ली पुलिस के जो सारे काम हैं सेंटर अपने हाथ में लें और सेंटर में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, सरकार का इकबाल बनता अगर उसके पास डंडा होता है, ताकत होती है कुछ, सख, दंतहीन, नखहीन यह सरकार है, हाथ में डंडा ही नहीं है, हाथ में कुछ करने की ताकत ही नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है आपको, दिल्ली पुलिस के तीन डिपार्टमेंट ले लेंगी तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। सुरक्षा की बात सब ने की है, मैं भी उसमें अपनी बात शामिल करता हूँ। मैंने कुछ बात जो विजय कुमार जी ने बोली, मुकेश जी ने बोली और लोग बोल गये मैंने जोड़ी नहीं है, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कहा। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री बलराम तंवर।

श्री साहब सिंह चौहानः सर, अनअथोराइज पर भी चर्चा होनी है अभी।

अध्यक्ष महोदयः खाना मंगा लिया या नहीं? अच्छा कर देंगे।

श्री बलराम तंवरः आदरणीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पर आज का दिन रखा गया। कई साथियों ने अपने विचार इस पर रखें, लेकिन कई साथियों की बातें कानून व्यवस्था से हटकर वो ही राजनीति करने वाली लगीं। हम चुने हुए लोग हैं, दिल्ली के लोगों ने चुनकर हमें इस विधान सभा में भेजा है, हमारा काम है कि दिल्ली की जनता की जो दिक्कतें पुलिस से संबंधित हैं, उन पर हमें विचार करना चाहिए। राजनीति करने को बहुत टाइम है, राजनीति करने के लिए बहुत समय है उसमें हम राजनीति कर सकते हैं। जहाँ तक अपोजिशन पार्टी का सवाल है, काननू व्यवस्था पर आप विचार करो या पानी, बिजली पर विचार करो उनको सिर्फ शीला दीक्षित दिखती है और उनको कोई चीज़ दिखती नहीं है। दिल्ली की जनता से उनको कुछ लेना देना, मेरे ख़्याल से तो है नहीं।

श्री साहब सिंह चौहानः ये भी राजनीति कर रहे हैं अध्यक्ष जी.......(व्यवधान)

श्री बलराम तंवरः अध्यक्ष जी, हम भी दिल्ली से चुने हुए हैं चुने हुए लोग और दिल्ली पुलिस आधा काम हम दिल्ली पुलिस का चुने हुए लोग करते हैं कहीं बहुत बड़ी कोई भीड़ इकट्ठी हो जाये तो पुलिस वाले एसएचओ का टेलीफोन पहले आएगा कि एमएलए साहब आप आइये आप रोक सकते हैं उन लोगों को। कहीं कोई एकदम एक्सीडेंट हो जाये, पब्लिक बेकाबू हो जाये, तो उसमें भी पुलिस को एमएलए की ज़रुरत पड़ती है तो बहुत ऐसे काम हैं जिसको पुलिस के काम को विधायक करते हैं और हम सारे ही विधायक करते हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे कहीं कोई बात हो जाये, एक टेलीफोन पुलिस को जाएगा, एक टेलीफोन एरिया एमएलए को जाएगा, आप यहाँ आ जाइये। अगर वो एमएलए वहाँ नहीं गया तो उसके लिए बात बनाई जाएगी एमएलए बुलाया था वो आया नहीं और अगर वो जाएगा तो उसको खतरा है रात को 2 बजे अकेले जाएगा उसके साि कुछ भी हो सकता है तो पुलिस का काम विधायक करता है यह सच्चाई, हकीकत है और अगर आप यह कहे कि कोई एमएलए यह आकर कहेगा कि मेरे ऊपर खतरा है, मुझे टेलीफोन आया है, जब मैं फोर्स मांगूंगा वो कोई अच्छी बात नहीं है। दिल्ली के सारे विधायकों को सुरक्षा दी जाये यह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उससे जनता को भी फायदा है एमएलए रात को भी जा सकता है, दिन में भी जा सकता है, कि एमएलए जाने से वो चीज़ बहुत कम हो जाती है कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन अगर यह सोचकर सुरक्षा दी जाए कि फलां एमएलए को जब गोली लग जायेगी तभी उसको सुरक्षा दी जायेगी वो तो कोई सुरक्षा नहीं है या किसी को धमकी दे दी जाएगी फिर उसको सुरक्षा दी जाएगी वो कोई सुरक्षा नहीं है। या हम इंतज़ार करेंगे कि उसके कोई कपड़े फाड़ दें, उनके साथ यह कर दें, जब उसको सुरक्षा देंगे वो कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा जो है, वो दिल्ली के विधायकों के साथ होनी चाहिए, वो सुरक्षा सिम्बल के लिए

नहीं है कि एमएलए का कद बढ़ेगा। वो दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि वो एमएलए के साथ अगर सुरक्षा होगी तो वो हर जगह जा सकता है और उससे कई बहुत बड़े मुद्दे को खराब होने से उसको संवार सकता है। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, बहुत बदलाव दिल्ली पुलिस में आया है पहले पुलिस का दोस्ताना व्यवहार नहीं होता था, अब दिल्ली पुलिस का पब्लिक से दोस्ताना व्यवहार नहीं होता था, अब दिल्ली पुलिस का पब्लिक से दोस्ताना व्यवहार है। picket हमने देखा है कि पहले जो बॉर्डरों पर picket है मेरी विधान सभा छतरपुर है हम हरियाणा से लगते हैं कई बॉर्डर ऐसे हैं जो दिल्ली से हरियाणा में कोई भी वारदाता करके कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि picket बहुत अच्छी लगी हुई है पुलिस का बंदोबस्त अच्छा होता है जिसकी वजह से उससे भी क्राइम पर कमी आ रही है। दिल्ली में पुलिस स्टेशन बढ़ाये गये हैं, आप देखिये पहले बहुत बड़ा एरिया एक पुलिस स्टेशन के साथ लगता था लेकिन अब दिल्ली में पुलिस स्टेशन भी बढ़े हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे क्राइम पर रुकावट आई है, फिर भी दिल्ली पुलिस की जो कुछ कमजोरियाँ हैं अध्यक्ष जी, कालोनियों में, गाँवों में लोग पचास गज में अपना घर बनाते हैं, अब पुलिस का यह काम तो है नहीं कि किसी के घर में डकैती हो जाये तो कहते हैं कि लिखवा जाओ जब पता लग जाएगी हम बता देंगे। लेकिन अगर कोई एक घर बनाये और एक ईट की गाड़ी डालता है तो सबसे पहले पुलिस उसके पास पहुँचती है कि यह क्या कर रहे हो भाई, तो इस पर भी थोड़ा सा देखा जाये, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुरेन्द्र कुमार।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, मेरे कई साथियों ने कानून और व्यवस्था के बारे में अपनी बात इस सदन में रखी है। हमारे विपक्ष के साथी उस दिन सदन में नहीं थे, हमने

इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया था। नरेला विधान सभा क्षेत्र से हमारे बड़े भाई जसवंत जी विधायक हैं। इनको किसी बदमाश ने थ्रेट दी और इनके बेटे से 50 लाख फिरौती के मांगे। हमने उसके बारे में आप से इस सदन में अपील की। हमारे तमाम साथियों ने भी यह बात रखी। अध्यक्ष जी, आने उसमें हमारी मदद की, माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की, सी.पी. साहब से बात की और उनको सिक्योरिटी दी गई। जिस दिन हमने यह बात उठाई थी उसके अगले दिन हमारे साथी भाई भरत सिंह जी के साथ एक बहुत बड़ा हादशा हुआ। जब वे अपने मामा के साथ घर से ऑफिस में आए तो पहले से ही बदमाश उनकी ताक में खड़े थे। जैसे ही वे अपनी गाड़ी से उतरे उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। अध्यक्ष जी, वे कई दिन से इस चक्कर में थे कि विधायक जी अकेले हों तो हम इन पर वारदात करें। मरे क्ष्याल में हमारे जितने भी साथी हैं ये सारे अकेले ही होते हैं। हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, हमारे साथ कोई दोस्त चला जाये तो ठीक है नहीं तो हम अकेले ही जाते हैं। हमारे साथ कोई नहीं होता। हमारे साथियों ने यह जो बात रखी है कि हमारे साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है कुछ विधानसभाएँ हैं उनके अलग अपना सिस्टम है। कोई शहर के बीच में है कोई गाँव में है कोई बार्डर पर है। हमारा विधान सभा क्षेत्र भी हरियाणा से लगा हुआ है। आए दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है। अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई थी। भाई मुकेश जी ने एक दो बात कहीं, मैं उससे सहमत हूँ कि कानून व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए और पुलिस को भी कुछ अधिकार मिलने चाहियें। अध्यक्ष जी, कुछ दिनों पहले हमारे एसीपी साहब से बात हुई। वे कहने लगे कि मारने वाले तो हम थे लेकिन अब हमें बदमाश मारते हैं। बदमाश आजकल इतना सयाना हो गया कि अगर उसको पुलिस पकड़ती है और वो पेश होता है तो पहले डाक्टरी कराता है, वकील उसके साथ जाता है। पुलिस वाला उसको डंडा नहीं मार सकता। हालत यह हो गई है कि जब कोई बदमाश

थाने में जाता है तो ऐसे जाता है दिल खोल कर कि मेरा कुछ होना जाना तो है नहीं। यह बात अभी गौड साहब ने ठीक कही थी कि पहले पुलिस से डरते थे। पुलिस वाले जब गाँव में जाते थे तो चर्चा होती थी कि पता नहीं क्या होगा। बाहर से हरियाणा से, इधर ऊधर स्टेटस से जो बदमाश हमारी दिल्ली में घुसते हैं, ये यहाँ पर आ करके अपने आप को सेफ समझते हैं और क्राईम करके बाहर निकल जाते हैं। मैंने कई रोज पहले इस बात का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रीयल एरिया में कोई गेंग आया और बहुत बड़ी चोरियाँ कर रहे थे। पुलिस वालों ने उनको देखा और जब पकड़ने लगे तो अध्यक्ष जी, उन पर भी फायर कर दिया और उनको गोली मार दी। मैं पुलिस वालों को मुबारक देना चाहता हूँ कि वो यूपी का एक बहुत बड़ा गेंग था जिसको उन्होंने पकड़ लिया। अध्यक्ष जी, इसमें बदनामी हमारे आस पास के गाँव के लड़के हैं जो चोरी करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ बहुत सारी वारदात हुई। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रीयल एरिया में रोजाना कोई न कोई वारदात होती रहती है, फिरौती मांगी जाती है। लोग इंडस्ट्रीज को छोड़ कर भाग रहे हैं। अपनी इंडस्ट्री को कोड़ियों के भाव खरीद रहे हैं उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। इतने गंभीर हालात वहाँ पर पैदा हो गये कि वे सीपी साहब से भी मिले। उन्होंने सब को एप्रोच किया। मगर एक बात मैं जरुर कहना चाहूँगा, यह चापलूसी की बात नहीं कर रहा। मैं इसमें सीपी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने 100 पुलिसकर्मी इडस्ट्रीयल एरिया में लगाये और उनको इस बात की राहत मिली। आज वहाँ के लोग अपना बचाव समझते हैं कि हमारी किसी ने देखभाल की। अध्यक्ष जी, पुलिस वालों पर वार करते हैं। एक मेरे ही क्षेत्र का नौजवान लड़का पुलिस में था। उसका नाम सुरेन्द्र था और गाँव पंजाबखोड़ का था। अपनी ड्यूटी करके घर जा रहा था। कराला में कुछ बदमाश मिले, उसको गोली मार दी। एक मेरे ही क्षेत्र में बेचारी पार्टी की वर्कर थी, उसका घर वाला थ्री व्हीलर चलाता था। उसके तीन बच्चे हैं, वो और उनको ले कर मेरे पास आई।

छोटे-छोटे खूबसूरत बच्चे। अध्यक्ष जी, उसकी गलती क्या थी कि वो थ्री व्हीलर ले करके खड़ा था। वे बदमाश आये, उसको थोड़ा सा थ्री व्हीलर लग गया, उसको वहीं गोली मार दी। यह रिठाला मेट्रो स्टेशन की बात है। इस बात को भई कुलवंत जी जानते होंगे। अध्यक्ष जी, मेरा इतना कहना है कि हमारी तरफ इतनी बदमाशी हो गई है और इसका जिक्र हमने यहाँ पर किया था। वहाँ पर हालात बहुत ज्यादा संभालने की जरुरत है। एसीपी साहब से हम मिले और सारे हालात के बारे में बताया कि इस पर कंट्रोल करने की जरुरत है। अक्सर हमारे देहात के लड़के भी खराब होते जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी हैं वे भी इस बात को जानते हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनकी आपस में गेगबाजी होने लग गई है। बाहर से हथियार खरीद कर लाते हैं और फिरौती कर काम उन्होंने चालू कर दिया। गाँव का हो चाहे इडस्ट्रीयल एरिया का हो उसका ब्यौत देख लेते हैं और उसको कह देते हैं कि या तो पैसे घर पर दे जाना नहीं तो हम गोली मार देंगे। अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोहिणी के सेक्टर -22 में आपकी विधान सभा के डिप्टी सेक्रेटरी रहते हैं, रात को इनकी गाड़ी उड़ा ले गये। यह वारदात 31-5-2012 को हुई है। इनकी गाड़ी चोरी हो गई, मेरे क्षेत्र में ये रहते हैं। अध्यक्ष जी, ज्यादा न कहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस को और थोड़ी सी ताकत देने की जरुरत है ताकि ये अपना काम मजबूती से कर सकें। ठीक है, पुलिस का भय है, मगर अब भय खत्म होता जा रहा है। अभी हमारे साथी अनिल जी इस बाल को कह रहे थे कि आम विधायक को सिक्योरिटी की तो बहुत दूर की बात है, हमारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी कई बार लिखा है कि हमारे को एक सिपाही मिल जाये। हमारे को आज तक सिपाही नहीं दिया गया। वो तो आज आपने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये, तब हमारे को एक सिपाही दिया गया है। अध्यक्ष जी, पहले डीसीपी साहब कई-कई एमएलएेज की इकट्ठी मीटिंग बुलाते थे।

उस मीटिंग में हम अपनी बात रखते थे और फिर उस पर कार्रवाई होती थी, वह मीटिंग भी खत्म कर दी गई........व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः सुरेन्द्र जी अब आप अपनी बात खत्म करिए।

श्री सरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, बस खत्म कर रहा हूँ। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ जो हमारे भाई भरत सिंह जी के साथ हुआ इसकी इन्क्वारी होनी चाहिए। क्योंकि वे जो चार लड़के हैं ये क्रिमिनल नहीं हैं। उनमें से एक लड़के ने तो एमबीए कर रखी है, मगर इसके पीछे जरुर कोई न कोई राज है। उन लड़कों ने जाकर जो सरेआम गोलियाँ बरसाई हैं आज हमारे साथी की हालत नाजुक बनी हुई है उसकी इन्क्वारी होनी चाहिए। इसका पूरा पता करना चाहिए कि यह किसने किया है। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहकर खत्म कर रहा हूँ कि हमारे सभी साथियों को सिक्योरिटी जरुर मिलनी चाहिए। हमारे आसपास की कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है हरियाणा ले लों, यू.पी. ले लो कहीं ले लो, कम से कम एक सिक्योरिटी वाला तो हमारे साथ होना चाहिए। अभी आपने मेरे को एक सिक्योरिटी वाला दिलवाया, मुझे सोनीपत किसी काम के लिए जाना था, मैंने कहा कि भाई सोनीपत चलना है तो वह कहने लगा कि नहीं जी मैं तो दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा। अब वह मेरी क्या सिक्योरिटी है वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली से बाहर निकलते ही किसी ने मेरे साथ झगड़ा कर दिया तो फिर क्या होगा। अध्यक्ष जी, मैं केवल यह कह रहा हूँ कि हमारे को जो सिक्योरिटी दी जाए वह परमानेंट सिक्योरिटी दी जाए, ऐसी सिक्योरिटी दी जाए जो हमारे साथ रहे। थाने से जो सिक्योरिटी दी जाती है वही परमानेंट नहीं है दो-चार दिन के लिए है। अध्यक्ष जी, आपने हमारा क्षेत्र देखा हुआ है वहाँ के हालात आपको सब पता हैं आजकल वहाँ क्या हो रहा है और हमें एक गाँव से दूसरे गाँव सारी सारी रात घूमते रहना होता है, कहीं शादी है, कहीं कोई

फंक्शन है, कहीं जागरण है, कहीं कोई बात हो जाती है और सारा एरिया खुला एरिया है। जितने हमारे साथी देहात के हैं उन सबका इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और सब साथियों का भी ध्यान रखना चाहिए और आपको सिक्योरिटी का इन्तजाम करना चाहिए, आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शोएब इकबाल: अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली से बाहर जाने का बड़ा अहम इश्यू है, हर किसी को कभी न कभी अचानक जाना पड़ जाता है उसे कहते हैं तो वह फौरन कूद कर गाड़ी छोड़ कर भाग जाता है, कहता है मैनें नहीं जाना। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो यह व्यवस्था भी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, हमारे कई सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते है सर्वश्री जयकिशन, वीर सिंह धिंगान, सुनील वैद्य, कुलवंत राणा, मोहम्मद आसिफ खान व चौ. सुरेन्द्र कुमार। समय के अभाव में मैं इस माननीय सदस्यों को बोलने का समय नहीं दे पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, सब मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी मुकेश जी ने एक बात कही थी मेरे बारे में कि आपने अगर कोई पत्र गृहमंत्री को लिखा है या उपराज्यपाल महोदय को लिखा है तो बताएं। मैं वे पेपर यहाँ ले करना चाहता हूँ।

श्री जसवंत राणा: अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी आपने मुझे सिक्योरिटी दी इसके लिए सबसे पहले मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरी अगली अपील यह है कि यह जो धमकी देने वाला लड़का है मुझे शक है कि पुलिस में से एक दो अधिकारियों से मिला हुआ है उस बच्चे को नकली टेकना चाहते हैं नीरज ने धमकी नहीं दी धमकी किसी वीरेन्द्र ने दी है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब भी हैं आपसे भी अपील है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हमारा भी 33 साल का तजुरबा है हम डर महकमे

से मिले जुले हैं। आपका महकमा हर महकमें बढ़िया हैं लेकिन हर महकमें में हर पोलिटीशियन भी बढ़िया नहीं है। हर विभाग में दो-चार आदमी गन्दे होते है और वही गन्दे नुकसान पहुँचाते हैं। यह नीरज टीम जो बवाना एरिया में भाग रही है इसे करीब डेढ साल हो गया, डेढ़ साल में बाई नेम बाई फिरौती के नाम से बदमाश पनप नहीं सकता जो हमने अपनी उम्र में यह पहला चांस देखा है कि डेढ़ साल से फिरौती मांगी जा रही 5-4 करोड़ रु. की फिरौती इन्होंने ले ली है और आतंक मचा रखा है। कमिश्नर साहब इस मामले को अपने लेवल पर टेकअप करें क्योंकि हमे पुलिस वाले ही बताते हैं

........व्यवधान........

अध्यक्ष महोदयः जसवंत जी बैठिए बात हो गई। मुख्यमंत्री जी।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, एक मिनट ....व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब कोई नहीं, अब जो भी बोलेगा वह कार्यवाही में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्रीः सर, आज की चर्चा गंभीर भी थी और दोनों पक्षों ने अपनी आपनी राय तजुर्बे के आधार पर और जो दिल्ली का इस वक्त नजारा है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी बात को कहा। सबसे पहले तो मै। थोड़ा पुलिस के बारे में कहना चाहती हूँ और वह यह है कि हमारी पुलिस जिस परिस्थिति का सामना करती है, बढ़ती हुई आबादी, दिल्ली का एक पैसिज जो इधर से आते हैं लोग ऊधर निकल जाते हैं, ऊधर से आते हैं इधर निकल जाते हैं, दिल्ली की सम्पन्नता वह सब अट्रेक्ट करती है क्राइम को। उसको पकड़ना जितना आसान हम समझते हैं और कह देते हैं उतना शायद नहीं है। दिल्ली की फोर्स भी बढ़ाई गई है यह नहीं कि फोर्स नहीं बढ़ी है। 54,503 थी कुछ वर्ष पहले और

आज वही 78,500 की फोर्स है। आतंकवाद का खतरा हमेशा रहता है यह आप सब लोग जानते हैं। दिल्ली इस देश का कैंपिटल है इस पर नजरें बहुत रहती हैं। क्योकि यहाँ काण्ड या वाक्यात हो जाए उसकी बहुत चर्चा न केवल देश भर में होती है बल्कि विश्व भर में होती है और कुछ बहुत बड़ा प्रेजैंस इनफर्मेशन टैक्नालॉजी का है। कुछ वर्ष पहले न इतने टीवी चैनल्स थे न इतने अखबार थे आज कोई भी वाक्या होता है बड़ा या छोटा वह हम सबाके मालूम पड़ जाता है। दिन पर दिन इसकी सूचना और भी तीव्र होती जा रही है repetitive भी होती है। यदि एक रेप होता है तो उसकी चर्चा इतनी बार दिन के 24 घण्टे में देख लेते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं सारी दिल्ली में रेप के सिवाय कुछ हो ही नहीं रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी दिल्ली की पुलिस पर हमारे भाइयों को समझना चाहिए कि इस पर प्रैशर बहुत है। सारे हिन्दुस्तान के वीआईपीज यहीं रहते हैं। केन्द्र की सरकार यहीं रहती है। हमारी सरकार यहीं रहती है। म्यूनिसिपल कमेटी के लोग यहीं रहते हैं और diplomatic core सारा यहीं रहता है। जो सिक्योरिटी की टेंशन है वह और स्टेट से ज्यादा है और शहरों से कहीं ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस स्ट्रैंथ बढ़ाई गई है लेकिन लगता है कि वह भी पर्याप्त नहीं है। सबसे ज्यादा जो हम लोगों को तकलीफ हुई है कि अब हम लोगों पर भी अटैक्स होन लग गये हैं। हमारे एमएलए भरत सिंह जी के ऊपर जो हुआ, जसवंत सिंह राणा जी के पास जो चिट्ठी आई. पिछले हफ्ते दस दिन में जो काण्ड हुए हैं या चार रोज में, इनसे हममे और ज्यादा चिंता हो गई है कि अगर जो हम लोगों का यह हाल सकता है तो फिर अवाम का क्या होगा इसकी कल्पना ही हम कर सकते हैं हमारे पास आंकड़े कोई नहीं हैं। पुलिस अपने आंकड़े जरुर देती है उसकी efficiency बढ़ी है मैं समझती हूँ और इस हाऊस के माध्यम से कहना भी चाहती हूँ कि उसके यंत्र जो भी सुरक्षा वे सबको दे सकें, इनफर्मेशन टैक्नालॉजी का इस्तेमाल हो वह सब हमें और भी

ज्यादा माडर्नाइजेशन करना चाहिए और इनकी मदद उसमें करनी चाहिए। पुलिस वालों को मैं कहूँगी और खासकर पुलिस कमिश्नर को कि जो भी आपको आवश्यकता है उस आवश्यकता को आपकों पेश करना चाहिए जिसमें वाक्यात ना हो खासकर आर्डिनरी सिटीजंस के साथ ना हो। पुलिस ने जो हाईलाइटस मुझे बताई हैं पोपूलेशन बढ़ने के अलावा, यातायात और बढ़ने के अलावा और टेंशनंस जो हैं उसके अलावा उसके बावजूद जो उन्होंने हाइलाइटस दिए हैं, वह मैं पेश करना चाहती हूँ कि इस साल 2011 में 2012 के अभी आंकड़े नहीं हैं, रॉबरी 6.18 प्रतिशत कम हुई है। स्नेचिंग 11.67 परसैंट कम हुई है, मर्डर 3.89 परसैंट कम हुआ, बर्गलरी, 5.53 परसैंट कम हुई है, डकैती 35.71 परसैंट कम हुई है, रॉबरी फिर 2012 को भी फिर गिने 15.89 परसैंट कम हुई है, चैन स्नेचिंग वगैरह 4.74 परसैंट कम हुई है, मॉलेस्टेशन ऑफ यूमेन 11.05 परसैंट कम हुए हैं, जो मारा जाता है, साधारण झगड़े होते हैं, वो 15.55 परसैंट कम हुए, मोटर व्हीकल थ्रेफ्ट 6.56 परसैंट कम हुए हैं और टोटल आईपीसी डाउन हुई 5.86 परसैंट। ये आंकड़े अपनी जगह पर ठीक हैं। और पुलिस के लिए एक उपलब्धि है। महिलाओं की सेफटी भी बेहत्तर हुई है। बीपीओज को कहा गया है, होटेल्स को कहा गया है, जो 24 घंटे अस्पताल चलते हैं उनको कहा गया है कि महिला स्टॉफ जब जायें अपनी ड्यूटी समाप्त कर तो उनको घर तक आपको ड्राप करना चाहिए। हेल्प डेस्क महिलाओं का बनाया गया है। पीसीआर वेन्स में स्टैण्डर्ड महिलाएँ हैं, वो उनकी मदद करती हैं। बीटस पर areas prone to crime against women वहाँ पर बीट सिस्टम और तगड़ा किया गया है। और Surprise checks बसेज, मार्केट सिनेमा, जंक्शन्स वगैरह में किए गए हैं। gender sensitization police personnel का किया गया है। self-defence training भी दी जा रही है और हमारे स्कूल्स में भी दी जा रही है। Rape Crisis Intervention Centres बनाये गये हैं। परिवर्तन एक अभियान है इनका, जिसमें परिवर्तित हों, लोगों को पता चले कि किस तरह वे अपनी सुरक्षा भी कर सकें।

प्रो.विजय कुमार मल्होत्राः Sir, I don't wnt to interrupt but Police Commissioner प्रेस कॉन्फ्रेन्स में सब आंकड़े दो बार दे चुके हैं। Twice they have come in the papers. उसको रिपीट करने से क्या फायदा?

मुख्यमंत्रीः Can I put this opn record, please? आपकी और हमारी सबकी बात यहाँ रिकॉर्ड पर जा रही है। इस रिकॉर्ड के लिए मैं कर रही हूँ। गैंग रेज केसेज का जल्दी से समाधान निकाला गया है और मैं पुलिस वालों को और आप सब को ये बताना चाहती हूँ कि ड्रग एडिक्शन जिसकी बात बहुत लोगों ने की यहाँ पर, दिल्ली सरकार की तरफ से 2000 ड्रग एडिक्ट की कैपेसिटी पद eleven centres has already been established. This I would like to thell the police also and all of you also कि कहीं आपाके इस तरह से ड्रग एडिक्ट मिलें और मिलते हैं दिल्ली में तो यहाँ पर ये सैन्टर्स हैं आप चाहेंगे तो यहाँ पर हम इसे सर्कुलेट भी कर लेंगे लेकिन ड्रग एडिक्ट को भेजना चाहिए। जहाँ पर भी वे हों। बिकॉज ये भी एक सोसायटी के लिए खतरा है। मैं इतनी बातें और पुलिस के लिए कहना चाहती हूँ। एक तो जा परसेप्शन है पुलिस के बारे में जो हमारी सोच है वो ये है कि शायद असलियत ये है जो आंकड़े बता रहे हैं। पर परसेप्शन अच्छा नहीं है। अब परसेप्शन में ऐसा लगता है कि पुलिस है, सुरक्षा जितनी करनी चाहिए, नहीं कर पाती है वगैरह यही है परसेप्शन तो मैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। मैं और आप सब यहाँ सदस्य भी हैं, भले ही ये बात सही हो कि क्राइम इतना इन्क्रीज नहीं किया है जितनी शायद पापुलेशन दिल्ली की बढ़ी है, उसके बावजूद जो हमें प्रचार करना चाहिए सेफ्टी के लिए, जो एक पुलिस का रीच आउट प्रोग्राम होना चाहिए। वो कर रहे हैं, वे कहते हैं कि कालोनीज में इत्यादि, इत्यादि थानों में करते हैं। लेकिन जिस तरह से होना चाहिए अभियान की तरह वो नहीं हो रहा है। जिससे जो हमारे नागरिक हैं वे भी खतरे को पहचानें और सावधानी अपनी बरतें, जहाँ तक वे अपनी कर सकते हैं। तो इसमें एक

प्रचार आपको बहुत जोरों से करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे मेम्बर्स ने ये बात कही है कि जो थाना कमटीज हैं, जिसमें मीटिंग्स होनी चाहिए, जिसमें एमएलएज शायद चेयरमैन हैं, वो नहीं हो पाती। क्योंकि अगर पुलिस आपसे अपने-अपने इलाके में सम्पर्क रख ले। तो बहुत सारी चीजें पुलिस को भी पता चल जायेंगी जो शायद पुलिस वालों को अपने आप एहसास नहीं हो पाता। तो इसलिए एक coordination with the elected Member ये है, अच्छा है वे रिस्पांस करते हैं। लेकिन जो थाना कमेटी को मीट करना चाहिए at least once a month ये जरुर होना चाहिए और ये विधिवत तरीके से होना चाहिए। जिसमें कमी आज दिखाई दे रही है। बहुत सारी समस्याएँ दिल्ली में हैं। हॉकर्स की भी हैं। बॉर्डर्स हमारे पॉरस हैं। उनको कैसे आप रोक सकेंगे कि बॉर्डर से लोग आयें और दूसरी तरफ से निकल जायें that is a big problem. We must try and undrstand that. This is for th police आपने सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिये। Can you put CCTV cameras all around the borders also? Is that a possibility or not? These are things which we have to think about and I do feel that the Police of Delhi must move forward to make it much more modernized and much more informative that it is today. This impression that police is not helful or the impression that police itself is involved in many of the petty crimes like putting up harwkers or allowing certain people to get away with things, that impression must certainly go, there, I entirely agree. Finally, Sir, there has been a demand from all our Members that they must be given security. I fully agree with this, Sir , because our elected Mumbers have to attend all kinds of functions 9 o' clock, 10 o' clock, 11 o' clock 12 o' clock at night and very often जो गौड़ साहब ने बोला कि गाड़ी उनकी रोकी गयी और कुछ बच्चों ने रुपया मांगा। ये एक इन्सीडैन्ट उन्होंने कहा, हो सकता है बहुत सारे ऐसे इन्सीडैन्टस हो रहे हों। तो इसमें

हमे करना चाहिए। और मैं सदन का इतना ही कहना चाहती हूँ कि पुलिस कमिश्नर तो यदि किसी को एहसास हो या फीलिंग हो कि उसकी लाइफ को डेंजर है या कुछ उसके पीछे लोग लगे हैं जो पुलिस कमिश्नर को आप लिखियेगा जरुर। वे तुरन्त उसको रिस्पांड करेंगे। लेकिन प्रत्येक हमारे एमएलए को सिक्योरिटी मिले। उसके लिए मुझे होम निनिस्टर को लिखना होगा और आपकी इजाजत और आपकी सहमति लेते हुए। This was the unanimous decision of the House that Members feel insecure. Security must be provided to them and security not only within the city, that security should be able to go out of the city itself whenever it is required not like what happenedजव शोएब सहब आपके साथ ये हुआ कि जब उसने कहा कि......नहीं सुरेन्द्र कुमार जी के साथ कि दिल्ली से आप हरियाणा इन्टर कर रहे हैं तो मैं जाऊँगा ही नहीं। We will have to see that. I can assure you that we will do that and I do hope that this will make sus feel a little more secure because what happened to our MLA who is lying seriously ill is something that has shocked us all very badly. It is a shocking incident and imagine अगर एमएलए के साथ ऐसे होते हैं तो कितने और ऐसे वारदात होते होंगे तो चिन्ता प्रकट करते हुए युनेनिमसली चिन्ता हम प्रकट करते हैं और सुझाव दे दिए हैं, उस पर अमल करें। फिर अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे एक एम रेडियों हो, चाहे किसी किस्म की पब्लिसिटि हो, कुछ हो रही है लेकिन इससे भी ज्यादा पुलिस को पब्लिसिटी करनी चाहिए। न केवल सुरक्षा का मामला है, ट्रैफिक का भी मामला है। हॉकर्स का भी मामला है। अवाम जो आगे पीछे चलती है। चैन स्नैचिंग तक का मामला है। ये जो एक हम लोगों का बार-बार सुनाया जाता है कि यह क्रिमिनल कैपिटल है, रेप कैपिटल है। ये तो कहने की बातें हैं। ऑकड़ें कुछ और ही बोलते हैं। ये बातें, ये लब्ज़ कहां से आती हैं। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन पब्लिसिटी पुलिस डिपार्टमेंट को और करनी

चाहिए ताकि लोग और सतर्क हो जायें। वे अपने आपको डिफेंड कर सकें। Thank you very much Sir.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए यह कहा था कि पूरा खर्चा दिल्ली सरकार करेगी। सब M.L.As को security देगें। It is on record, अब आप कह रही हैं कि मैं होम मिनिस्टर को लिखूँगी। दोनों में बहुत फर्क है। लास्ट टाइम she said that all the expenditure will be formed by Delhi Goverment.

Chief Minister : No. Sir, I beg to differ from you, Sir, I said that if kharcha is required, the Home minstry wants us to pay for the police personnel, we will do it. No. sir, because we have not got the capacity to train our own policemen. उनको चाहिए कि आपको एक सौ, दो सौ जितने भी चाहिए वो मैं यही लिखने वाली हूँ। यही बात मैंने पहले भी कही थी कि जो खर्चा Extra Police men को और ट्रेनिंग भी मल्होत्रा जी आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस वाले की एक महीने में ट्रेनिंग नहीं होने वाली। इनकी जो existing capavity है। उसमें से सौ, डेढ़ सौ लोग हम को निकालने पड़ेंगे। हॉ, उनको कुछ पेमेंट करनी होगी, उनका देखना होगा। हम उसकी जिम्मेंदारी जरूर ले सकते हैं। हम अपने ऊपर eGuards trained कर दें, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते है।

अध्यक्ष महोदयः साथियो, नेता सदन और प्रतिपक्ष के साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों ने सुरक्षा पर गंभीर चिंता प्रकट की है। यह बड़ी अच्छी बात है कि स्वयं प्रोफेसर मल्होत्रा साहब और माननीय मुख्यमंत्री ने बोलते हुए दो-दो, तीन-तीन बार यह कहा है

कि हमारे एम.एल.ए को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। पुलिस का कर्त्तव्य है। कमिश्नर साहब यहां पर बैठे हैं। यह व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके, उतना अच्छा है कि क्योंकि कई एरिया तो इतने sensitive हैं। जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था जल्दी-से-जल्दी हो और इस समय हमारे जिन साथियों को threat मिला हुआ है। उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही न हो। यही वहां पर एक P.S.O. देने से काम नहीं चलता तो वहां पर दो दें। वैस दो तो होने ही चाहीए। एक रिलीवर हो और एक हर समय रहने वाला हो। ऐसी व्यवस्था वो करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। उनसे जब अलग से बात हुई तो उन्होंने भी यह माना था कि हमें सौ पुलिस वाले भी देने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम व्यवस्था करेंगें। मैं यह आशा करता हूँ कि ऐसा होगा। देखिय, श्री साहब सिंह चौहान, एस.पी. रातावाल साहब, डॉक्टर जगदीश मुखी जी ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित न करने और पुन:विकास कार्य बन्द होने की वजह से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकॉलिक चर्चा माँगी थीश करनी थी। अब उस पर चर्चा समयाभाव से नहीं हो पायेगी।

श्री साहब सिंह चौहान : This is the report of the Business ADvisory Committee which has been adopted by the House. हम ने यह मॉगी नहीं है। Business Advisory Committee जिसके आप चेयरमैन हैं जिसकीर रिपोर्ट हाऊस ने एडॉप्ट की है। उसके बाद यह एजेन्डा तय किया गया है। अगर आज आप नहीं ले पा रह हैं तो कल प्रॉयरिटी पर लें। कल दोनों identical M.C.D. के........।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 15 मिनट लगेंगे।

श्री कॅवर करण सिंह: अध्यक्ष जी, जब the Business Advisory Committee में बात हुई थी तो इन्होंने यह माना था कि यह आऐगा नहीं। लेकिन इसको रखना चाहिए।

............अंतरबाधाएं.............

श्री कॅवर करण सिंह: हमारी कल चर्चा लगी है। कल सदन में उस पर चर्चा हागी। सर, हमारी दो चर्चाएं लगी हैं। उन पर विचार होगा।

श्री साहब सिंह चौहान : सर 15-20 मिनट लगेंगे।

श्री कॅवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि बी.ए.सी में....।

श्री साहब सिंह चौहान : सर Otherwise it will amount to contempt of House.

अध्यक्ष महोदय : देखिए, चौहान साहब, जिस समय the Business Advisory Committee की मीटिगं हुई थी तो उस बारे में कुँवर करण सिंह जी ठीक कह रहे हैं कि आपने यह कहा था कि यह नहीं आयेगा तो नहीं आयेगा। लेकिन यह रखना चाहिए।

श्री साहब सिंह चौहान : सर रिपोर्ट में ऐसा कहीं नही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर यह Convention है। पार्लियामेंट में भी सब जगह पर ऐसा होता है। उस दिन नहीं हो पाता तो अगले दिन ले लेते हैं। इसलिए इसे कल ले लें।

श्री साहब सिंह चौहान : सर दोनों विषय identical हैं।

...........अंतरबाधाएं..............

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब समस्या यह है कि अगर इसको कल लगायेंगे तो कल भी दो लगे हुए हैं।

श्री साहब सिंह चौहान : सर मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों identical........ !

...........अंतरबाधाएं ....

श्री कॅवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी पार्टी की तरफ से कल कोई चर्चा नहीं लगेगी। सर the Business Advisory Committee में आपने एक दिन इन्हें दिया था और एक दिन हमें दिया था। वे उन बातों को भी झूठ कह रहे हैं।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, कल दानों विषय identical हैं। से एम. सी.डी के हैं। पहले यह होगा, आप समय बांट दें। आप इसके लिए 20 मिनट फिक्स कर दें और बाकी समय एम.सी.डी को दे दें।

अध्यक्ष महोदय : कल इसके लिए केवल 20 मिनट होंगे। उसके बाद दूसरे होंगे।

.......अंतरबाधाएं.........

अध्यक्ष महोदय : वो मैं देख लूँगा कि पहले कौन सी करानी है। मैं आने आप कराऊँगा।

सदन की कार्यवाही 6 जून, 2012 को अपराह्न दो बजे तक स्थगित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 6 जून, 2012 को अपराह्न दो बजे तक स्थगित की गई।

खण्ड-10 सत्र-10 / अंक-79 मंगलवार 05 जून, 2012 / ज्येष्ठ 15, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चतुर्थ विधान सभा

दसवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-10 में अंक-73 से 80 सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

*twinklegraphics*laxmi-2012*Vidhan Sabha(05 June-2012)-2*1st p*227*

सम्पादक वर्ग
Editorial Board

पी.एन. मिश्रा
सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी
उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-10	मंगलवार, 05 जून, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934 (शक)	अंक-79

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा (सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के संबंध में)	3
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र.सं. 121, 123, 124 और 126)	4
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 122, 125, 127 से 140)	38
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. और अतारांकित प्रश्न सं. 468 से 523)	65
6.	विशेष उल्लेख (नियम 280)	130
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	149
8.	विधेयकों का पुर:स्थापन 1. दिल्ली मूल्य संवद्धित कर (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक सं. 11) 2. दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक सं. 12)	149
9.	अल्पकालिक चर्चा (दिल्ली में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति)	152